राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अङ्क ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का ५वां दिवस [संख्या ५

शुक्रवार, दिनांक २३ अगस्त, १९६३

विधान सभा की बैठक म० पू० ९.३० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, खनिज, सिंचाई, सामान्य प्रशासन, विकास, श्रम, चिकित्सा, राजस्व, नियुक्ति, समाज कल्याण, पंचायत, वन एवं कृषि-विभाग]

प्रश्न संख्या १२०

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भगराज चौधरी

नगरपालिका जालोर का ऑडिट

१२१. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९५८ से नगरपालिका जालोर का ऑडिट कितनी बार हुआ ?

(२) क्या १९५८ से १९६३ तक नगरपालिका जालोर की ऑडिट रिपोर्ट का कम्प्लायेन्स हुआ है ? यदि हां, तो किन किन मुद्दों पर अमल हुआ है और किस किस पर नहीं हुआ है ?

(३) ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) पांच बार हुआ ।

(२) १९५८ से १९६१-६२ तक की अनुपालना रिपोर्ट भिजवा दी गई है । १९६२-६३ तक की अनुपालना रिपोर्ट भेजना शेष है ।

(३) ऑडिट रिपोर्ट बहुत लम्बी है, इसलिये सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है ।

श्री भगराज चौधरी : मैंने यह प्रश्न पूछा था कि ऑडिट रिपोर्ट्स का कम्प्लायेन्स हुआ या नहीं । यह तो मुझे भी मालूम है कि

Page No 2

(श्री भगराज चौधरी)

ऑडिट पांच बार हुआ। लेकिन उनकी कम्पलायेन्स करने की कोशिश नहीं की। मेरी अर्ज करने का मतलब यह है कि जिन इर-गुलेरिटीज़ और ऑब्जेक्शन्स की ओर ऑडिट ने ध्यान दिलाया है उनको पूरा करने की कोशिश की है या नहीं? वह हमारे सामने आनी चाहिये। बिना ऑडिट रिपोर्ट के हमारे सामने आये, यह हम नहीं जान सकते।

श्री दौलतराम सारण : यह म्युनसिपल बोर्ड जालोर का मामला है। इसका पांच बार ऑडिट हुआ, उसमें से १९५८ से १९६१-६२ तक की अनुपालना रिपोर्ट भिजवा दी है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि वे ऑडिट ऑब्जेक्शन्स किस प्रकार के थे? अगर उनका निराकरण कर दिया गया तो वह सदन के सामने आना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : मैं आइटम्स की रिपोर्ट पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की जानकारी उससे पूरी हो सकती है तो रख दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : मैं उस रिपोर्ट से माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा और पूरी रिपोर्ट दे दूंगा।

श्री भगराज चौधरी : इसमें पर्सनल जानकारी का प्रश्न नहीं है। सदन को इन बातों की जानकारी दीजिये कि वहां किस किस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज़ हुईं। सरकार ने उनका पालन करवाया या नहीं, उसके लिए पूरी कोशिश की है या नहीं, इस बात की सदन को जानकारी दीजिये? इसमें व्यक्तिगत जानकारी का सवाल नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : इतनी बड़ी ऑडिट रिपोर्ट है जिसको रखना मुश्किल है।

श्री दलपतसिंह : आप यह तो बतलाइये कि कितनी इर्रेगुलेरिटीज हुईं और वे किस प्रकार की थीं?

श्री दौलतराम सारण : छोटे-मोटे आइटम्स पर ऐतराज होता है, जिनकी अनुपालना की जाती है उस पर लिखा-पढ़ी चलती रहती है; उस सबका विवरण और ऑडिट रिपोर्ट का विवरण देना मुश्किल है।

श्री भगराज चौधरी : उसका सब्स्टेन्स ही बता दीजिये, किन किन मुद्दों पर इर्रेगुलेरिटीज पाई गईं?

श्री दौलतराम सारण : कोई एक-दो तो मामले हैं नहीं, लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट है। उसमें कई प्रकार के आइटम्स हैं और कई प्रकार के एतराज हैं। आप किसी निश्चित बात पर जानकारी चाहते हैं तो वह बताई जा सकती है।

श्री भगराज चौधरी : आप टोटल ही बता दें कि कितनी अनियमितताएं हुई हैं और

Page No 3

(श्री भगराज चौधरी)

आपने कितनों को एक्जामिन करवाया है और कितनी अनियमितताओं के लिए एक्शन लिया है ?

श्री दौलतराम सारण : सन् १९५८ से ६३ तक की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। उनमें से १९५८ से ६२ तक की अनुपालना रिपोर्ट भिजवा दी गई है। इन रिपोर्ट्स के अन्दर कई तरह की अनियमितताओं को बताया गया है, उनमें से जैसा मैंने निवेदन किया ६२ तक की अनुपालना रिपोर्ट भिजवा दी है। उन एतराजात के संबन्ध में कम्पलायेन्स रिपोर्ट म्युनिसिपेलिटी की तरफ से भेज दी गई है। ऑडिट वाले दुबारा ऑडिट करते है, तब फिर देखते हैं; इसलिये इन सारी बातों के डिटेल्स बताना संभव नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या इन ऑडिट रिपोर्ट्स में धन के दुरुपयोग आदि की भी चर्चा है ? पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया हो या गबन किया हो, ऐसी कोई चर्चा है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : दुरुपयोग, गबन का कोई मामला मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लें और जिस पर एक्शन होना चाहिये एक्शन लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : जालौर म्युनिसिपेलिटी के बारे में बहुत शिकायत है।

श्री भगराज चौधरी : ऑडिट रिपोर्ट में कई खामियां बतायी गई हैं। जैसे बारबार एम्बेजलमेन्ट करने के आदी हो गये हैं। भविष्य में भी इसी प्रकार होता रहा तो जहां यह जनता द्वारा चुनी हुई संस्था है उसके लिये बहुत अहितकर है इसलिये में निवेदन करूंगा कि वह ऑडिट रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय तो कहते हैं, कोई एम्बेजलमेन्ट के केस हैं ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं कहा। मन्त्री महोदय कहते हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया है, उस ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में एतराज नहीं है; किन्तु वह बहुत लम्बी-चौड़ी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय सदन की भावना को समझें। वे ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें या न करें, यह तो गौण चीज है। क्या ऐसी शिकायतें हैं या एतराजात हैं जिनका केस बन सकता है और क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन हो सकता है ? इस तरह की चीज आपकी तरफ से हुई है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मैं इसको एक्जामिन करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री तेजाराम गहलोत ।

रॉयल्टी की अदायगी

१२२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) मैसर्स केशवसिंह शिवजीसिंह सोजत रोड ने मडला क्षेत्र से महावार कितना पत्थर लीज़ लेने के बाद तथा लीज़ रिन्यू होने के बाद निकाला ? सूची सदन की मेज पर रखें । यह सूचना १।१।१९५५ से ३०।९।६२ तक की देने की कृपा करें ।

(२) उक्त पत्थर पर कितनी कितनी रोयल्टी किस किस तारीख को निम्न चीजों पर जमा कराई गई :

(१) लाइम स्टोन पर,

(२) लाइम पर,

(३) कचरा लाइम पर ।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) :—(१) पार्टी के नाम लीज़ तारीख १।४।५५ से ३१।३।६० तक की अवधि के लिये स्वीकृति हुई और इसके पश्चात् ता. १।४।६० से ता० ३१।३।६५ तक की अवधि के लिए यह लीज़ रिन्यू हुई । दि. १।४।५५ से ३०।९।६२ तक लाइम स्टोन का जो उत्पादन हुआ उसके माहवारी आकड़ों का स्टेटमेंन्ट सदन की मेज पर रख दिया है ।

(२) पार्टी को लीज़ दी गई उसमें डैड रेन्ट ६४,०००) रूपया कायम किया गया और शर्त यह रक्खी गई कि यदि रॉयल्टी अधिक होगी तो रॉयल्टी ली जायगी, अन्यथा डेड रेन्ट वसूल किया जायगा । दि. १।४।५५ से ३१।३।६१ की अवधि में रॉयल्टी डैड रेन्ट से ज्यादा नहीं बनी, अत: डैड रेन्ट की रकम ही वसूल हुई । ऐसी सूरत में चूने की भिन्न भिन्न किस्मों पर रॉयल्टी वसूल करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं हुआ और ता. १।४।६१ से ३१।३।६२ तक चूने के पत्थर पर जो रॉयल्टी ६६,३६५.१७ न० पै० बनी वह रॉयल्टी के रूप में वसूल की गई है । क्योंकि ये चूने के भट्टे लीज़ क्षेत्र से बाहर हैं अत: नियमानुसार रॉयल्टी चूने के पत्थर पर ही आंकी गई है, न कि चूने कि भिन्न भिन्न किस्मों पर। रकम जिन जिन तारीखों को जमा हुई उसका स्टेटमेन्ट भी सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या मनानीय मंत्री बतायेंगे कि जो आंकड़े चूने-पत्थर के निकालने के दिये हैं, सरकार ने क्या सत्यता की की जांच की है ?

श्री चन्दनमल वैद : अगर वे सत्य नहीं होते तो बताता कैसे ?

श्री तेजाराम गहलोत : क्या सरकार ने यह जानकारी करने की कोशिश की है कि जो पत्थर निकालने के फिगर्स दिये हैं वे सही हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : सरकार तो आपके बगल में ही बैठी है।

श्री चन्दनमल वैद : जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वे मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

प्रश्न संख्या १२३

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल करौल।
(अनुपस्थित)
श्री मुरलीधर व्यास।

घग्घर की बाढ़

१२४. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) घग्घर बाढ़ से होने वाले उत्पात को रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या स्थायी या अस्थायी व्यवस्था की है:?

(२) क्या सरकार को विदित है कि घग्घर से अभी तक सैकड़ों मील इलाका पानी में डूबा हुआ है ?

(३) क्या सरकार को यह भी विदित है कि ऐसी स्थिति में पुनः बाढ़ आ गई तो भयानक नुकसान होगा ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार से भी कोई बातचीत हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) घग्घर बाढ़ को रोकने के लिये १९६१ में शीघ्रावधि बाढ़ नियन्त्रण बांध बनाये गये। पूर्ण सर्वेक्षण के बाद गत वर्ष ५ करोड़ रुपये की लागत की विस्तृत घग्घर बाढ़ नियन्त्रण योजना राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार और केन्द्रीय जल-विद्युत आयोग को भेजी जा चुकी है। इस योजना की स्वीकृति मिलने पर दीर्घावधि बाढ़ नियन्त्रण कार्य आरम्भ कर दिये जावेंगे।

(२) इस वर्ष वर्षारम्भ से अभी तक जो पानी नाली में आया है उससे लगभग ५०० एकड़ रकबा जलमग्न हुआ है।

(३) हां राज्य सरकार इस ओर पूर्ण जागरूक है। इस वर्ष तलवाड़ा की सुरक्षा के लिए एक बांध बनाया जा चुका है तथा सूरतगढ़ शाखा के नीचे बाढ़ के पानी के निकास के लिये अतिरिक्त जलमार्ग बनाया जा चुका है।

(४) घग्घर नदी का उद्गम और राजस्थान सीमा में प्रवेश के पूर्व का बहाव पंजाब में है। अतः दोनों राज्यों में की जाने वाली बाढ़ नियन्त्रण व्यवस्थाओं का समन्वय होना अनिवार्य है। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार एवं पंजाब सरकार से विमर्श हो रहा है।

Page No 6

श्री मुरलीधर व्यास : पांच करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने कब भेजा ? साल भर हो गया इसे।

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो इसकी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : परन्तु क्या उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की ओर से स्वीकृति मिली नहीं ? क्यों विलम्ब हुआ ? क्या पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : इसका सम्बन्ध पंजाब और राजस्थान सरकार से है। योजना पर स्वीकृति आने से पहले इस पर हम पंजाब सरकार से विमर्श कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : बार-बार नुकसान लगातार हो रहा है और हर समय आप यही कहते हैं कि विचार कर रहे हैं। अब तक आपने क्या विचार किया और विचार में विलम्ब क्यों हो रहा है, आज क्या स्थिति है ? अगर कोई कठिनाई है तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिये। बहुत लम्बे अर्से से यह चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है अध्यक्ष महोदय यह।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद।

स्टेट होटल में शराब

१२५. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल)** : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट होटल में भारतियों को खुले रूप से शराब बेची जाती है ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : इसका उत्तर आना चाहिये, अध्यक्ष महोदय ! (पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में)

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया, साहब ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : उत्तर क्या मिला।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : यहां रिटेल सेल भी होती है ?

श्री परसराम मदेरणा : फोरिन टूरिस्ट आते हैं उनके लिये यह व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : सम्भवत: ऐसी व्यवस्था है इस बारे में कि पब्लिक प्लेसेज़ में ड्रिंकिंग न किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : जी हां, बार रूम में बैठकर पी सकते हैं। वहां ऐसी व्यवस्था कर दी है कि एक क्लर्क बैठा रहता है। सर्व वह कर देता है। वहां पेग के हिसाब

Page No 7

(श्री परसराम मदेरणा)

से पैसा दे देते हैं। टूरिस्ट बहुत आते हैं, उनको ध्यान में रख कर यह व्यवस्था की गई है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तो फिर क्या आप दूसरी जाह भी ऐसा प्रबन्ध करेंगे ? सरकार पिलाती है और दूसरों को मना करती है।

श्री परसराम मदेरणा: रामबाग पैलेस है जैसे वहां फोरिन टूरिस्ट आते हैं, उनकी सुविधा के लिये खास तौर से यह किया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने तो फौरिन वालों के लिये नहीं पूछा, भारतियों के लिये पूछा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : स्टेट होटल में १०।३।६२ को लोकल को कितनी शराब दी गई बताई गई थी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम भुंजासर (पंचायत समिति फलोदी) में पीने के पानी की समस्या

१२६. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि ग्राम भुंजासर (पंचायत समिति फलौदी) में पीने के पानी की विकट समस्या है और अब तक एक मात्र गांव के कुए से सारे ग्रामवासी करीब आठ आठ, दस-दस मील से चल कर पीने का पानी लाते हैं और अपने मवेशी पिलाने ले जाते हैं ?

(२) क्या यह सच है कि उस पानी की समस्या को हल करने के लिये गांववासी पिछले तीन-चार सालों से गांव की सरहद के बीच में एक दूसरा कुआ खोद रहे हैं ? अगर हां, तो यह कुआ अब तक कितना गहरा खोद दिया गया है और अब तक गांव वालों ने श्रमदान व रोकड़ कितना खर्चा किया है और उसमें से सरकार ने अब तक कितनी सहायता दी है ?

(३) क्या यह सच है कि इस कुए को खुदवाने में सरकार ने अब तक संतोषजनक कोई मदद नहीं दी है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में सरकार बेरे को खुदवाने में गांव वालों को धन की पूरी सहायता देने का विचार रखती है ?

(४) क्या सरकार बाकी बेरे को मशीन द्वारा खुदवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) : (१) इस गांव में पीने के पानी का एक कुआ है। कुछ ग्रामवासी लगभग ८ मील चलकर पानी लाते हैं।

(२) जी हां। अब तक यह कुआ लगभग १९८ फीट खोदा जा चुका है। गांव वालों द्वारा अब तक लगभग ३०००) रु० का

(श्री चन्दनमल वैद)

श्रमदान व ३,७५०) रुपया नकद खर्च किये गये हैं तथा २,८००) रु० की सरकारी सहायता दी गई है।

(३) जी नहीं। कुए के खुदवाने में सहायता दी जा रही है।

(४) कूए की खुदाई का कार्य सरपंच द्वारा ठेके पर दिया हुआ है। यदि खुदाई में आगे कड़ा पत्थर आया तो मशीन से भी खुदाई की जा सकेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई: आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि कड़ा सफेद पत्थर आ गया हैं इसलिये मशीन की सहायता फौरन वहां दी जानी चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद : हमारे पास सूचना नहीं आई है। ऐसी दिक्कत होगी तो जैसा उत्तर के भाग (४) में बताया गया है वैसी कार्यवाही की जावेगी।

सिंचाई विभाग द्वारा उदयपुर जिले में व्यय

१२७. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सिंचाई विभाग द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में उदयपुर जिले में किस किस जगह तथा कितनी धन-राशि व्यय की जायगी ? कृपया सूची सदन के समक्ष रक्खें।

(२) इस योजना में लघु सिंचाई योजना की रकम कितनी है तथा कहां कहां व्यय की जायेगी ?

(३) उदयपुर जिले में लघु सिंचाई के अन्तर्गत जो कार्य विकास पंचायत समितियों द्वारा कराये गये उनमें से कितने अधूरे पड़े हैं तथा उन्हें पूरा कराने के लिये सरकार की क्या योजना है ? कृपया उन अधूरे कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन कामों की सूची संलग्न हैं जिन पर खर्चा करने का अनुमान है।

(२) लघु सिंचाई योजना पर करीब ६२ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। उनका स्कीमवाइज व्यौरा संलग्न है।

(३) इस आशय की जानकारी सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है; अतः अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : सूची नहीं मिली है।

श्री दिनेशराय डांगी : नहीं मिली है तो दिलवा दूंगा।

Page No 9

श्री विजयसिंह झाला : उत्तर के पहले सूची मिलनी चाहिये, नहीं तो सप्लीमेन्टरी कैसे करेंगे ?

श्री दिनेशराय डांगी : दे दूंगा मैं।

श्री विजयसिंह झाला : इसको बाद में रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बाद में यह जवाब ही नहीं मिलेगा। यह तो सुन लीजिये।

श्री विजयसिंह झाला : क्या लघु सिंचाई विभाग से पंचायत समितियों को कोई पैसा नहीं दिया जाता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इर्रिगेशन विभाग से तो नहीं दिया जाता, पर एग्रीकल्चर विभाग के माइनर इर्रिगेशन सैक्टर में इसकी व्यवस्था है। वहां से पंचायत समितियों को दिया जाता है।

श्री विजयसिंह झाला : जो पैसा सिंचाई विभाग से पंचायत समितियों को दिया जाता है उसे देने के बाद उसका पूरा उपयोग हुआ या नहीं हुआ, इसके लिये क्या सिंचाई विभाग अपने को जिम्मेदार नहीं मानता ?

श्री दिनेशराय डांगी : जो काम इर्रिगेशन विभाग के द्वारा होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार रखती है।

प्रश्न संख्या १२८

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

निम्बाहेड़ा तहसील में नये बान्ध

१२९. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा तहसील में कुछ और नए बान्ध बनाने हेतु सर्वे कराया गया है ? अगर हां, तो कहां कहां पर सर्वे हुआ है और कहां कहां होना बाकी है ?

(२) इस प्रकार के बन्ध बांधने से सरकार को और जनता को क्या लाभ होने की और कितनी हानि होने की सम्भावना है ?

(३) क्या बरवाड़ा का भी सर्वे हुआ था और उसका काम चालू भी कर दिया गया था ? यदि हां, तो इस कार्य पर कितना रुपया खर्च किया जा चुका था ?

(४) यह कार्य क्यों रोका गया तथा इस कारण हुए नुकसान का कौन जिम्मेदार है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) बरवाड़ा के अतिरिक्त कोई दूसरी सर्वे नहीं हुई है।

(२) सैद्धान्तिक तौर से केवल लाभदायक योजनाएं ही कार्यान्वित की जाती हैं।

(३) जी हां, इस पर ८३९८) खर्च किया जा चुका है।

Page No 10

(श्री दिनेशराय डांगी)

(४) इस कार्य को जनता के अनुरोध एवं मांग पर सरकार ने रोक दिया था। जनहित के लिए कार्य के रोके जाने में जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : यह तो जनहित में और जनता के प्रतिनिधित्व पर बांध रोका गया है तो ऐसे प्रतिनिधित्व को सरकार कब से मान्यता देने लग गई है ?

(विराम)

यह आठ हजार खर्च करने की बात कही गई है, पर इसका बजट तो ११ हजार का था। ११ हजार खर्च किया गया है, आठ हजार नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने बताया कि ८,३६८) रु० खर्च किया जा चुका है और कुछ रुपया चुकाना बाकी है।

श्री अब्दुलजब्बार : जो मकानात बना दिये गये हैं उनका क्या होगा ? वहां से उठाकर लाया जावेगा या चूने पत्थर की शक्ल में वहीं पड़े रहने दिया जावेगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : सन् ६२ में २ लाख कुछ हजार की सैंक्शन इसके लिये हुई थी और उसमें से लगभग ११ हजार रुपया खर्च हो चुका है। यह रिटर्न है इर्रिगेशन विभाग का।

श्री अब्दुलजब्बार : अभी जो मेटीरियल चूना-पत्थर आदि खरीदा हुआ पड़ा है उस मेटीरियल का क्या किया जावेगा ? कम से कम इस चीज पर तो प्रकाश डाल दें। जो आपने खर्च कर दिया वह तो मान गये कि आपने कर दिया पर जो मेटीरियल बिल्डिंग बनाने का वहां पड़ा है उसका आप क्या करेंगे ? उसको भी वहीं छोड देंगे ?

श्री दिनेशराय डांगी : जो काम हो चुका है उसका तो खर्चा बता दिया है। पर शुरुआत होने के तुरन्त बाद गांव के लोगों ने मांग की कि यह बान्ध रोक दिया जावे क्योंकि उससे गांव उनका सबमर्ज में आ जाता है। तो इस पर सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, कलेक्टर, चितौड़ ने जांच की और आबादी की मांग पर फिर उस काम को रोक दिया गया।

श्री अब्दुलजब्बार : एक गांव की मांग पर कम से कम २५ गांवों को लाभ जहां होता है वहां आप किसको जनहित मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कुमारानन्द स्वामीजी।

मजदूरों द्वारा सुरक्षा कोष में दी गई धनराशि

१३०. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) त्रिदलीय सम्मेलन में पास हुए प्रस्तावों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में किस किस उद्योग के मजदूरों ने किस किस महीने में कितना कितना रुपया दिया ?

(श्री कुमारानन्द)

(२) क्या ऐसे भी उद्योग अभी बाकी हैं जिनके मजदूरों ने अब तक पैसा नहीं दिया है, और हर माह १) रुपया फी मजदूर नहीं दे रहे हैं ?

(३) यदि हां, तो सरकार ने उन फैसलों को लागू करवाने का क्या प्रयत्न किया है ?

श्रममन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) त्रिदलीय सम्मेलन में पास हुए प्रस्तावों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जिन जिन उद्योगों के मजदूरों ने रुपया दिया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां ।

(३) चूंकि त्रिदलीय सम्मेलन में पास हुए प्रस्तावों का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है अत: सरकार सुरक्षा कोष में रुपया देने को मजदूरों को बाध्य नहीं कर सकती है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही है कि सरकार ने जिस समय फैसला किया उसमें यह तय किया गया था कि जितना पैसा मजदूर देंगे उतना ही पैसा मिल मालिक भी देंगे और यह सही है तो फिर भीलवाड़ा के मजदूरों ने पैसा दिया तो उसमें कितना पैसा तो मिल के मालिकों ने दिया और कितना मजदूरों ने दिया ?

श्री भीखाभाई : Please repeat the question.

श्री अध्यक्ष : क्या यह तय किया गया था कि जितना पैसा मजदूर इकट्ठा करेंगे उतना ही मिल मालिक भी देंगे ?

श्री भीखाभाई : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : अगर हां तो फिर भीलवाड़ा में ऐसा हुआ या नहीं ।

श्री भीखाभाई : भीलवाड़ा में मील तो सरकारी नियंत्रण में है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो क्या सरकार की तरफ से नहीं दिया जाना चाहिये जब कि ५,००० रुपया एक दिन का दिया है और २०,००० रुपया ४ दिन का होता तो, क्या २०,००० रुपया मिल मालिकों की तरफ से नहीं दिया जाना चाहिए था ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस मिल के अलावा और जो दूसरे मिल हैं वहां पर उनमें इस प्रकार से हुआ है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह सूची तो बहुत लम्बी-चौड़ी है जिसे मैं पढ़कर ठीक ढंग से नहीं बता सकता । पांच-सात पेज की सूची है और यह कोई कम्पलसरी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर उनको बाध्य किया जा सके । हमारे पास इन्फोर्मेशन है उसके मुताबिक केवल १७८ की ही सूचना हमको मिली है और कुल मिलाकर १२०० छोटी-मोटी फैक्टिरियां हैं । इनमें से बहुत से लोगों ने

(श्री भीखाभाई)

चीफ मिनिस्टर के फण्ड में पैसा भेज दिया और बहुतसों ने प्रधान मंत्री के फन्ड में भेज दिया, जिसकी जानकारी हमको नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : भीलवाड़ा की मिल है वह सरकार की नहीं है बल्कि वह स्टेट अण्डरटेकिंग के अन्दर है। उसका मुनाफा सरकारी मुनाफा नहीं है,इसलिए मंत्री महोदय का यह कहना कि मिल सरकार की है, इसलिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन मजदूरों ने दिया है उसके बराबर मिल की तरफ से देने की आवश्यकता नहीं, यह रीजनेबल बात नहीं है। इसलिए मैं दुबारा निवेदन करूंगा कि क्योंकि यह सिर्फ स्टेट अण्डरटेकिंग है जिसका प्रोफिट सरकार का प्रोफिट नहीं है इसलिए जो निर्णय त्रिदलीय सम्मेलन में लिया गया उसके अनुसार सरकारी अण्डरटेकिंग से एन० डी०-एफ० को लिया जाये।

प्रश्न संख्या १३१

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतिलाल बोहरा।

भीलवाड़ा सरकारी अस्पताल में दूध की व्यवस्था

१३२. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि भीलवाड़ा सरकारी अस्पताल में बीमारों को जून, जुलाई व अगस्त, ६१ में दूध सप्लाई नहीं किया गया ?

(२) क्या यह सच है कि कुछ समय तक चन्दा करके डॉक्टरों ने दूध की व्यवस्था की ?

(३) इस अव्यवस्था के लिए दोषी कौन कौन हैं ?

(४) क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा-मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये प्रावधान

१३३. श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के संबंध में तीसरी योजना के प्रारूप में कितना प्रावधान किया गया था तथा अब कुल कितना प्रावधान रखा गया है ?

Page No 13

(श्री भीमसेन)

(२) राज्य सरकार ने प्रत्येक गांव में पीने के पानी का प्रबंध करने हेतु क्या राज्य का सर्वे कराया है ? अगर हां, तो राज्य की कुल आवश्यकता क्या है तथा सरकार इस समस्या को हल करने के लिए कब तथा क्या कदम उठाने जा रही है ?

(३) क्या सरकार इस संबंध में कोई बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? अगर हां, तो उसका क्या रूप होगा ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) तृतीय पंच-वर्षीय योजना में राजस्थान के लिए ग्राम्य पेय जल योजना के अन्तर्गत मूलत: २३० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। इस प्रावधान में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(२) साधारणतया प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग १३.१६ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध हो रही है योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(३) विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कितना रुपया खर्च हुआ है इसमें ?

श्री दौलतराम सारण : पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग ४॥ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : इससे कितने गांवों को लाभ मिला है ?

श्री दौलतराम सारण : दोनों योजनाओं में लगभग २५९ काम हो चुके हैं, नये तालाब या मरम्मत आदि के।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार ने इसकी कोई रिपोर्ट तैयार करवाई है ?

श्री दौलतराम सारण : किस प्रकार की रिपोर्ट ?

श्री भैरोंसिंह : यह कि इतना रुपया खर्च हुआ और इस जिले में इतने इतने कुंए बने ?

श्री दौलतराम सारण : रिपोर्ट तो जो काम हुए हैं उनकी होती ही है। कोई पैसा यों ही अंधाधुंध थोड़े ही खर्च होता है।

श्री भैरोंसिंह : शायद आपको पता नहीं कि ६५ लाख रुपये का हिसाब नहीं है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का।

श्री दौलतराम सारण : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भीमसेन : क्या सरकार ने कितनी आवश्कयता है, इसका सर्वे कराया है ?

श्री दौलतराम सारण : राज्य में कुल कितने पीने के पानी के साधनों की आवश्यकता है, इसके संबंध में एक कमेटी

(श्री दौलतराम सारण)

बनी थी जिसके माननीय सदस्य भी सदस्य थे और उस कमेटी ने जानकारी हासिल की थी उसके मुताबिक लगभग जितना मैंने आंकड़ा दिया उतना है। उसके बाद पंचायत समितियों की मार्फत भी आंकड़े इकट्ठे करने के लिए आदेश दिये गये और काफी पंचायत समितियों की सूचनायें भी प्राप्त हो गई हैं और औरों की प्राप्त हो रही हैं। आशा है, पूरी सूचना शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेगी। लेकिन इन सारी सूचनाओं से जो एक साधारणत: जानकारी है, जैसा मैंने निवेदन किया, १३ करोड़ १९ लाख के करीब है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ये जो आंकड़े दिये १३ करोड़ १९ लाख रुपये के, क्या यह वही रकम है जिसके बारे में पंचायत समिति ने स्कीम बनाकर राज्य सरकार को दी है और जो स्कीम राज्य सरकार ने भारत सरकार को मन्जूरी के लिए भेजी है, क्या उसी के आधार पर आप यह कहते हैं कि १३ करोड़ १९ लाख रुपये की आवश्यकता है।

श्री दौलतराम सारण : भारत सरकार की बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में बनी कमेटी आई थी और उसके सामने जो राज्य सरकार ने डिमाण्ड रखी है उसी के आधार पर कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह डिमाण्ड कमेटी के सामने रखने से १० महीने पहले चीफ इन्जीनियर हैल्थ के ऑफिस के मार्फत चीफ मिनिस्टर के कवरिंग लैटर के साथ गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की हैल्थ मिनिस्ट्री को भेजा जा चुका है और यह सही है कि उसके ऊपर कार्यवाही न भारत सरकार की ओर से हुई है और न राज्य सरकार की ओर से ?

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए प्रयास कर रही है। यह जो मांग की गयी है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अतिरिक्त है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस स्कीम को भेजने के बाद क्या हैल्थ मिनिस्टर ने या डिप्टी हैल्थ मिनिस्टर ने नई दिल्ली का दौरा इस संबंध में ही विशेष रूप से किया है और भारत सरकार से इस संबंध में पूर्ण रूप से बातचीत की है ?

प्रश्न संख्या १३४

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

पलाना खान पर कार्य

१३५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पलाना खान का खोदा जाना आजकल बन्द सा पड़ा है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(२) यदि हां, तो कब से और आगे कब तक यों ही बन्द सा रहेगा ?

(३) सन् १६६०-६१ में इस खान पर कितने मजदूर काम करते थे और आज कल कितने काम कर रहे हैं ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं ।

(२) दिनांक ८-२-६३ से पुरानी खानों के खत्म हो जाने के कारण उसे रद्द कर दिया गया था और नई खान का खोदना आरम्भ कर दिया गया था ।

(३) सन् १६६०-६१ में औसत ६५० मजदूर थे और इस समय लगभग २०० मजदूर हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : १६६०-६१ में कितने बताये ?

श्री परसराम मदेरणा : ६५० मजदूर।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : और अब केवल २०० हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : हां ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : दूसरे मजदूर हैं, जब उनको काम से अलग कर दिया गया है तो उनके लिए क्या व्यवस्था की है ?

श्री परसराम मदेरणा : मिनिस्टर और स्टेट एन्टरप्राइज वहां गये थे तो उनकी दोनों यूनियन से मिले थे और बीकानेर में भी बात की थी कि बीकानेर के पास जो नया स्टेशन बना रहे हैं उसमें उन आदमियों को एब्जॉर्ब करने के लिए, नौकरी देने के लिए कोशिश करेंगे और दूसरे मंत्री महोदय ने खुद ने राजस्थान कैनाल का ऑल्टरनेटिव एम्पलॉयमेन्ट देने के लिए भी रिक्वेस्ट की थी उसमें कितने गये हैं कितने नहीं, यह मैं नहीं बता सकता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह सही है कि पलाना खान को ओपन कास्ट करने के लिए तृतीय योजना में टोप प्रायोरिटी राजस्थान सरकार ने दे रखी है और एक करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है और उसके बाद में भी एक करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं किया जा रहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह डिफरेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि दोनों यूनियनों ने इस चीज को मान्य कर लिया है और बातचीत करके मंत्री महोदय ने किया है यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : यूनियन ने माना या नहीं, यह नहीं मालूम है लेकिन जो सूचना सरकार के पास है और वहां से आने के बाद जो मंत्री महोदय ने रिपोर्ट यहां गवर्नमेन्ट को दी है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं दोनों से मिलकर आया था और उनको यह दो ऑल्टरनेटिव ऑफर किये हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि नया काम शुरू हो गया है, तो मजदूरों को बढ़ाये जाने की सम्भावना है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : ज्यों ही पिट्स खुद जायेंगे और काम शुरू हो जायेगा तो फिर और मजदूर एब्जॉर्ब कर लेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह काम कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : यह निश्चित तारीख नहीं दे सकता।

उनियारा की हरिजन कोलोनी में वर्षाकाल में पानी की समस्या

१३६. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :- Will the Minister for Local Self Government Department be pleased to state:-

(1) Is it a fact that every year during the monsoon there arises a great problem of water storage in the Harijan Colony in Uniara Municipality, District Tonk ?

(2) Is it a fact that there was a scheme for overcoming this problem and certain sum was also granted for the purpose ? If yes, what happened to the scheme and how much was the amount ?

(3) Is it a fact that present Municipal Board, Uniara, District Tonk has again written and submitted a scheme to the Government ? If yes, what action has been taken ?

(4) Does the Government intend to grant some aid from the social Welfare Department to the said Municipal Board, Uniara for the Harijan Colony ? If not, why ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अगली टर्न पर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कब मिल जायगा अगली टर्न पर ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां, अगली टर्न पर।

सावन-भादवा सिंचाई परियोजना का सर्वे

१३७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या जिला कोटा की तहसील कनवास में सावन-भादवा सिंचाई परियोजना का सर्वे पूरा किया जा चुका है ?

(२) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य सरकार कब शुरू करने का विचार रखती है ?

Page No 17

उप-मंत्री, सिचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) कुल लागत को देखते हुए इस स्कीम का रिटर्न बहुत ही कम आता है, इस लिए इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कुल लागत क्या है और कुल रिटर्न क्या है इसकी ?

श्री जुझारसिंह : कितने पर्सेन्ट का रिटर्न होता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसका कुल खर्चा ३१ लाख है और रिटर्न ५५ और ५४ है।

अजमेर में मेडिकल कॉलेज

१३८. श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने अजमेर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया है ?

(२) यदि हां, तो कब ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार का इरादा जोधपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का है ?

(५) क्या राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) मौजूदा संकटकालीन स्थिति व अर्थाभाव के कारण।

(४) इसका अभी कोई विचार नहीं है।

(५) जी हां। जो पटेल कमेटी के सिफारिश के आधार पर उदयपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में खोला जा चुका है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही है कि १९६२ की विधान सभा के बजट सैशन में एक उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि अजमेर में मैडिकल कॉलेज खोलने जा रहे है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जवाब आने दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप देख लीजिये कि क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। अब क्या पूछना है ?

ग्लास फैक्ट्री को दी गई जमीन

१३६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १६४६-४७ में आराजी ख० न० १,१७७, १,१७८, १,१७६ व १,१८० रकबा ११ बीघा वाके भरतपुर चक नं० २ श्री डी० डी० शर्मा को वास्ते कायमी ग्लास फैक्ट्री इस शर्त पर दिया गया था कि फैक्ट्री बन्द होने की सूरत में सरकार बाद अदायगी २,०००) रु० इस जमीन को वापिस ले लेगी ? आलिया कलेक्ट्री, रेवेन्यू बैंच ता० १६-८-४६ की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त ग्लास फैक्ट्री को बन्द हुए काफी अर्सा हो चुका है ?

(३) ग्लास फैक्ट्री बन्द हो जाने की सूरत में उक्त रकबे को वापिस लिये जाने के वास्ते सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(४) क्या यह सही है कि इस भूमि में इस समय रिहायशी मकान बने हुए हैं ?

(५) क्या यह सही है कि इस जमीन की मिल्कियत श्री डी० डी० शर्मा को नहीं दी गई थी ?

(६) क्या यह भी सही है कि यह भूमि श्री डी० डी० शर्मा ने किसी अन्य सज्जन को ट्रान्सफर कर दी है ?

(७) इस समय उस आराजी पर जिस व्यक्ति का कब्जा है उसका टाइटल क्या है, और क्या यह भी सही है कि वह व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला भी नहीं है ?

(८) क्या यह सही है कि इस समय यदि इस आराजी को प्लॉट बनाकर नीलाम किया जावे तो इसकी कीमत लगभग २ लाख रुपये तक आ सकती है ?

(९) क्या यह भी सही है कि इस आराजी का दाखिल खारिज तहसील में गलत तौर पर किसी दूसरे के नाम पर कर दिया है ? यदि हां, सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अगली टर्न पर रख लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। पिछले सैशन से चल रहा है।

श्री चन्दनमल वैद : तीन दिन तो सैशन चलते हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

राजस्थान राजस्व मंडल

१४०. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या मंत्री, नियुक्ति विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(१) क्या राजस्व मंडल, अजमेर को राज्य सरकार राजस्व विषय की अपीलों का निर्णय करने वाली सर्वोच्च अदालत मानती है ?

(२) क्या राजस्थान राजस्व मंडल के सदस्यों की नियुक्ति से पूर्व राज्य सरकार उन सदस्यों के जुडीशियल वर्क के एक्सपीरियन्स को भी देखती है ?

(३) राजस्व मंडल में सन् १९६१-६२ में कितने सदस्य नए नियुक्त किए गए और कितने स्थानान्तरित किये गए ?

(४) राजस्थान राजस्व मंडल में वर्तमान में कुल कितने मुकद्दमे पेंडिंग हैं और उनमें से जयपुर जिले के कुल कितने मुकद्दमे हैं ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी हां ।

(३) वर्ष	नये सदस्यों की जो नियुक्ति हुई	स्थानान्तरण
१९६१	९	६
१९६२	१	१
१९६३	२	२

(४) कुल मुकद्दमे १-८-६३ तक २६४७ पेंडिंग थे, उनमें से जयपुर जिले के मुकद्दमे ३७३ हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह जो जुडीशियरी का एक्सपीरियन्स बताया इससे आपका क्या प्रयोजन है ?

श्री परसराम मदेरणा : जुडीशियरी का प्रयोजन यह है कि एस० डी० ओ०, एस० डी० एम०, असिस्टेन्ट कलेक्टर कलेक्टर या कमिश्नर के पदों पर रह कर आये, क्योंकि वहां उनके सामने रेवेन्यू और क्रिमिनल केसेज़ आते हैं। उनको डिस्पोज़ ऑफ करने का अवसर मिला है, उससे जो एक्सपीरियन्स हासिल किया है उसे जुडीशियल एक्सपीरियन्स कहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जितनी भी नियुक्तियां अभी तक हुई हैं या स्तानान्तरण किये गये हैं वे सब आइ० ए० एस० कैडर से किये गये हैं और ऐसे एक्सपीरियन्स के आधार पर नहीं किये गये हैं, तो क्या इसके कोई नियम बने हुए हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट का डिसीज़न है। वह डिसीज़न यह है कि जो सुपर स्केल का आई० ए० एस० ऑफिसर होगा उसको ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेम्बर नियुक्त किया जायगा और सुपर स्केल में जो सीनियोरिटी में आते हैं उन्हें एपोइन्ट किया जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : नियम का मतलब गवर्नमेंट डिसीजन नहीं है। क्या कोई नियम बने हुए हैं सरकार के ?

Page No 20

श्री परसराम मदेरणा : जुडीशियल एक्सपीरियन्स के नियम नहीं बने हुए हैं। डिसीजन का आपसे कहा है। जहां तक हो सके ५ साल का कोर्ट्स का एक्सपीरियन्स होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड में ऐसे भी मेम्बर हैं जिनको जुडीशियल एक्सपीरियन्स नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : रेवेन्यू बोर्ड के जितने भी मेम्बर्स हैं, अभी ६ मेम्बर्स हैं, उन्हें ५ साल और उससे ज्यादा का एक्सपीरियन्स है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जैसा कि अभी बताया कि मजिस्ट्रेट, एस० डी० एम० और कलेक्टर इन तीन फिरकों के लोगों का जुडीशियल एक्सपीरियन्स होना चाहिए या और भी कोई है अधिकारी ?

श्री परसराम मदेरणा : असिस्टेन्ट कलेक्टर, एस० डी० ओ०, एस० डी० एम०, कलेक्टर, कमिश्नर— they are all courts.

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण।

तहसील निवाई के बांधों से पिलाई की दरें

१४१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तहसील निवाई के सिंचाई बांधों की पिलाई की रेट ज्यादा है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तहसील की बांधों की पिलाई सन् १९५६ में १।) रुपया प्रति बीघा ली जाती थी जो अब बढ़कर ३ रु० १० आ० प्रति बीघा हो गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि जो बांध नये बने हैं उनकी पिलाई की रेट और भी ज्यादा है ? यदि हां, तो कितने रुपये प्रति बीघा लिया जाता है ?

(४) राजस्थान में सब जगह पिलाई की रेट एक ही है या अलग अलग ? यदि अलग है तो इसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं। निवाई तहसील में सिंचाई दरें राज्य सरकार द्वारा २२ दिसम्बर, १९५८ के राजपत्र में प्रकाशित शरह के आधार पर हैं।

(२) सन् १९५८ के पूर्व जयपुर राज्य द्वारा लागू की गई दरों के अनुसार पहले पानी का सवा रुपया प्रति बीघा और बाद के प्रति पिलाई का बासठ पैसा प्रति बीघा वसूल किया जाता था। अब ये दरें पहले पानी की एक रुपया अस्सी पैसा प्रति बीघा और बाद के हर पानी का एक रुपया बीघा के हिसाब से ली जाती है।

(३) १ जनवरी, १९५२ के बाद निर्मित तालाबों की दरें पुराने तालाबों की दरों से कुछ अधिक हैं। इन दरों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(श्री दिनेशराय डांगी)

(४) नये निर्माण किये हुए तालाबों की दरें पूरे राजस्थान में एक ही हैं किन्तु पुराने तालाबों की दरें भिन्न हैं । इन्हें शनैः शनैः एकसा करने का सरकार विचार कर रही है, ताकि किसानों में विरोध को प्रोत्साहन नहीं मिले ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नशाबन्दी अभियान पर व्यय

१४२. श्री लालाराम (फलौदी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान में नशाबन्दी अभियान पर गत वर्ष में कितनी राशि का व्यय हुआ तथा किस किस कार्य के लिए कहां कहां पर एवं उनमें कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

(२) क्या नशा विरोधी सम्बन्धी साहित्य का योग भी लिया जाता है ? यदि हां, तो किस प्रकार से ?

(३) क्या राजकीय लेखकों द्वारा लिखित व प्रकाशित साहित्य ही को मान्यता उपलब्ध है अथवा अराजकीय राजस्थानी लेखकों द्वारा प्रचारित साहित्य को भी ?

(४) क्या इसमें अनुसूचित जाति के लेखकों के साहित्य को प्राथमिकता दी जाने का प्रावधान भी रखा गया है ?

(५) क्या पिछले वर्ष में ऐसी कोई 'नशा खण्डन' सम्बन्धी साहित्यिक पुस्तक प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर उनके लेखकों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने कभी विचार किया है, अथवा उन पुस्तकों के प्रचार में सरकार क्या योग दे रही है ?

(६) क्या इस वर्ष में नशाबन्दी अभियान में व्यय किये जाने वाली राशि में उक्त प्रकार के साहित्य को प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(७) क्या केवल शासकीय सूत्रों से नशाबन्दी पूर्णतः सफल हो जाना संभव है ? यदि नहीं, तो लेखकों को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का सम्बन्ध आबकारी विभाग से है अतः माननीय आबकारी मंत्री इसका उत्तर अपनी टर्न पर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नशाबन्दी के सम्बन्ध में, प्रचार के सम्बन्ध में प्रश्न है जो कि आपका विभाग करता है न कि एक्साइज विभाग ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : गारन्टी सिस्टम पर बेचने पर तुले हुए हैं । यह बन्द करने का है ।

एक माननीय सदस्य : उनका काम नशा करने का है और इनका काम नशा बन्द करने का है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह वर्क तो इनका है । समाज-कल्याण

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग के मार्फत नशाबन्दी का प्रचार किया जाता है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, यह जो समिति बनी थी वह माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर की अध्यक्षता में बनी थी। वे उस कमेटी के चेयरमैन थे इसलिये वह कमेटी उनकी अध्यक्षता में चलती आ रही है। उसके प्रचार के लिए जो धनराशि दी जाती है वह समाज कल्याण की ओर से दी जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्फीरियोरिटी क्यों फील हो रही है ? वे चेयरमैन थे, इसलिए आपके अन्डर में बजट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एक्स-फाइनेन्स मिनिस्टर समाज-कल्याण के भी मंत्री थे और मंत्री की हैसियत से वे चेयरमैन थे, तो आज यह नहीं कहा जा सकता है कि वे शिक्षा मंत्री हो गये तो वह शिक्षा विभाग के साथ चला गया।

श्री अध्यक्ष : कमेटी से सम्बन्ध नहीं है। जिस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है वह नशाबन्दी के प्रचार के बारे में है और उसका बजट आपके विभाग से है कि नहीं ? अगर है, तो निश्चय ही यह आपसे सम्बन्धित है।

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : प्रचार का सम्बन्ध इसकी एक समिति के नीचे है। समाज-कल्याण विभाग तो केवल नीति निर्धारण करता है कि अमुक जगह केवल इतनी ही दूकानें होनी चाहिए। वह एक कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट होता है इसलिए इनके सहयोग की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पढ़ा कि नहीं। इसके भाग (२) में लिखा है, "क्या नशा विरोध सम्बन्धी साहित्य का योग भी लिया जाता है ?" और इसके आगे अमुक पुस्तिका के बारे में जिक्र है। उसी सम्बन्ध में पूछा गया है कि उस सम्बन्ध में कोई पुस्तिका ली कि नहीं और प्रचार किया कि नहीं ? अगर मना करना है तो बढ़ कर मना करें।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसके सम्बन्ध में यही है कि अध्यक्षता भी वे करते हैं और खर्च भी वे ही करते हैं।

श्री अध्यक्ष : एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पोन्सिबिलिटी किसकी है ? उस दृष्टिकोण से कौन करता है ? आपका विभाग करता है या दूसरा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : हम नहीं करते हैं।

श्री भीखाभाई : उन्हीं का डिपार्टमेंट करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब, बिल्कुल गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : The House is not satisfied.........

श्री भीखाभाई : I will try to ascertain all the facts and inform the House.

Page No 23

श्री अध्यक्ष : Yes, please do. Thank you.

पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कर्मचारियों को ऋण

१४३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या राजस्थान के अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति ही पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के कर्मचारियों को भी लोन मिलने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? कृपया उन नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(२) यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने का विचार है ? यदि है, तो कब तक ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री चन्दनमल वैद) :- (१) जी हां, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, १९५९ के अन्तर्गत । प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(नियमोंकी प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : नियम २४ में कहां लिखा है कि लोन दिया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद : उसमें यह लिखा है कि जिस बारे में जिला परिषद् और पंचायत समितियों के नियम नहीं बने हुए हैं, उनके बारे में आर० एस० आर० के अन्तर्गत बनाये हुए नियम लागू होंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आर० एस० आर० में बाकी सर्वेन्ट्स के लिए लोन का प्रोवीजन है ?

श्री चन्दनमल वैद : उसके अन्तर्गत नियम हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि उनमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लोन इनको भी दिया जायगा, या लोन की क्या कन्डीशन्स हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जो दूसरे नियम बने हुए हैं वे इन सर्विसेज पर भी लागू किये जा सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य-कर्मचारियों को लोन दिये जाने के सम्बन्ध में अलग नियम बने हुए हैं और राजस्थान सर्विस रूल्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : जो नियम बनाये गये हैं वे उन पर लागू हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि उन पर केवल आर० एस० आर० लागू है, बाकी नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : उनको लोन देने का प्रावधान किया हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल ३४ में लोन देने का प्रावधान नहीं है; वेतन, अवकाश आदि के बारे में है। जब तक इनके लिये अलग नियम नहीं बना दिये जाते तब तक उनको लोन नहीं दिया जा सकता। इसमें लिखा है, "इन नियमों में जैसा प्रावधित है उसको छोड़ कर तथा उतने समय तक जब तक कि इन मामलों में ऐसे समस्त अथवा किन्हीं भी मामलों के बारे में पृथक नियम नहीं बना दिये जाते, सेवा के सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेन्शन, अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तें राजस्थान सर्विस रूल्स, १९५१ तथा राजस्थान ट्रेवलिंग अलाउन्स द्वारा आवश्यक परिवर्तनों के साथ नियमित होंगे।"

श्री चन्दनमल वैद : इससे माना जाता है कि लोन देनें के नियम हैं वे इन पर लागू हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये नियम उनकी सेलेरीज, अवकाश, भत्ते और पेन्शन के बारे में हैं, आर० एस० आर के अनुसार कोई आदमी लोन के लिये क्लेम नहीं कर सकता, जब तक कि इस प्रकार का प्रोविजन न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुप्रसाद।

श्री चन्दनमल वैद : साथ ही अन्य शर्तें इसमें लिखी हुई हैं कि जितनी दूसरी चीजें हैं वे लागू होंगी। ये नियम लागू हैं तो इसमें जो पॉवर्स दिये हैं वे सब लागू हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसीलिये तो पूछा है कि राजस्थान सर्विस रूल्स के तहत लोन देने का प्रोविजन नहीं है, उसके लिये स्पेशल रूल्स होते हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इन नियमों के अन्तर्गत किसी को लोन दिया हो तो बताइये कि किन किन को दिया है ?

श्री चन्दनमल वैद : कई पंचायत समितियों के अन्दर दिये हैं। लिस्ट दी जा सकती है। कई पंचायत समितियों ने हमसे पूछा है और हमने कहा है कि आप लोन दे सकते हैं अपनी आय में से।

बीड एलोट करने के प्रार्थना-पत्र

१४४. **श्री भानुप्रसाद कराड़िया** (चौमू) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) शिवडूंगरी बीड़, तहसील चाकसू जिला जयपुर के किन किन स्थानों के व्यक्तियों ने बीड़ एलॉट करने के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ?

(२) इन प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(३) क्या उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र भी हैं ?

(४) प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को बीड़ एलॉट किये जायेंगे या नहीं ? यदि किये जायेंगे, तो कब तक ?

उप-मंत्री, वन (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) शिवडूंगरी बीड़ की भूमि हेतु एलॉट कराने के लिये निम्न प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं :—

१. हरिजन बेला ग्राम श्योडूंगरी के २० परिवारों की ओर से

२. ग्राम छपरा के २६ अनुसूचित जाति के परिवारों की ओर से।

३. जानकी बल्लभपुरा, आजमनगर एवं रामपुरिया ग्रामवासियों से।

४. ग्राम सहकारी समिति मानपुर डूंगरी।

(२) तहसील चाकसू के भूमिहीन व्यक्तियों की जानकारी की गई।

(३) जी हां।

(४) जमीन एलॉट करने का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है जो नियमानुसार एलॉट करता है। वन विभाग ने इस बीड़ को राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है......

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय ने नहीं कहा, मंत्री ने कहा।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : वह गलत है। शिवडूंगरी, तहसील चाकसू के रहने वालों ने एक ही सहकारी समिति खोली है और उसमें सब शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ५ साल से बीड़ को एलॉट करने के लिये प्रयत्नशील हैं कि भूमि दी जाय। सोसाइटी को बनाये हुए इतना अर्सा हो गया। ३ महीनों तक और नहीं मिला तो सोसाइटी खत्म हो जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : २०.८.६३ को राज्य की ओर से आज्ञा निकल गई कि यह बीड़ राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाय। वहां से एलॉटमेन्ट नियमानुसार होगा।

इन्सपेक्टर आयुर्वेदिक औषधालय, भरतपुर के कार्यालय का ऑडिट

१४५. श्री रामकिशन (वैर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या इन्सपेक्टर, आयुर्वेदिक औषधालय, भरतपुर के कार्यालय का ऑडिट हर वर्ष होता है ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में हुआ है ? गत १० वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) यदि नहीं, तो गत कितने वर्षों से नहीं हुआ है और क्यों ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : (१) १९५४-५५ में महालेखापाल की ऑडिट पार्टी ने ऑडिट किया और उसके बाद में आयुर्वेद विभाग द्वारा और ऑडिट पार्टी द्वारा ऑडिट किया गया। ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री दौलतराम सारण)

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(ऑडिट रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालयमें रखी गई)

श्री दलपतसिंह (आबू) : सिंचाई के बारे में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जहां नहरों से सिंचाई करते हैं........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आयुर्वेद विभाग में सिंचाई कहां शुरू हो गई ?

श्री दलपतसिंह : मैं पहले वाले प्रश्न के बारे में पूछना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट,श्री हरिप्रसाद शर्मा

चम्बल की नहरों से पानी की सप्लाई

१४६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि चम्बल की नहरें प्रारम्भ करने के बाद किसानों को खेतों में पानी सप्लाई करने हेतु कहा गया था एवं पहले वर्ष में पिलाई नहीं लेने के लिये भी आश्वासन दिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि पानी ऐसे मौसम में छोड़ा था जब कि किसानों को सिर्फ १ पानी की पिलाई की आवश्यकता थी ?

(३) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा समय पर एवं मौके पर उचित ढंग से पिलाये जाने वाला रकबा दर्ज नहीं करके अधिक लिखा गया ?

(४) क्या यह सही है कि जब पानी की पिलाई के बिल बना कर टैक्स प्राप्त करने हेतु किसानों को दिये गये तो सारे क्षेत्रों में इसका विरोध किया गया था ?

(५) क्या यह सही है कि इस विरोध के फलस्वरूप जब मुख्य मंत्री से भेंट की गई तो उस वर्ष की वसूली तत्काल रोक दी गई ?

(६) क्या यह सही है कि गत वर्ष २ वर्ष की पिलाई व लगान एक साथ वसूल करने के आदेश दिये गये थे ?

(७) क्या यह सही है कि जनता के सही सुझाव को ठुकरा कर बिना जांच करवाये पुलिस की सहायता से कुर्कियां वारन्ट के द्वारा जबरदस्ती वसूली करवाई गई ?

(८) क्या इस सम्बन्ध में सरकार के द्वारा सही स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक नहीं था ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १४६ का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह बहुत पुराना प्रश्न है। १२ महीने हो गये, अब तक जवाब नहीं दिया गया।

श्री दौलतराम सारण : अगली बारी पर दे दिया जायगा इसका जवाब।

Page No 27

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आगामी अधिवेशन ६ महीने बाद शुरू होगा। एक साल के लगभग तो पहले ही बीत चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आगामी टर्न पर जवाब कौन देगा ? आपके तो इस्तीफे मंजूर हो जायेंगे।

उदयपुर में मेडिकल कॉलेज के लिये अवाप्त भूमि

१४७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) उदयपुर मेडिकल कॉलेज भवन के लिये व उसके अन्य क्षेत्र के लिये किन किन की कितनी कितनी जमीन एक्वायर की गई है ?

(२) जिनकी जमीनें एक्वायर की गईं उनको मुआवजा क्या क्या दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(३) जिन लोगों की जमीन ली गई उसका मुआवजा किस अधिकारी ने निश्चित किया और किस आधार पर ?

(४) क्या एक पेट्रोल पम्प की जमीन भी इसमें शामिल की गई है ? अगर हां, तो कितनी जमीन ली गई और उसका कितना मुआवजा व जमीन उसके मालिक को दी गई है ?

(५) जिन जिन लोगों की जमीन ली गई वह कितनी है ? क्या उनमें कोई मकानात भी बने हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी सूची प्राप्त नहीं हुई है।

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) उदयपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को भूमि अवाप्त की गई है :-

१. इस्माइल अली रजब अली बोहरा
१६,७३१ वर्ग फीट

२. सादिकअली बोहरा
१७,०१५ वर्ग फीट

३. रसूलजी बदरजी कत्थावाला बोहरा
१८,६०५ वर्ग फीट

४. देवगढ़ रावसाहब से
६६,०६५ वर्ग फीट

५. सिंघ विद्या मंदिर
१६,३६५ वर्ग फीट

६. राव साहब सलूम्बर से
३,२६,००० वर्ग फीट

७. गोरधनसिंह जी मेहता
२१,०२३ वर्ग फीट

(२) जमीन, मकानात व बागात की कीमत निम्न अनुसार दी गई है :-

१. इस्माइल अली रजब अली बोहरा
४६,२६०.८५ न० पै०

२. सादिक अली बोहरा
३६,२१३.८५ न० पै०

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

३. रसूलजी बन्नूजी कत्थावाला बोहरा
२,००,०००. ०० न० पै०

४. राव साहब देवगढ़
१,१३,८१७. ५६ न० पै०

५. सिंध विद्या मंदिर
४३,५१९. ०५ न० पै०

६. राव साहब सलूम्बर
३,७५,२७९. ०० न० पै०

७. गोरधनसिंह जी मेहता
८०,२३०. ०० न० पै०

(३) जिन जिन व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की गई उनकी बिल्डिंग्ज़ की एस्टीमेट निर्माण विभाग द्वारा तथा बगीचों की कीमत अधीक्षक, उद्यान विभाग द्वारा तथा जमीन की कीमत लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर, उदयपुर द्वारा दिया गया ।

(४) नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(५) जमीन की तादाद उत्तर सं० १ में अंकित है तथा सब ही में कुछ न कुछ मकानात बने हुए हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अब बताइये कि हारें तो कैसे हारें सुखाड़िया जी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी आपने जो नाप बताया है उसके अनुसार जिसकी कम जमीन ली है उसको ज्यादा रुपये दिये और जिसके पास से ज्यादा जमीन ली है उसको कम रुपये दिये हैं । यह किस आधार पर दिये हैं ? अगर लिस्ट होती तो पता चल जाता ।

श्री अध्यक्ष : वे बता चुके हैं कि किसको कितना दिया गया । सूची देखकर क्या करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिये लैंड एक्वायर करने के पहले इस बात का अंदाज लगाया था कि एक्वायर करने में लगभग ८ लाख रुपये खर्च होंगे और अन्यत्र सरकारी भूमि पर नयी बिल्डिंग बनाते तो थोड़े रुपये खर्च करने पड़ेंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस पर अवश्य ही विचार किया गया होगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को यह अंदाज था कि ८ लाख रुपये खर्च किये जायें एक्वीजीशन में, उसके बजाय नया बनाया जायगा तो वह बिल्डिंग अच्छी होगी, सस्ता होगी, दिखने में अच्छी होगी और ज्यादा स्पेशश होगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर आज मेडिकल कॉलेज है उसके पास ही उदयपुर का बड़ा अस्पताल है, जिसके पास ही बड़ी बड़ी हवेलियां हैं । दूसरा कॉलेज बनाया जाता तो अलग जगह लेनी पड़ती और इससे असुविधा होती । नयी बिल्डिंग बनानी पड़ती उसके

(श्री भीखाभाई)

बजाय पुरानी बिल्डिंग्ज़ को सुधारा गया है। मैं जब डिप्टी मिनिस्टर था तब से ही मुझे इसके बारे में मालूम है, कुछ लोग जोधपुर में खोलना चाहते थे।

श्री भैरोंसिह : उदयपुर मेडिकल कॉलेज के लिये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिये कितनी ग्रान्ट है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह अलग प्रश्न है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यदि १० लाख रुपयों की ग्रान्ट में से ८ लाख ९९ हजार रुपये केवल एक्वीज़ीशन में खर्च कर दिये तो राज्य सरकार को पहले सोचना चाहिये था कि १० लाख की कुल ग्रान्ट में से ८ लाख ९९ हजार रुपये एक्वीजीशन में खर्च करना कहां की बुद्धिमानी है ?

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न और है।........

श्री अध्यक्ष : पहले एक का तो उत्तर आने दीजिये।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि किसी प्रोपर्टी का, जो यूज़ हो रही है, कम्पेन्सेशन देते हैं। उसके लिए मशीनरी है, जो क्वाजी जुडिसियल मशीनरी है वह उसका असेसमेंट करती है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसमें सरकार की बदनीयति नहीं हो सकती है।

श्री भैरोंसिह : इस लैंड एक्वीजीशन के अन्दर क्या मार्केट वेल्यू असेस की है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल। यह सम्भव नहीं है।

श्री उमरावसिह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न........

श्री विजयसिह झाला (नाथद्वारा) : एक प्रश्न है, क्या यह सही है, इन व्यक्तियों ने, जब मेवाड़ गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था उस समय एप्लाई किया था। उसका यह निर्णय हुआ कि यह सरकारी जमीन है और इनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। जो कुछ हवेलियां सलूम्बर और देवगढ़ के राव साहब से ली गई थीं, उनके लिए मेवाड़ गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था कि यह सरकारी हैं, इसलिए मुआवजा नहीं देना चाहिए।

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य को है तो वे बताते, उस पर कार्यवाही की जाती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कहना मुनासिब नहीं है। यह सीरिअस केस है। मेवाड़ गवर्नमेंट ने ऐसे आदेश पास कर रखे हैं कि उन्हें कम्पेन्सेशन नहीं मिलना चाहिए। उन आदेशों की सरकार अवहेलना करती है और उनको कम्पेन्सेशन दिया गया है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट द्वारा फ्रॉड किया गया है। जो जोधपुर के बारे में केस है, वह मंत्रीजी, मैं अपील करूंगा कि वे जानकारी करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिन लोगों की जमीन ली गई हैं, उनको पैसा दिया गया है और उस पैसे के अलावा जितने वर्ग गज जमीन ली गई हैं उतनी सरकार द्वारा उनको एलॉट की गई है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is very serious, उसके बदले में जमीन दी गई।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जमीन के बदले में जमीन दी गई है और पैसा भी दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : कम्पेन्सेशन में कुछ हिस्सा जमीन का हो सकता है, कुछ हिस्सा पैसे का हो सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह मालूम पड़े कि मेडीकल कॉलेज के लिए जितना पैसा था उसमें से कितना पैसा जमीन पर खर्च कर सकते हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिन लोगों को पैसा दे दिया गया एक चीज का, जितना कि मिलना चाहिए था और मिलने के बाद उतनी की उतनी जमीन और दे दी गई ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जहां तक सदस्यों ने सूचना दी है कि इस जमीन पर हवेलियां बनी हुई हैं उनके सम्बन्ध में मेवाड़ गवर्नमेंट ने निर्णय दिया है तो इस बात का हमें पता नहीं है। हम जांच करा लेंगे और सूचना सच होगी, यह बात सच होगी तो इन लोगों को मुआवजा मेवाड़ गवर्नमेंट के एग्रीमेंट के हिसाब से दिया जायगा। दूसरा सवाल है, एक्वीजीशन का तो एक्वीजीशन एक्ट के नीचे क्वाजी जुडिसियल अवार्ड हुआ है, उसके अन्दर सारे मुद्दे आंक लिये गये हैं कि उस आदमी को कितने वर्ग गज जमीन और कितना रुपया लेने का हक है, उसके बाद उसमें कुछ रुपया दे दें और कुछ जमीन दे दें या पूरी की पूरी जमीन दे दें या पूरा का पूरा पैसा दे दें। यह कानून के मातहत अवार्ड दिया गया और उसके अनुसार कार्यवाही की गई। तो सरकार एक्ट के मातहत कानूनी कार्यवाही करना चाहती है। उसके अलावा किसी को ओब्लाइज करने और ज्यादा पेमेन्ट करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : रुपये के अतिरिक्त जमीन दी गई ? यह क्लेरीफाई कर दीजिये कि उस रुपये में जमीन आ गई है ? ऐसा तो नहीं है कि रुपये के अतिरिक्त जमीन दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : We want to know the facts.

श्री मथुरादास माथुर : यह बतायें कि किसको दिया गया है ?

श्री विजयसिंह झाला : जैसे मेहताब साहब का प्रश्न है। उनका बंगला लिया गया है, उसके बदले में पैसा दिया गया है और जमीन दी गई है। पैसा चुकाने के बाद में उसने मांग की कि जमीन चाहिए। क्या उसको असेसमेंट करके जमीन दी गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : हो सकता है कि बंगले की कीमत का पैसा दिया गया हो और जमीन की कीमत के बदले में जमीन दी गई हो।

श्री विजयसिंह झाला : एक महीने के बाद में मांग की और उसके बाद जमीन को दिया गया जब कि पैसा पूरा चुका दिया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We should know the fact whether, उनको अस्सी हजार रुपया दिया गया ? क्या उस अस्सी हजार के अलावा जमीन दी गई है या लैंड अस्सी हजार के अन्दर शामिल है ? After the payment of money the land was given afterwards.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य अलग से सवाल पूछ लें, उसके जवाब में सारी बातें बता देंगे। ये बातें इसमें कवर नहीं होती हैं कि कितना रुपया दिया गया, कितना एवजाना दिया गया। आप अलग से पूछ लें, मैं बता दूंगा।

श्री विजयसिंह झाला : कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय मंत्री से बंगला खरीदें तो क्या बंगले की कीमत अलग और जमीन की कीमत अलग वसूल करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, बंगले के आस-पास अहाता होता है। उस लैंड की कीमत का असेसमेंट होता है कि इतने स्वायर गज की इतनी कीमत हुई। बंगले का एस्टीमेट आंक लेते हैं, उसका कम्पेन्सेशन दे देते हैं। और अहाते की कीमत के लिए कोई कहे कि जमीन दे दो तो जमीन दे देते हैं और कोई कहे कि पैसा दे दो तो वैसा किया जा सकता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बंगले की जमीन की कीमत का असेसमेंट ज्यादा कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं। न तो मंत्री महोदय को पूरी बात मालूम है कि कितना दिया गया, कितना नहीं और न माननीय सदस्यों को, फिर बेकार क्यों बहस हो ?

श्री भैरोंसिंह : मैं विश्वास से कहता हूँ कि राजस्थान के बाहर से किसी इन्जीनिअर को बुला कर उससे इसका असेसमेंट कराया जाय तो मालूम हो जायगा कि ज्यादा कीमत

(श्री भैरोंसिंह)

दी गई है। यह कहते हैं कि लेंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत क्वाजी जुडीसियल ऑफिसर ने निर्णय दे दिया है और वह न्यायसंगत दिया है। राजस्थान सरकार किस प्रकार का न्याय-संगत निर्णय देती है, यह उस असेसमेंट के बाद साफ हो जायगा और सरकार की पोल खुल जायगी। मैंने वह मकान खुद जाकर देखा है। उसकी कीमत इतनी अधिक दी गई है कि सिर्फ जमीन को बेच कर वैसा मकान बनाया जा सकता है। गृह मंत्री मेरे साथ चलें, वे देख कर आयें या इस सदन के कोई माननीय सदस्य देख कर आयें। उसकी कीमत अधिक दी गई है और जान-बूझ कर दी गई है, और अपने लोगों को ओब्लाइज करने के लिए दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न है कि सरकार जांच के आदेश दे दे?

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

माही बांध के अन्तर्गत आई जमीन

*१४८. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बांसवाड़ा में माही बांध के अन्तर्गत आई हुई वहां के किसानों की जमीन के बदले जमीन देने के लिये सरकार ने अभी तक क्या व्यवस्था की है और अगर नहीं की है तो क्यों?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : यह कार्य अभी चालू नहीं हुआ है क्योंकि माही बांध का काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

श्री विट्ठल : सुनाई नहीं दिया।

श्री दौलतराम सारण : माही डेम का काम चालू नहीं हुआ है इसलिए यह काम अभी शुरू नहीं हुआ है।

श्री विट्ठल : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार से ऐसे आदेश हुए हैं कि जो डूब में आने वाले किसान हैं उनको न तो तकावी दी जाती है और न नये मकान बनाये जाते हैं, न राहत दी जाती है?

श्री दौलतराम सारण : जो लोग डूब में आयेंगे उनकी जमीन एक्वायर की जायगी और कानून के मुताबिक मुआवजा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : कायदे के अनुसार किस तरह मुआवजा मिलता है, यह सदन को अच्छी तरह मालूम है। इसलिए निवेदन है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का आप इमीजियेटली इस तरह प्लानिंग करें कि किस चीज का कितना कम्पेन्सेशन मिलेगा।

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : उसके लिए लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर की नियुक्ति हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत बार सुन चुके हैं। आप निश्चित तौर से व्यक्तिगत जानकारी

(श्री अध्यक्ष)

दिलचस्पी लेकर कीजिये । इस तरह के हमेंशा सवाल आते हैं कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में । This is just least attended by the Government as well as by the officers.

श्री भीखाभाई : जहां तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है, मैं निवेदन करूं कि उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी है और व्यक्तिगत दिलचस्पी से काम हो रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है और बड़े लोगों को दस गुना मुआवजा मिल जाता है, यह किस तरह की सरकार की नीति है ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह ।

घग्घर की बाढ़ मे गांवों की रक्षा

१४९. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ तहसील के गांव फतहपुर, टालिया, गाहड्डू और बूढ़सिंह वाला आदि को घग्घर नदी की बाढ़ से बचाने हेतु सन् १९६१-६२ में ५२ हजार रुपया मंजूर किया गया था ? यदि हां, तो इस राशि में से कितना खर्चा हुआ व कितना पूरा हो चुका है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : जी हां । हनुमानगढ़ तहसील के गांव फतहपुरा, ढालिया, गाहड्डू और बूड़सिंह वाला की आबादी को बचाने के लिये मिट्टी के बांध बनाने की मंजूरी ५२,८००) रु० की माह फरवरी, १९६२ में मिली थी । मंजूरी मिलने पर यह काम ग्राम पंचायतों को ठेके पर दे दिया गया था । मगर पंचायतों ने आगे कोई काम नहीं किया इसलिये इस कार्य में कोई खर्चा नहीं हो सका ।

श्री श्योपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने सूचना दी है, यह गलत दी है और सदन को धोखे में रखा है, इसकी जांच होनी चाहिए । उस पर काम हुआ है और तीन हजार का काम हुआ है । उसका एस्टीमेट बना है और ठेकेदार ने पैसे वसूल किये हैं । ये ५२ हजार रुपये चुनाव के एक महीने सैंक्शन हुए और जब काम शुरू करवाया गया १९६२ में । जो सूचना दी है वह गलत है ।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के मुताबिक आपका कहना सही नहीं है । मैं कहा रहा हूँ वह सही है । किसी ठेकेदार को कोई काम नहीं दिया गया । यह काम पंचायत के सुपुर्द किया गया और वर्क ऑर्डर के बेसिस पर काम शुरू हुआ । पंचायत ने इस काम को नहीं किया क्योंकि गांव वालों ने आपत्ति की । मेरी सूचना के मुताबिक अब तक काम शुरू नहीं हुआ है ।

श्री श्योपतसिंह : गांव वाले उस काम को करें तो आप उसको करने के लिए तैयार हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल' ।

छात्रावासों में ज्वार का आटा

१५०. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने छात्रावास आदिवासी तथा हरिजनों के लिये चलाये जा रहे हैं और कहां कहां ?

(२) इन छात्रावासों में गेहूँ का आटा न देकर ज्वार का आटा क्यों खिलाया जाता है ?

(३) भरतपुर व कोटा के छात्रावासों में गेहूँ के आटे का भाव किस रेट पर टेन्डर द्वारा स्वीकार किया गया ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इन छात्रावासों में गेहूँ का आटा व मोटा आटा दोनों के देने की व्यवस्था है जो २।३ गेहूँ का आटा और १।३ मोटा आटा के रूप में दिया जाता है। मोटे आटे में ज्वार, बाजरा व मक्का सम्मिलित है और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मोटा आटा दिया जाता है।

(३) भरतपुर जिले के छात्रावासों में ४५.३० रुपये प्रति क्विंटल और कोटा जिले के छात्रावासों में ४७ रुपये प्रति क्विंटल की दर से टेन्डर द्वारा गेहूँ का आटा स्वीकृत किया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आटा खरीदने के नियम, जो सरकारी छात्रावास चल रहे हैं, उन पर लागू होते हैं और जो संस्थायें चलाती हैं उन पर भी, जो सरकारी ऐड से चलते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो सरकार द्वारा चलाये जाते हैं उनकी व्यवस्था का विवरण मैंने दिया।

श्री भैरोंसिंह : बाकी की संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों पर ये नियम लागू हैं या नहीं कि टेन्डर से सामान खरीदा जायगा ? इस प्रकार के नियम उन संस्थाओं पर लागू होते हैं या नहीं जो गैर सरकारी संस्थायें हैं और जो छात्रावास चलाती हैं ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखा भाई) : जी नहीं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) : क्या यह सही है कि छात्रावास में रहने वाले

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

विद्यार्थियों के लिए नाश्ते का प्रोवीजन भी है, लेकिन किसी भी छात्रावास में किसी भी विद्यार्थी को नाश्ता नहीं मिलता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने स्वयं ने जाकर देखा है। यह नहीं हो रहा था, तो उसी समय आदेश दिये गये कि तुरन्त चालू किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कई स्थानों पर ऑडिट रिपोर्ट में छात्रावासों में गेहूँ के आटे के स्थान पर ज्वार का आटा खिलाया जाना साबित हुआ है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है ।

श्री भैरोंसिंह : कोटा और भरतपुर की बात कहना चाहता हूँ कि कई छात्रावासों में ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार गेहूँ के आटे के स्थान पर ज्वार का आटा खिलाया जाना साबित हुआ है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : केवल ज्वार का नहीं, परन्तु ज्वार और गेहूँ का मिक्सड दिया जाता है। उसकी सूचना मैंने स्वयं ने पढ़ी है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है अधिकांश रिपोर्टों में यह लिखा है कि गेहूँ का आटा नहीं खिलाया जाता है और अधिकांशतः ज्वार का आटा खिलाया जाता है और आपके विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है तो उन्होंने कहा कि कम रुपया मिलता है इसलिए गेहूँ का खर्चा नहीं चला सकते ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है आज आप कह रहे हैं तो इसकी जांच कर ली जायगी ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : छात्रावासों में लड़कों को ज्वार का आटा खिलाया जाता है और उसमें भी कीटाणु हो जाते हैं, इसलिए नहीं खाया जाता है। छात्रावास में पढ़ने वाले छात्र रहते हैं तो ऐसा मोटा आटा खाकर कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे सफल हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

एक माननीय सदस्य : रोटी चुपड़ी दी जाती है या बगैर चुपड़ी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, २-३ प्रश्न और रह गये हैं। वे इम्पोर्टेन्ट हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। आज बहुत सारे विधेयक हैं इसलिए उनमें समय देना आवश्यक है ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

Page No 36

(३. ३४, म० ५०)

बिजलीघर व वाटर वर्क्स के मंजदूरों की भूख हड़ताल सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और वाटर वर्क्स के मंजदूरों द्वारा उनकी मांगों के सम्बन्ध में भूख-हड़ताल करने के बारे में श्री कुमारानन्द और श्री विजयसिंह झाला ने स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि अगले सप्ताह में इस सम्बन्ध में सारी विस्तृत जानकारी के बाद वक्तव्य देंगे। मैं समझता हूँ कि इन समस्याओं का उससे निराकरण हो जायगा।.

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, आज से उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है इसलिए राजा साहब आज ही कोई स्टेटमेंट दे दें तो अच्छा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्कर्स ने आज से भूख-हड़ताल शुरू कर दी हैं, इसलिए देरी करना उचित नहीं है। राजा साहब ने कहा था कि उनसे बुलाकर बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने की नहीं। अभी कोई स्टेटमेंट दे दें राजा साहब तो अच्छा हो।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में इतने लम्बे अर्से के बाद अगर कोई वक्तव्य दें तो स्थगन-प्रस्ताव का महत्व समाप्त हो जाता है। उसके पीछे एक इच्छा होती है। आज आस-पास के अन्दर और सारी जगहों से तार आये हैं और सारे लोगों ने मांग की है कि भूख-हड़ताल करेंगे, तो आज सारे राजस्थान के सारे गांवों में जहां कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिजली घर है सब ने भूख-हड़ताल प्रारम्भ कर दी है। एक ओर तो इतनी भयानक स्थिति है और दूसरी ओर मंत्रीजी बातचीत करेंगे........

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय सदन को कह चुके हैं कि वे तारीख २३,२४,२५ को प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं और सारे मसलों पर विचार-विमर्श करके उसके बाद में जो निर्णय होगा उसके बारे में सदन को अवगत करायेंगे।

श्री कुमारानन्द : २३,२४,२५ को सब को नहीं बुलाया है। राजा साहब ने एक यूनियन बनाया है उसके वर्कर्स को बुलाया है और युनियनों को नहीं बुलाया है। इसलिए राजा साहब स्टेटमेंट दे दें अभी तो बहुत अच्छा है।

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : झगड़ा बुलाने का रह गया है वर्कर्स की मांगों का कोई सवाल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : बाद में देने से क्या मतलब है ? इन्टक के लोगों को बुलाकर बातचीत करके बाद में वक्तव्य देंगे।

(श्री मुरलीधर व्यास)

लेकिन परिस्थिति आज हमारे सामने है। आज जो स्थिति है उसके बारे में आज वक्तव्य दे दें। इन्टक को बुलाकर बातचीत करेंगे....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !! Shri Ramanand.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि काफी लम्बे अर्से से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मजदूर अपनी मांगें गवर्नमेंट के सामने रखते आ रहे हैं। काफी अर्से से गवर्नमेंट की तरफ से कोई विचार नहीं हुआ। उन्होंने तार देकर गवर्नमेंट को सूचना दी है कि २२ तारीख तक उनकी मांगें मन्जूर नहीं हुई तो मजबूर होकर २३ तारीख से भूख–हड़ताल करेंगे। इसलिए मंत्री महोदय के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे हाउस को अवगत करायें कि उनकी क्या मांगें हैं और गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि उन पर विचार नहीं करना चाहती और उनको बातचीत के लिए बुलाना नहीं चाहती। उससे हाउस को पूरी तरह से अवगत कराना चाहिए। सारे राजस्थान में एसेन्शियल सर्विसेज् में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। बहुत भयंकर स्थिति आज डेवलप होती जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से चुप्पी साधी जाय तो किस तरह से होगा ! इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भयंकर स्थिति राजस्थान में पैदा हुई है कहा है, इससे मैं इत्तफाक कत्तई नहीं करता हूँ। आज सुबह सिर्फ ४ तार आये हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने तारीख २३–२४–२५ को वर्कर्स की डिमान्ड्स को कन्सीडर करने के लिए मीटिंग बुलाई है। उसकी आज की मीटिंग अभी हो गई है। तो राजस्थान सरकार जागरूक है।

श्री कुमारानन्द : On a ponit of information, आपने किस किस को बुलाया है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, आप और बात कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वर्कर्स फैडरेशन को बुलाया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य उत्तेजित न हों। बात करें तो आसानी से रखें, उत्तेजना का क्या प्रश्न है !

श्री मुरलीधर व्यास : वर्कर्स का कहा जाता है....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order please !! माननीय सदस्य कह चुके हैं कि उनको मान्यता प्राप्त को बुलाना चाहिए। आप दूसरी ओर जा रहे हैं सदन का वातावरण बिगाड़ने के लिए। शोर करने से या तेज आवाज से थोड़े ही बुलाया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके कहने के मुताबिक आवाज तेज हो सकती है, परन्तु वाकई सही बात है ।

श्री अध्यक्ष : यह आप कई दफा कह चुके हैं, कोई नई बात नहीं कही है ।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : (श्री मुरलीधर व्यास के बोलने पर) Order ! Order !! शान्त रहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : जो वर्कर्स की डिमान्ड्स आई हैं उन डिमान्ड्स को कन्सीडर करने के लिए सरकार ने तीन दिन के लिए मीटिंग बुलाई है । जो पब्लिक सेक्टर मेरे पास पास में है उसमें सरकार और जो वर्कर्स हैं और अधिकारीगण हैं वे बैठकर जो उनके मसले हैं उन पर विचार करेंगे और उचित निर्णय लेंगे ।

अब रहा सवाल जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आपने फैडरेशन को नहीं बुलाया । जो रिकौग्नाइज्ड फैडरेशन नहीं है उसको क्यों बुलाऊं, और दूसरा यह सवाल है कि एज् एन एम्प्लॉयर मेरी मर्जी में है कि किसी से बात कर सकता हूँ । तो मैं अपने अधिकारों के अन्दर हूँ, और मैं वर्कर्स से बातचीत कर रहा हूँ ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो कोड ऑफ कन्डक्ट बना हुआ है जिसकी सरकार भी एक पार्टी है उसके प्रति खुद को इमानदार रहना चाहिए । यह सही है कि मंत्री महोदय एम्लॉयर के रूप में हैं, लेकिन इन्होंने जिन फेडरेशन्स को बुला कर बात की और उससे एग्रीमेंट किया या किये हैं वे एग्रीमेंट इस किस्म के हैं कि जो युनियन्स उस फैडरेशन के मेम्बर नहीं हैं उन यूनियन्स ने गवर्नमेंट से पहले से ज्यादा अधिकार प्राप्त किये हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने अपनी यूनियन्स के जरिये इस तरीके के एग्रीमेंट किये हैं कि जो अधिकार पहले से मिले हुए हैं वर्कर्स को उनसे भी कम अधिकार उनको दिये जायं । उनसे उनके अधिकार बढ़ने के बजाय कम हो गये हैं तो किस प्रकार से उनको मजदूरों के हित में कहा जासकता है या ऐसी यूनियन्स को मजदूरों की रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन्स कहा जा सकता है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मिसाल के तौर पर बताऊं कि जोधपुर पॉवर हाउस में टेम्पोरेरी वर्कर्स थे उनको सन्डे पहले से ही मिला करता था । अब ऐसा हुआ है कि जयपुर की यूनियन ने एग्रीमेंट करके यह फेसला किया है कि दो साल से जिसने केजुअल वर्क किया है उसे सन्डे मिला करेगा, जब कि जोधपुर पॉवर हाउस में इस प्रकार कोई कन्डीशन्स नहीं थीं । इस तरीके से जब कि यह स्थिति है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से नया फैडरेशन खड़ा करके गैर-कानूनी तरीके से पुरानी फैडरेशन की मान्यता समाप्त करके नये को दी और ऐसी नई यूनियन्स को बुलाया है ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो ऐसी भी यूनियन्स हैं कि जिनकी उन सेन्टर्स पर बड़ी मेजोरिटी है तो उन यूनियन्स को जरूर बुलाइये। वे इन्डिवीजुअल तरीके से नोटिस दे रही हैं और उन्होंने अपनी डिमान्ड्स आपके सामने रखी हैं तो उन यूनियन्स को बुलाकर उनकी डिमान्ड्स के बारे में गवर्नमेंट को बातचीत करना चाहिए। यह बात अलग है कि आप उनको सेटिस्फाई कर सकें या न कर सकें, लेकिन ऐसी हालत में जब इस फेडरेशन को जिसको कि आप बुला रहे हैं उसकी टोटेलिटी डिस्प्यूटेड है, सबजुडिस है, केस अदालत में चल रहा है। ऐसी हालत में आप दूसरी यूनियन्स को नहीं बुला कर बात करें तो यह किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य ने फरमाया कि ....

श्री कुमारानन्द : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्कर्स ने अपने नाम राजा साहब के पास भेजे हैं, राजा साहब चाहते तो उनको बुला सकते थे, उनको समझा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिये राजा साहब पर चार्ज है कि जो लोग भूख-हड़ताल कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी राजा साहब पर है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने सुना है कि भूख हड़ताल नहीं, टोकन हड़ताल है। आइडिया जो मुझे कन्वे किया गया है वह टोकन हड़ताल का है, सुबह खायेंगे और शाम को नहीं खायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको भूख हड़ताल का तजुर्बा नहीं है, आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो वर्कर्स हैं जिन्होंने एमर्जेन्सी में केवल 'टोकन हड़ताल करके जाहिर किया है। एमर्जेन्सी के समय में बजाय इसके कि मन्त्री महोदय इसको एप्रेशियेट करते, मजदूरों का मजाक उडायें यह रेस्पोन्सिबिलिटी की बात नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। क्या गवर्नमेंट चाहती है कि प्रेसिपिटेन्ट एक्शन फौरन ले लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : गैर सरकारी विधायी कार्य। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल, १९६३........

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ क्लेरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ। जो माननीन सदस्य ने फरमाया कि उनकी यूनियन को नहीं बुलाया जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन्स का फेडरेशन है, उसका रिकॉग्निशन रजिस्टेशन लेबर डिपार्टमेंट ने करवाया, रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स ने उसको रजिस्टर किया है और कहा कि this is the sole representation of the workers. इसके बाद उसका रिकॉग्निशन किया है पानी और बिजली दोनों में किया है, उसके बाद उसको बुलाया है। आप फरमा रहे हैं कि अन्रिकोग्नाइज्ड को बुलाया है, यह गलत है। These are all recognised bodies, registered bodies.

(श्री हरिश्चन्द्र)

तो जो भी कार्यवाही सरकार कर रही है ठीक कर रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह फेडरेशन है, इसके रिप्रेजेन्ट करने को बहुत सी यूनियन्स डिस्प्यूट करती हैं, वह झगड़ा अभी चल रहा है। यह आपकी नोलेज में है। पुरानी यूनियन्स हैं जो इससे एफिलियेटेड नहीं हैं, वे आपके सामने रिप्रेजेन्ट करती हैं, उनको आपने नहीं बुलाया।

श्री चन्दनमल वैद : वे कौनसी यूनियन्स हैं ?

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : कॉम्युनिस्ट इन्फ्लुएन्सड बॉडीज़ हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया इनकी बात क्यों नहीं मानी कांग्रेस की बात क्यों मानी, जो रजिस्टर्ड हैं उनको क्यों बुलाया, यह उनकी मंशा है।

How can we convince a man against a will.

श्री मुरलीधर व्यास : यह फेडरेशन का सवाल नहीं, फेडरेशन के अन्तर्गत यूनियन्स हैं, पर ऐसी भी बहुत सी यूनियन्स हैं जिन्होंने अलग से मांग की है, जैसे जैसलमेर, फलोदी की यूनियन्स हैं वे किसी से एफिलियेटेड नहीं हैं। ऐसी यूनियन्स भूख हड़ताल पर हैं, उनसे बात नहीं करें और कहें कि फेडरेशन को मान्यता दे दी है तो फेडरेशन के अतिरिक्त दूसरी यूनियन्स हैं, उनकी अलग स्टेन्डिंग है उनको बुला कर बात क्यों नहीं करते ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह बात यूनिट लेवल पर हो सकती है। कल उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन-प्रस्ताव रखा उनको मैंने कहा कि रीकॉन्सिलियेशन की कार्यवाही जारी है। कोई आपको डिफिकल्टी हो, या यूनिट लेवल पर बात होती है तो इसमें कोई रुकावट नहीं है !

श्री मुरलीधर व्यास : १७-१८ जगह से तार आये हैं, उनमें से जिनको चाहें बुला लीजिये। मैं तार पेश कर दूं।

श्री प्रतापसिंह : Please don't try to exaggerate the fact.

(३.४५ म. प.)

गैर सरकारी सदस्य विधेयक

(क) औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३

(विचारार्थ अस्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : गैर सरकारी विधायी कार्य। इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल १९६३, श्री कुमारानन्द !

बहस प्रारम्भ करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर देना चाहता हूँ कि तीन विधेयकों को आज लेना है, इन पर विचार करना है करीब ६ बजे इस पहले बिल पर

(श्री अध्यक्ष)

मतदान हो जायगा, फिर साढ़े सात बजे दूसरे पर और इसके बाद थोड़ा सा समय रहेगा, उसमें तीसरे विधेयक पर विचार किया जायगा। माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री कुमारानन्द !

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना बिल पेश करने से पहले मजदूरों के आन्दोलन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। राजस्थान, ऐसा देखा गया है और हमारा अनुभव भी ऐसा है कि राजस्थान में मजदूर आन्दोलनों में आम जनता कम दिलचस्पी लेती है और इस बात को हम भूल जाते हैं कि उद्योग-धंधे राजस्थान में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इनके साथ ही साथ मजदूर आन्दोलन और मजदूर यूनियन्स बल पकड़ रहे हैं। हमारा राजस्थान इन्डस्ट्रियली बेकवर्ड होने के कारण यहां पर मजदूर आन्दोलनों के महत्व को हम समझ नहीं सकते हैं। पेपर्स में हम पढ़ते हैं कि बम्बई में मजदूरों की हड़ताल में, म्युनिसिपल कर्मचारियों की हड़ताल में, उनकी सहानुभूति में पूरा बॉम्बे पेरेलाइज हो गया था तो इससे हम देखते हैं कि दुनिया को बदलने की कुंजी मजदूरों के हाथ में है, इसलिये मजदूर, they are revolutionary; ....क्रान्ति के अग्रदूत अगुआ कहे जाते हैं। मजदूरों के हाथ में वह हथियार है कि बिना लड़ाई अपने अपने संगठन से मजदूर दुनिया को बदल सकते हैं, पेरेलाइज कर सकते हैं। रेल्वे, ट्राम, हवाई जहाज, जहाज, रास्ते में काम करने वाले, ट्रान्सपोर्ट में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले जितने मजदूर हैं, संगठित हो जायें तो बिना लड़ाई, बिना रक्तपात के दुनिया को बदल सकते हैं और समाजवाद कायम कर सकते हैं।

कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद कायम करना है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। कई साल पहले भारत के कुछ नौजवानों ने, भगतसिंह ने एसेम्बली में बॉम्ब छोड़ा था। १६२६ के मार्च में मजदूरों के नेता गिरफ्तार हुए थे और बिना कानून, अंग्रेजी सरकार के राज्य में बिना नोटिस दिये उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला। उस वक्त एसेम्बली, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें एक बिल लाया गया जो मजदूर आन्दोलन के खिलाफ था। बिना कारण गिरफ्तार किया। उसके विरोध में भगतसिंह ने एसेम्बली में बॉम्ब फेंका और स्टेटमेंट दिया कि जो मजदूर मिल में कपड़ा बनाते हैं, फाइन, मीडियम, रफ सब तरह का कपड़ा बनाते हैं उनके बदन पर पहिनने को कपड़ा नहीं है, जो किसान खेतों में फसल पैदा करते हैं, उनके पास खाने को अन्न नहीं है। इसलिये आज से कितने ही साल पहले मेरट कॉन्स्पिरेसी केस का एक नौजवान फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। वह दुनिया को, हिन्दुस्तान को होशियार कर गया कि आप अगर हिन्दुस्तान में समाजवाद लाना चाहते हैं तो मजदूर आन्दोलन को मजबूत बनाना पड़ेगा।

(श्री कुमारानन्द)

मैं एक बात और कह कर अपने प्रस्ताव पर आता हूँ। १९०५ में बंग-भंग का आन्दोलन शुरू हुआ तो हम लोग, कुछ नौजवान, गांवों में जाकर किसानों को समझाते थे कि आजादी के आन्दोलन में हिस्सा लेना चाहिये। एक किसान ने पूछा था। हम उस वक्त समाजवाद नहीं समझते थे, सोश्यलिज्म नहीं समझते थे, कम्युनिज्म नहीं जानते थे। उस वक्त हम केवल एक ही चीज जानते थे और वह थी देश की आजादी। उसी के लिए मस्त थे और हर प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार थे। एक किसान ने पूछा था कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो किसानों की दशा सुधरेगी या नहीं? आपकी आजादी में हमें क्या फायदा होगा? आज वह बात बार-बार याद आती है। राजस्थान में हम देखते हैं कि राजस्थान के लोग मजदूर आन्दोलन में उदासीन हैं। बीकानेर में मजदूरों ने पहला आन्दोलन किया था, पलाना लिग्नाइट में। एक जगह पर दस मजदूर काम कर रहे हैं और एक जगह पर पांच मजदूर काम कर रहे हैं। लिग्नाइट की खान बन्द पड़ी है। कब शुरू होगी? इससे पता चलता है कि सरकार मजदूर आन्दोलन के प्रति जागरूक नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कॉम्युनिस्ट हो, यदि वह जिन्दा रहना चाहती है तो वह मदूजरों से, मजदूर आन्दोलनों से आगे नहीं रह सकती। यही बात कह कर मैं अब बिल पर आता हूँ।

राजस्थान इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, १९५८ की दफा ३४ के मातहत उसमें अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं। गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया का इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, १९४७ था उसमें राजस्थान सरकार ने अमेन्डमेन्ट करके एक्ट बनाया और अब उसमें अमेन्डमेन्ट लाया गया है। वह इस प्रकार है। पहला जो अमन्डमेन्ट है, १९५८ में राजस्थान सरकार ने जो एक्ट बनाया उसमें कई प्रकार की खामियां हैं, इसलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमने यह रखा है, इसमें इस तरह का सुधार होना चाहिये।

"Where two or more Unions, fulfilling the conditions necessary for registration under this Act, apply for registration in respect of same Unit of any industry, the Union having the support of the majority of the workmen employed in the Unit of the Industry shall be registered, the majority being determined through the ballot boxes."

इसका कारण क्या है? मैं इसका कारण बताता हूँ। जैसा मैंने कहा १९५८ का जो एक्ट है उसमें काफी खामियां हैं। रजिस्टर्ड यूनियन के कागजों की, फाइलों की, उसके मेम्बरशिप की कि कितनी मेम्बरशिप है, उसकी जांच करने का लेबर कमिश्नर को अधिकार होता है जो किसी यूनियन को फेवर करता है, सरकार के इन्फ्लुएन्स में होने के कारण ठीक

Page No 43

(श्री कुमारानन्द)

प्रकार से जस्टिस नहीं करता है और कांग्रेस के जो सिविलियन्स हैं उन्हें उत्साह देता है। इसलिए बहुत सी यूनियनें ऐसी भी हैं जो अपनी पोकेट से पैसा भर देती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि किसी यूनियन में हैं तो पांच सौ मेम्बर्स लेकिन दिखाये जावेंगे दो हजार। अपनी जेब से या कहीं से पैसा लाकर भर दिया और ऐसा कह सकते हैं कि हमारी यूनियन की दो हजार की मेम्बरशिप है। इस प्रकार की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए हमने ऐसा रखा है कि इन्डस्ट्रियल अमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत मेजोरिटी यूनियन कौन हैं, बैलट से ही निर्धारण इसका होना चाहिये। ओरीजिनल में यह है कि जिस यूनियन में जितने मजदूर होंगे उसको अगर पचास परसेन्ट मेम्बरशिप हो तो उसको मान्यता दे दी जायगी। दो यूनियन्स हों और तीसरी यूनियन हो तो उस समय झगड़ा होता है कि मेजोरिटी और माइनोरिटी किसकी है। एक जगह में दो-तीन यूनियन्स हैं और मेम्बरशिप दिखायी है उस वक्त रजिस्ट्रार फाइनल फैसला देगा। इसलिए सबसे अच्छा यह होगा कि बैलट के जरिये यह तय कर लिया जाय कि किस की मेम्बरशिप ज्यादा है। मेरा जो यह अमेन्डमेन्ट है वह ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स की इच्छा को प्रतिपादित करता है। ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स में जो लोग आये थे उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है। रेश्यो में, नम्बर में ज्यादा हैं और दो प्रकार के रिप्रेजेन्टेटिव्ज जाते हैं तो उस समय हमारी तरफ का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको रखें, कौन यूनियन में कितनी मेम्बरशिप है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, मेजोरिटी किसके पीछे है यह सब जो है वह बैलट से ही तय हो सकता है। एग्जाम्पल काफी दे सकते हैं। हमारे जितने लेबर कमिश्नर, लेबर ऑफिसर्स होते हैं, लेबर इन्स्पेक्टर्स होते हैं, ज्यादा करके वे मालिकों की ही तरफदारी करते हैं। जो कोई भी एग्जाम्पल आपको दिखती है उसी में आपको मालूम पड़ेगा कि यह किस तरह से होता है। टैक्सटाइल लेबर यूनियन, पाली, इसकी एग्जाम्पल देखें। यह हमारा ही कहना नहीं है। राजस्थान के इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने अनाउन्स किया है कि यह अनडिस्प्यूटेड मेजोरिटी यूनियन है। १९६० से उसने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई किया इसलिए कि उसको मान्यता दी जाय लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसके बाद यहां भी एप्लाई किया, ऑब्जेक्शन करना चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।

(४. म० १०)

आपके लेबर कमिश्नर की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से दूसरी यूनियन आइ० एन० टी० यू० सी० के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं मांगा, किसी ने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज दो-दो साल के करीब हो गये और सरकार के विचार में है कि इनको मान्यता

(श्री कुमारानन्द)

दें कि नहीं। यदि कोई आइ० एन० टी० यू० सी० की यूनियन है तो हम आपको बतलायेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बिना एन्क्वायरी किये ही जैसा कि हमने आपको कहा कि पाली की यूनियन को तीन साल हो गये और सरकार जानती है और गवर्नमेंट जानती है कि इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने कमेन्ट्स किया है, लेबर एडवाइजरी बोर्ड ने इस बात को माना, लेबर कमिश्नर ने इस बात को माना है, लेबर मिनिस्टर ने इस बात को माना है कि टेक्स्टाइल यूनियन मेजोरिटी यूनियन है, अनडिस्प्यूटेड मेजोरिटी यूनियन है और उसने जब मान्यता की दर्ख्वास्त की है लेकिन आज तक हिचकिचा रही है, गवर्नमेंट उसको मान्यता देने से। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि वह ए० आई० टी० यू० सी० से सम्बन्धित यूनियन है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जैसा हमने रखा है कि अगर आज भी सरकार, गवर्नमेंट मजदूरों के साथ ईमानदारी करना चाहती है, मजदूर आन्दोलन में फूट नहीं पैदा करना चाहती है तो सबसे अच्छी बात है कि बैलट बॉक्स से तय हो जाय, यदि इन्टक की मेजोरिटी हो तो उसको मान्यता दें, हिन्द मजदूर सभा की मेजोरिटी हो तो उसको मान्यता दें, जनसंघ की कोई यूनियन है और उसकी मेजोरिटी हो तो उसको मान्यता दें, ए० आई० टी० यू० सी० की मेजोरिटी होगी तो उसको मान्यता दें। बैलट बॉक्स ऐसा सिस्टम है कि जिसको बिना किसी हैजिटेशन के सरकार को मान लेना चाहिए।

मैं और एक्जाम्पल दूंगा और आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से आपकी जो युनियन आज पैदा हुई, कल रजिस्टर्ड हुई और उसको मान्यता दे दी और ए० आई० टी० यू० सी० वालों ने पहले यूनियन बनाई साल भर और जो आज भी मेजोरिटी मेम्बरशिप में है लेकिन उसको आज तक मान्यता देने की बात छोड़ कर रजिस्टर्ड भी नहीं किया है। इस प्रकार का जो अन्याय है, जो अनडेमोक्रेटिक है, जो गैर-प्रजातान्त्रिक है, इसको दूर करने के लिए हमने यह रखा है कि किसी यूनियन को मान्यता देने का सबसे सीधा रास्ता है।

आपकी कॉटन टेक्सटाइल मिल, उदयपुर में जो मजदूरों की यूनियन है वह ए० आई० टी० यू० सी० के मातहत है उसने एप्लाई किया है अक्टूबर १९६१ और नवम्बर १९६२ में साल भर के बाद में। आपने दूसरा यूनियन बनाया, लेकिन जिनकी मेम्बरशिप ज्यादा है उनको हर तरह से दबाने की कोशिश की, उनके लीडर्स को गिरफ्तार करके जेल में डाला। उनके लोगों को भूख-हड़ताल करनी पड़ी। उसको आज तक मान्यता नहीं दी, रजिस्टर्ड नहीं किया और उसके थोड़े ही दिनों के बाद, उसके करीब बहुत दिनों बाद दूसरी युनियन बनी, करीब दो साल के बाद आइ० एन० टी० यू० सी० की युनियन बनी उसको रजिस्टर्ड कर दिया, उसकी एन्क्वायरी नहीं की

(श्री कुमारानन्द)

जो कि जरूरी है, और उस यूनियन को मान्यता दे दी, और हमारे लोगों की आज तक सुनाई नहीं हुई। यह अन्याय हो रहा है। यह चीज हमारे ही साथ नहीं। भीलवाड़े में समाजवादी पार्टी की यूनियन जो कई बार कह चुकी है कि हमारी यूनियन मेजोरिटी यूनियन है, हमारी यूनियन में मेजोरिटी मेम्बरशिप है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट हिचकिचा रही है मान्यता देने में। जनसंघ की यूनियन बनती हैं और वह मेजोरिटी में होती है तो उसको मान्यता कर दें........

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कोटा पधारिये।

श्री कुमारानन्द : इसलिए मैंने बिल में रखा है कि बैलट बॉक्स से तय करें।

उदयपुर की एक और मिसाल देता हूँ कि उदयपुर में पी० डब्लू० डी० वर्कर्स यूनियन बहुत पहले बनी। वह १७-१२-६२ को यूनियन बन गई और वह यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ख्वास्त कर चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट हर तरह से बहाना करती रही है। बहुत दिनों बाद इन्टक ने यूनियन बनाई, आपके इन्स्टीगेशन पर बनी है, ऑनरेबल राजा साहब के इन्स्टीगेशन पर एक यूनियन बनाई गई है। माननीय ऑनरेबलर मिनिस्टर फोर पी० डब्लू० डी०, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पॉवर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वाटर वर्क्स, माननीय राजा साहब हरिश्चन्द्रजी के इन्स्टीगेशन पर यूनियन बनाई गई, उस यूनियन को झट करके मान्यता दे दी और उस यूनियन को हालांकि उनकी यूनियन की मेम्बरशिप ५०० और उसकी ८० है। हम चैलेन्ज करके बतला सकते हैं। बैलट बॉक्स से मालूम पड़ जायगा कि कहां पर मेम्बरशिप ज्यादा है। इसलिए मैं इस प्रकार जो यह पॉलिसी है वह अनडेमोक्रेटिक है, यह पालिसी जो है गैर-प्रजातान्त्रिक है। अगर आप यह चाहते हैं कि इस तरह से जबरदस्ती दूसरी यूनियनों को दबाकर पार्श्यलिटी करके इस तरह से आप चाहते हैं दबाना तो आप नही दबा सकते हैं। मैं अपने कांग्रेस भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि एक संस्था है कांग्रेस, जिसका एक रेकॉर्ड रहा है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया है और चोटी के व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति भारत के इस आपकी संस्था के नेता रह चुके हैं। कांग्रेस एक दिन ऐसी थी कि संसार की सबसे बड़ी शक्तिशाली और सबसे बड़ी डिसिप्लिन्ड संस्था थी, आज उसी कांग्रेस की दुर्दशा देखकर नेहरूजी कहते हैं, सब कांग्रेस के नेता कहते हैं, कांग्रेस के इस हाउस में मेम्बर्स बैठे हुए हैं उनके दिलों में दुःख नहीं है। जितना कि मेरे दिल में है क्योंकि मैं भी २५ वर्ष तक इस संस्था में काम कर चुका हूँ, आज वह संस्था जैसा कि मैंने लास्ट असेम्बली (सैशन) में कहा था कि डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। One of the biggest and most disciplined organisation in the world has now

(श्री कुमारानन्द)

become a sinking boat, यह मैंने पहले कहा था। इसलिए मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि यूनियन के मजदूरों में फूट कर मजदूर आन्दोलन को दबाने की सरकार से मिलकर जो कोशिश करते हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं । यह कभी चल नहीं सकता है । कांग्रेस ने काफी कोशिश की है । हिन्दुस्तान में गांन्धीजी द्वारा नॉन-कोऑपरेशन का आन्दोलन १९२० में इसलिए प्रारम्भ हुआ था कि १९१९ में पंजाब में जलियानवाला काण्ड हुआ था । आप चाहते हैं, कि जुल्म करके, अत्याचार करके, पार्श्यलिटी से आप चाहते हैं कि दूसरी संस्थाओं की यूनियन को दबायें तो आप दबा नहीं सकते ।

तो इसलिये आज मैं आपसे पार्थना करता हूँ इस बात के लिये, मजदूर संगठन के लिये अच्छा है, आप इस बात को मान जायें कि बैलट बॉक्स के जरिये से यूनियन का बहुमत जाना जाय कि कौन मेजोरिटी और कौन माइनोरिटी में है, यह बैलट बोक्स से तय होना चाहिये। मैं कहता हूँ कि आज से नहीं, सन् १९२८–२९ और ३० से जब कि आज के हमारे केन्द्रीय मजदूर व श्रम मंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा अहमदाबाद मजदूर यूनियन के मंत्री थे तब मैंने उनसे कहा था कि झंडों-वंडों की बातें तो जाने दो, but there should be one union in one industry. हम अपनी राजनैतिक कॉन्फ्रेन्सेज में कांग्रेस, कॉम्युनिस्ट या दूसरी पार्टीवाले अपने अपने झंडे लगावें, अपनी अपनी राजनैतिक संस्थाओं में हम अपने अपने झंडे इस्तेमाल करें लेकिन मजदूर संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिये there should be one union in one industry और यह बैलट बॉक्स के जरिये तय हो सकता है कि कौन मैजोरिटी में है और कौन माइनोरिटी में ।

मैं माननीय श्रम मंत्रीजी से कहूँगा कि हमारा इसमें एक और संशोधन यह है कि जैसे चार आना मेम्बरशिप है, ४ आने का चंदा देने से जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है वह वोट का अधिकारी हो सकता है, उसके बजाय हमने इसमें यह रखा है कि किसी भी इन्डस्ट्री में काम करने वाला मजदूर जो ३ महीनों से इस फैक्ट्री में या इस इन्डस्ट्री में काम करता है और उसका नाम दर्ज है वह चाहे मेम्बर हो या न हो, ३ महीने उसको काम करते हो गये हैं तो वह वोट देने का अधिकारी है । एक संशोधन यह रखा, हालांकि आपके फंक्शन्स एंड प्रिवलेजेज एक्ट में हैं, इसलिये इसमें इस तरह रखा कि रिप्रेजेन्टेटिव मीटिंग में जाने के लिये या अपनी तरफ से कार्य करने के लिये रखा हुआ है उनको यह भी राइट होगा कि अपनी यूनियन की तरफ से, मजदूरों की तरफ से सरकार के सामने उनका प्रतिनिधित्व करे । दूसरे फंक्शन्स उसको रिप्रेजेन्ट करने के लिये डाइरेक्टिव के लिये, एग्रीमेन्ट करने के लिये दियें हुए हैं और सम्मेलन के

(श्री कुमारानन्द)

लिये, मेलों के लिये चंदा उगाहने या कलेक्शन करने का राइट भी उसको है और उनको नोटिस निकालने का, बोर्ड लगाने का अपनी तरफ से और जहां कॉन्फ्रेन्स हो, जल्से हों उनमें जाने के लिये अधिकार दिये हैं। ८-१० छोटे-मोटे इस प्रकार के फंक्शन्स रखे हैं जो हमारे ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया ट्रिपर्टाइट कॉन्फ्रेन्स के लिये हैं और राजस्थान इन्डस्ट्रियल बोर्ड के लिये हैं। इस तरह से हमने रखे हैं। मैं आपके सामने बाद में कहूँगा जब जवाब का मौका आयेगा। मैं आपके सामने यह बिल पेश करता हूँ और आशा करता हूँ कि यूनेनिमसली यह हाउस इसको मंजूर कर ले।

एक और बात आपसे कहता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या क्या अन्याय होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कई जगह अन्याय करते हैं। २४-२५ को कॉन्फ्रेन्स हुई पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में हमारे यहां क्या क्या है ? हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पब्लिक सेक्टर में है, वाटरवर्क्स पब्लिक सेक्टर में है, पी० डब्ल्यू० डी० पब्लिक सेक्टर में है और राजस्थान रोडवेज पब्लिक सेक्टर में है। ये जितने पब्लिक सेक्टर हैं उनमें सिर्फ हमारी जो आई. एन. टी. यू. है उनके मेम्बर्स को ही बुलाया और वे भी सब एक साथ नहीं हुए। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज फूट का तरीका इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आई. एन. टी. यू. के मेम्बर आई०एन० टी०यू०से ही आपस में लड़ पड़ते हैं। हमारे यहां एक सज्जन, मैं उनको जानता नहीं हूँ, नाम सुना है, माननीय दुर्गावतजी हैं, बृजसुन्दर जी जो इसके प्रेसिडेन्ट हैं उनके खिलाफ हैं। बृजसुन्दरजी कोई मजदूर नेता नहीं हैं ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बृजसुन्दरजी कौन हैं ?

श्री कुमारानंद : बृजसुन्दरजी हमारे यहां के मेम्बर हैं। दुर्गावतजी कहते हैं कि बृजसुन्दरजी कब से आ गये, हालांकि वे आई. एन. टी.यू. के प्रेसिडेन्ट हैं। इस प्रकार से आई. एन. टी. यू. का आई. एन. टी. यू. से आपस में झगड़ा पड़ गया।

कुछ माननीय सदस्य इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज कर सर्क्यूलेट कराना चाहते थे, उनको जवाब बाद में देना चाहूँगा। इसलिये यह बिल मैं आपके सामने पेश करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बृजमोहनजी ब्यावर वाले कहते थे कि मैं आपके संशोधन को स्वीकार कर लूंगा।

श्री कुमारानंद : मोशन आपको पढ़ कर सुनाता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्वामीजी, बृजमोहनजी यह कहते हैं कि आपके संशोधन को लेबर मिनिस्टर बनने के बाद स्वीकार करूंगा। आपका क्या विचार है ?

Page No 48

श्री कुमारानंद : इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ यह है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को प्रस्ताव करना है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री कुमारानंद : Should I read the whole amendment Bill......

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, केवल दो लाइन पढ़ दीजिये।

श्री कुमारानंद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री मथुरेशविहारी।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री कुमारानंदजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हुआ यह प्रस्ताव रखूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसमें खास करके चार आधारों पर अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य ने रखा है। पहला यह है कि जिस समय यूनियन के सदस्य बनते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के अन्दर दिया गया है कि वह केवल संख्या के आधार पर होगा, यानी जिस यूनियन के ज्यादा मजदूर सदस्य हैं उनके आधार पर रजिस्ट्रेशन करा लिया जाय और अब इस अमेन्डमेन्ट का आशय यह है कि जितने भी मजदूर इस क्षेत्र में यूनियन में काम करने वाले हैं और जो ३ महीनों से कार्य करता है उसको मत देने का अधिकार हो, चाहे वह सदस्य है या नहीं, इस आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये।

जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है आज के युग में जो मजदूर जिस यूनियन को चाहे उसमें जाने का उसको पूरा अधिकार होना चाहिये। पर प्रेक्टिस में ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ। ये रजिस्ट्रेशन भी पूरे पक्षपात के आधार पर हुए हैं। इसके कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। उदयपुर कॉटन मिल्स के अन्दर जो राष्ट्रीय मजदूर संघ है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसकी एक छोटी सी हड़ताल वहां हुई। उसके अन्दर राष्ट्रीय मजदूर संघ के महामन्त्री श्री दुर्गावत का क्या हाल रहा, यह मैं बताता हूँ।

जिस यूनियन को मान्यता दी गई, उसके पीछे कितने मजदूर थे और जिसने हड़ताल चलाई उसके पीछे कितने थे। कॉटन मिल में ४०० मजदूर हैं और जिस समय हड़ताल हुई तो उसमें ३५० ने भाग लिया। इसके उपरान्त भी श्री दुर्गावत वहां भाषण देने

(श्री विजयसिंह झाला)

आये तो एक भी मजदूर सुनने को नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय मजदूर संघ को मान्यता है। वहां पर महामन्त्री को कोई सुनने नहीं आया और जो मान्यता प्राप्त यूनियन है उसमें कितने मजदूर दिलचस्पी लेते हैं और कितनों का सहयोग और सदस्यता उसमें है यह हमें देखना है। मजे की बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कहने को होता है संख्या के आधार पर। तो हो सकता है केवल दबाव में आकर कि कोई मजदूर किसी यूनियन का सदस्य बनता हो।

जैसे चार आना देकर कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का तरीका है और उस पर डिक्लेअर किया जाता है कि कांग्रेस में इतने सदस्य हो गये, उसी प्रकार इस मजदूर संघ में भी यूनियनों में पैसे के आधार पर सदस्य बनाये जा सकते हैं और फिर उनको मान्यता बिना जांच किये रजिस्ट्रार दे देता है।

इसके बाद में अब असलियत में मजदूरों के हित का उनकी मांगों को मनवाने का सवाल आता है उस समय यह राष्ट्रीय मजदूर संघ या कोई भी अन्य संगठन संख्या के आधार पर जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, वे उनका सही हल नहीं सोच सकते। तो जो अमेन्ड-मेन्ट माननीय कुमारानन्दजी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस आधार पर वह संशोधन लाया गया है उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। उसके बारे में रेक्टिफिकेशन और कुछ एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। एक यूनियन का क्षेत्र एक जगह बहुत लम्बा चौड़ा होता है तो जिस वक्त बैलट पेपर होंगे तो उस लम्बे चौडे क्षेत्र के मजदूरों को एक जगह किस प्रकार इकट्ठा किया जावेगा या मत उनका किस ढंग से लिया जावेगा उस पर कुछ संशोधन और करने पड़ेगे।

(४. २३ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मजदूरों और अफसरों के सम्बन्धों पर भी विचार करना पड़ेगा. राजनैतिक पार्टियों और मजदूरों के बीच के सम्बन्धों पर भी विचार करना पड़ेगा। एक जगह एक ने यूनियन बनाई और वहीं दूसरे ने बनाई या बनाना चालू किया और इसको लेकर वहां पर झगड़ा हुआ तो इस बारे में भी सीरियसली सोचना पड़ेगा कि केवल राजनैतिक पार्टियां अपने इन्टेरेस्ट को लेकर मजदूरों में झगड़ा और बगावत फैलाती हैं या कोई सरकारी अफसर या ऐसे अफसर जो किन्हीं राजनैतिक पार्टियों से सम्बन्धित हैं उन राजनैतिक पार्टियों को खुश करने के लिये ऐसे अफसर किसी यूनियन को गलत तरीके से भंग करता है तो इस पर भी सोचना आवश्यक है। इसके एक दो उदाह-रण मैं पेश करना चाहता हूँ।

मुझे ऐसा मालूम हुआ, आज मजदूरों से मैंने कुछ बातचीत की थी तब कि स्वयं

Page No 50

(श्री विजयसिंह झाला)

एक मन्त्री महोदय ने भीलवाड़ा में जाकर राष्ट्रीय मजदूर संघ की यूनियन के फार्म स्वयं अपने हाथों से भरवाये और इसी तरह वहां एक ट्रान्सपोर्ट यूनियन बनाने में भी उनका पूरा सहयोग रहा। मैं नहीं समझता कि जिस विभाग के वे मन्त्री हैं वे अगर अपनी यूनियन इस तरह खुले आम सामने आकर बनाते हैं तो इसके बाद में जब किसी प्रकार का मजदूरों का हित और अहित का सवाल आवेगा तो यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उस समय वे मन्त्री महोदय सैद्धान्तिक रूप से सब मजदूरों का सामूहिक हित नहीं देखेंगे वे केवल अपनी यूनियन के सदस्यों के अलावा दूसरों की किसी की बात नहीं सुनेंगे।

इसी का नतीजा है कि पी. डब्लू. डी फेडरेशन जिसके छः हजार सदस्य हैं जिनका संयुक्त मोर्चा बना हुआ है उस फेडरेशन को राजस्थान में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और उसके बजाय इसी फेडरेशन में से एक टुकड़ा जो अलग हो गया था और अजमेर में जिसकी एक छोटी सी यूनियन पी.डब्लू.डी. की बनी उसकी तरफ से श्री गणपतिलाल वर्मा को राजस्थान का रिप्रेजेन्टेशन करने के लिये फेडरेशन की जगह बुलाया गया। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इसमें शर्म की कौनसी बात है ?

श्री विजयसिंह झाला : शर्म की बात इसलिये कि जो यूनियन राजस्थान को रिप्रेजेन्ट नहीं करती उसको तो बुलाया और जिसके साथ आठ हजार सदस्य हैं उसको रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन कर दूं कि जो सत्तारूढ़ शासक दल की पार्टी के विरूद्ध अपनी कोई यूनियन बनाता है तो उसको खत्म करने के लिये ही राजस्थान सरकार के अफसरों का उपयोग किया जाता है। यह मेरा खुला आरोप है उन पर। इसके उदाहरण भी पेश करना चाहता हूँ। हमारे उदयपुर के श्री जगदम्बा लाल माथुर जो सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर हैं वे जहां कहीं जाते हैं तो उनका काम ही यही है कि विरोधी पार्टी की मजदूर यूनियन अगर कहीं मजबूत होती है तो वे वहां राष्ट्रीय मजदूर संघ की यूनियन का निर्माण करते हैं और उसके साथ में एक भगवतीप्रसाद नाम का मिस्त्री केवल इसलिये दिया हुआ है, जो कहने को खानसामा का काम करता है, पर यूनियन इस तरह की बनाने के काम में उसकी मदद करता है। वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि मजदूरों में फूट डालता है, उनमें से कुछ को फोड़कर उनको जगदम्बालाल माथुर से मिलाता है और मजदूरों में इस तरह से विभाजन कराने की कोशिशें करता है। वे जयपुर गये, जोधपुर गये, कोटा गया

Page No 51

(श्री विजयसिंह झाला)

और अब वापिस उदयपुर आये है। भगवती प्रसाद लगातार उनके साथ हैं। उसको १०५) रु० तनख्वाह देते हैं। कहने को काम करता है खानसामे का, पर मजदूरों में विभाजन कराने में उनका हाथ बटाता फिरता है।

अभी तारीख १६ जुलाई को राष्ट्रीय मजदूर संघ का जलसा वहां था, उसके अन्दर सरकारी मोटर नम्बर आर. जे. वाई ६४६ जिसमें असिस्टेन्ट इन्जीनियर श्री किशनलाल बैठे थे विभिन्न जगहों पर जाकर मजदूरों को मोटर में बैठा कर लाये। चारभुजा और खेरवाड़ा भी गये। नेशनल हाईवे पर काम करने वाले मजदूरों को भी तारीख १८ को लाया गया। तो इस प्रकार ये अफसर और सरकार के मन्त्री अपनी किसी खास यूनियन विशेष में हित रखकर काम करते हैं। इसके बाद आॅपोजीशन की यूनियनों को अगर वे अपना कोई वाद लेकर उनके पास जावेंगे भी तो वे क्या सुनेंगे उनको तो क्या कोई सही निर्णय देंगे ? यह सीधी सी बात है। कोई भी समझ सकता है।

इसके अलावा इस अमेन्डमेन्ट में रिप्रेजेन्टेशन के सम्बन्ध में अधिकारियों के अधिकारों के बारे में भी कुछ विवेचन है, जो आवश्यक विवरण दिये जाते वक्त सेटों का समर्थन करते हैं और इसलिये करते हैं कि जब एक यूनियन चलाते हैं तो उसको जोइन करने के लिये आदमी जाता है तो आठ-दस दिन जिस प्रकार की व्यवस्था इसमें दी गई है वह होनी चाहिये। पर इसके साथ, ही मैं इसमें कुछ और जुठाना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेन्ट के साथ यह भी होना आवश्यक हो कि जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनके साथ वहां के अधिकारियों का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिये। आज ज्यादातर बाहर के राजनैतिक पार्टी के सदस्य कार्यकारिणी में होते हैं और वे राजनैतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं। यदि कोई वहां का स्थानीय मजदूर रहा तो उसके साथ स्थानीय अफसरों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है और उसको डिसमिस या ट्रान्सफर करने की कोशिश की जाती है।

पी. डब्लू .डी. कर्मचारी संघ जो उदयपुर में बना हुआ है उसमें जनसंघ का होल्ड है। इसका नतीजा यह होता है कि वहां की कार्यकारिणी में चूंकि सारे के सारे सदस्य मजदूर हैं, बाहर का कोई नहीं, उस कार्यकारिणी के अध्यक्ष का तो कोई तीन सौ मील दूर ट्रन्सिफर कर दिया गया। महामन्त्री को निकाल दिया गया, सहमन्त्री को निकाल दिया गया और आज सारा कार्यकारिणी में से एक भी वहां नहीं है। नतीजा यह हुआ कि बाहर की पार्टियों के लोग वहां होते हैं और उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज कार्यकारिणी के सदस्य बनते हैं।

(श्री विजयसिंह झाला)

मैं समझता हूँ, यदि कोई यूनियन बनी और उसके कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन सदस्यों का व्यवहार उस ऑफिसर के साथ अच्छा हो तो एक यूनियन सही रूप में मजदूरों के हित में चल सकती है। अभी पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी यूनियन के मंत्री सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर से मिलने गये कुछ बातें लेकर, तो उन्होंने कहा कि तुम तो हमारे नौकर हो, हम तुम्हारी बात क्या सुनें ? आखिर यूनियन के सेक्रेटरी किसी ऑफिसर के सामने जाते हैं और मजदूरों के हित की बात उनसे कहते हैं तो उस ऑफिसर को यह नहीं कहना चाहिये कि वह तो नौकर है, मैं उससे बात करना पसन्द नहीं करूंगा। जब मंत्रीजी के पास आकर कहते हैं तो वे भी कहते हैं कि तुम नौकर हो, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। जहां तक राइट का सवाल है हाई कोर्ट का फैसला हुआ है कि यूनियन के सदस्यों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार मिला है। यदि वे सरकारी कर्मचारियों की आलोचना करें तो आलोचना जिम्मेदार अफ़सरों को सुननी चाहिये, सही बात सुनने का माद्दा अफसरों में होना चाहिये क्योंकि जब तक सही बात यूनियन के मजदूरों के बारे में यूनियन के कर्मचारी नहीं कहेंगे तब तक यूनियन का सवाल हल नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मैं समझता हूँ, यूनियन के जो कार्यकर्ता होते हैं........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट और लूंगा। उनको और भी अधिकार प्राप्त होने चाहिये। सबसे बड़ा अधिकार यूनियन के सदस्यों को यह होना चाहिये कि वहां जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको खत्म कर सकें और वह कैसे खत्म हो सकता है इसकी एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ।

अभी कुछ दिन पहले एक जगह एक मिस्त्री सीमेन्ट की जगह मट्टी लगा रहा था, उसको कहा गया कि सीमेन्ट की जगह मट्टी क्यों लगाते हो तो उस आदमी को इसलिये निकाल दिया गया कि हम जो कर रहे हैं वह सही है, इसके बारे में तुम नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ यूनियन के सदस्यों को यह अधिकार दिया जाय कि जहां पर निर्माण-कार्य हो रहा हो उसमें भ्रष्टाचार फैलता नजर आवे तो उसको डाइरेक्टली लिखने का अधिकार मिलना चाहिये और उसके लिखे हुए पर कार्यवाही होनी चाहिये। तो एक अफसर का संबंध मजदूरों के साथ किस प्रकार होना चाहिये और मजदूर यूनियन के कार्यकारिणी को किस प्रकार का अधिकार मिलना चाहिये, इन सारी बातों का समर्थन करता हुआ भी मैं महसूस करता हूँ कि इस बिल में कुछ और बातें भी बढ़ाना आवश्यक है।

तीसरी बात रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के बारे में हैं। मैं समझता हूँ नया रजिस्ट्रेशन

(श्री विजयसिंह झाला)

होता है। मान लीजिये राष्ट्रीय मजदूर संघ का, जैसे कॉटन मिल और पी० डब्ल्यु० डी० कर्मचारी संघ का उदाहरण दिया, उनका जल्दी जल्दी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उनका विरोध करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है तो बगैर नोटिस के भी कैंसिल हुआ है इसलिये संशोधन में नोटिस देने का रखा है जब तक पूरी ऑपोरचुनिटी सुनने की न मिले तब तक कैंसलेशन नहीं होना चाहिये। वोट का अधिकार तय होना चाहिये। नयी यूनियन बनाई उसको ज्यादा मजदूरों का समर्थन प्राप्त हो तभी पहले वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिये।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी महसूस करता हूँ कि इसमें कुछ और बातें बढ़ाना आवश्यक है इसलिये प्रस्ताव रखता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मेरा भी प्रस्ताव इस प्रकार का है।

मूल रूप से इस बिल के द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है उसकी मंशा यह है कि प्रतिनिधि यूनीयन्स को तय करने का जो तरीका इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की तहत रखा गया है उसका इम्प्लीमेन्टेशन और एग्जीक्यूशन राज्य सरकार ने एक प्रकार से नहीं किया और क्योंकि राज्य सरकार इसका इम्प्लीमेन्टेशन करने में बिल्कुल फेल हुई है इस कारण इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। यदि राज्य सरकार, जो भी प्रावधान कानून में रखे गये थे कि दो यूनियन्स में से बहुमत मेम्बर्स का जिस यूनीयन को प्राप्त है उस यूनियन को मान्यता प्रदान कर देंगे, यदि राज्य सरकार इस प्रकार की मान्यता बहुमत सदस्यों वाले यूनियन को प्रदान कर देती तो मेरे ख्याल से इस बिल के द्वारा जो संशोधन लाया जा रहा है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया इसलिये इस बिल के द्वारा संशोधन पेश किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक संशोधन के सिद्धान्त का सवाल है मैं इसका समर्थन करना चाहता हूँ। लेकिन विस्तार के तौर पर मैं यह चाहूँगा कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में और भी बहुत से संशोधन करने की आवश्यकता है। जो बिल सदन में पारित होकर सन् ६१ में एक्ट के रूप में आया वह नाकाफी है और जो परिस्थिति हमारे सामने आई है औद्योगिक झगड़ों के बारे में, राज्य सरकार का उनके प्रति क्या रवैया होना चाहिये यह तय करना आवश्यक है, इसलिये मेरा यह प्रस्ताव होगा कि इस संशोधन को जो कि ब्यावर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कंसीडर करने के लिये और दूसरे संशोधनों को कंसीडर करने के लिये एक प्रवर समिति का गठन किया जाना चाहिये। लेकिन इस प्रवर समिति का जो स्कोप हो वह सिर्फ इस बिल को कंसीडर करना ही न हो बल्कि बहुत सी बातों को कंसीडर करने का होना चाहिये। वह किन किन बातों को कंसीडर करे, मैं तफसील में सुझाव सदन में रखना चाहता हूँ।

सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार राज्य सरकार जो ऑब्लीगेशन्स और कर्त्तव्य पिछले एक्ट ने राज्य सरकार पर डाले थे उनको निभाने में फेल हुई। इसके बारे में कई उदाहरण रखना चाहता हूँ। दो प्रतिनिधि यूनियन्स में डिस्प्यूट होता है, राज्य सरकार दो साल तक निर्णय नहीं करती कि कौन सा यूनियन प्रतिनिधि यूनियन है। दोनों यूनियन्स एप्लाई करते हैं। एक ही इन्डस्ट्री में दोनों प्रतिष्ठित हैं। दोनों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिये प्रतिनिधि यूनियन होने के लिये, वे दोनों में हैं। उनके पास कोई आधार नहीं है सिवाय इसके कि लेबर कमिश्नर को एप्लाई करदें और उन दोनों के एप्लाई करने के बाद मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि लेबर कमिश्नर के यहां इस प्रकार का हाल हो रहा है कि दो दो साल तक तय नहीं करते हैं और पचासों यनियन्स के केसेज लेबर कमिश्नर के सामने पड़े हैं। मैं यदि यह एलीगेशन लगाऊं श्रम मंत्रीजी पर कि वे दोनों में से एक में इन्ट्रेस्टेड हैं और उस विशेष यूनियन में जो ऑल इन्डिया बेसिस पर है उसमें इन्टरेस्टेड हैं, यह कहूँ तो गलती नहीं होगी। मैं ये एलीगेशन्स इसलिये नहीं लगाना चाहता कि एक दूसरे मंत्री का असर उन पर है, वे रिज़र्व रहना चाहते हैं। मौजूदा श्रम मंत्रीजी के लिये मैं यह कहूँगा कि वे बहुत भले, सिम्पल और सरल आदमी हैं, लेकिन लेबर लॉ बहुत कॉम्पलीकेटेड है और मोडर्न सिविलाइजेशन में जिस तरह से इन्डस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है उसी तरह से लेबर कॉम्पलीकेशन भी बढ़ रहा है। इस प्रकार के कॉम्प्लीकेशन्स को तय करने के लिये और लेबर लॉज़ को इम्पलीमेन्ट करने के लिये मैं महसूस करता हूँ कि वर्तमान लेबर मिनिस्टर में वह काबलियत नहीं है जो होनी चाहिये। लेकिन मेरा एलीगेशन साफ है। मैं यहां तक कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वर्तमान मंत्री ही नहीं, बल्कि उनसे पहले जो मंत्री थे, मेरी उनके बारे में राय उनकी योग्यता के बारे में अच्छी नहीं है। और इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि इस राज्य की कांग्रेस सरकार श्रम विभाग को ऐसे हाथों में रखना चाहती है जो मजदूर हितैषी नहीं है, जो मजदूरों को राहत नहीं दिला सकता और जो लेबर लॉज़ को इम्प्लीमेन्ट नहीं करा सकता है और जिसके हाथ में मजदूरों का हित सुरक्षित नहीं है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आज लेबर कमिश्नर आई० ए० एस० हैं। उनके नीचे डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं और फिर असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर्स हैं, पूरी फौज है, लेकिन फिर भी लॉज़ का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता है।

हालांकि लेबर मिनिस्टर इस सदन के लिए जिम्मेदार हैं। फिर भी लेबर कमिश्नर, असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर की जिम्मेदारियां कम नहीं हैं। क्या कोई कारण बता सकता है कि किस किस कारण से दो-दो साल तक डिस्प्यूट पड़े रहते हैं। लेबर इन्स्पेक्टर्स चले जाते हैं, दस-बीस वर्कर्स से बात करने में तीन महीने की तारीख पड़ जाती है, फिर तीन महीने बाद इन्स्पेक्टर जाता है, डिस्प्यूट तय नहीं होते हैं और रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का मसला तय करने में सालों लग जाते हैं। जब तक उसका मसला तय न हो, कानून में प्रावधान प्रतिनिधि यूनियन का है, राज्य सरकार ने एक चीज गढ़ ली है कि इस यूनियन को रिकॉग्नाइज़ करना। मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार जो असली प्रतिनिधि यूनियन है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है एक्ट के तहत। राज्य सरकार रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन घोषित कर सकती है, लेकिन वह घोषित नहीं करती। राज्य सरकार उन प्रावधानों को दबा कर रिकॉग्नाइज़ कर लेती है। रिकॉग्नाइज़ किसको कर लेती है? जिसका झंडा तिरंगा होता है, जो इन्टक से सम्बंधित हो उसको वह रिकॉग्नाइज कर लेती है; उसका बहुमत है या नहीं, इसकी कोई चिन्ता नहीं। उदयपुर की कोटन मिल की जिस यूनियन को रिकॉग्नाइज़ किया गया उसकी मेम्बरशिप पचास भी नहीं थी और जिस ने हड़ताल करायी उसकी मेम्बरशिप ३५० थी। लेकिन चूंकि वह यूनियन दुर्गावतजी की खास थी, वे इन्टक के नेता थे? उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया।

आप इन्टक से दिलचस्पी लेते हैं, हमें इसमें कोई एतराज नहीं, हम स्वीकार करते हैं, इन्टक के जल्सों में आप जा सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन कानून के अन्तर्गत जिन सिद्धान्तों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप पर है आप उसकी रक्षा नहीं करते। सिद्धान्तों की जिम्मेदारी आप पर होते हुए भी आप उनकी रक्षा नहीं करते तो सिद्धान्तों की हत्या करने वाला मिनिस्टर और सत्ता, ज्यादा दिन तक राज्य नहीं कर सकते। मेजोरिटी यूनियन बनाती है, रिप्रेजेन्टेटिव कैरेक्टर नहीं मिलता है। दो-दो साल तक सेक्रेटरी लेबर कमिश्नर के दफ्तर की जूतियां चटकाता फिरता है। मैं मानता हूँ यह शोभा की चीज नहीं है।

अभी जो संशोधन श्री कुमारानन्दजी ने रखा है इसका तरीका यह निकाला है कि बैलट बॉक्स से तय कराया जाय, इसको सरकार पर न छोड़ा जाय। सरकार पर आज तक जिम्मेदारी छोड़ी उसका परिणाम यह हुआ है कि सरकार निकम्मी साबित हुई है। जब सिद्धान्त पूरे नहीं होते हैं तो इसका एक तरीका यह है

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि इसको बैलट बॉक्स से ही तय कराया जाय। इसमें जो बैलट बॉक्स का सिद्धान्त डाला गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है उनके कन्सीडरेशन के लिए विचार पेश करना चाहता हूं कि किसी इन्डस्ट्री में १,२०० मजदूर हैं और ट्रेड यूनियन दो हैं। एक की ३०० और दूसरी की २०० संख्या है। बैलट बॉक्स का अधिकार उन पांच सौ को दिया जाय जो किसी न किसी ट्रेड यूनियन से सम्बन्धित हैं। १,२०० तक उसको एक्सटेन्ड न किया जाय जो किसी से सम्बन्धित नहीं है। यदि अधिकार उनको दिया जाय जो किसी से सम्बन्धित नहीं है तो कुमारानन्दजी स्वीकार करेंगे। ट्रेड यूनियन बनाने की जो प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। आज ट्रेड यूनियन्स को हम मजबूत बनाना चाहते हैं। प्रवर समिति यह विचार करे कि १,२०० मजदूरों को दे दें जो उसमें हैं या उसके लिए सुरक्षित रखें जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन्स के मेम्बर्स हैं। मेरी राय में इस अधिकार को सुरक्षित करना पड़ेगा और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनिट और अर्ज करना चाहता हूँ। मैं श्रम मंत्री जी के लिये अर्ज करना चाहूँगा कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट राजस्थान संशोधन एक्ट आपने बना रखा है और जो नयी परिस्थिति सामने आई है इसके लिए आवश्यक अमेन्डमेन्ट्स प्रवर समिति के सामने लाये जाने चाहिये और श्रम मंत्री विचार करें, सरकार खुद इस प्रकार का बिल ले आये, मेरे खयाल से ओम्नीबस रूप में सब सिद्धान्त उसमें दिखायें, प्रतिनिधि यूनियन के सिद्धान्त भी उसमें दिखायें तो मेरे विचार से परिस्थितियों के ज्यादा अनुकूल होगा इसलिए मेरा निवेदन है कि श्रम मंत्रीजी इस पर विचार करें। जो इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो रहा है उसको क्रियान्वित कराया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग की स्थिति के बारे में जैसा मैंने अर्ज किया रिप्रेजेन्टेटिव कैरेक्टर तैयार नहीं होता है। उसके साथ यह कहना चाहूँगा कि छः छः महीने तक कन्सीलियेशन प्रोसिडिंग्ज स्टार्ट नहीं होतीं। झगड़े की सूचना लेबर इन्स्पेक्टर को दी जाती है। रिपोर्ट तैयार भी हो जाती है तो छः महीने तक नहीं भेजी जाती है। छः महीने बाद यदि सरकार के पास भी आगयी तो दो दो साल तक मंत्रीजी उस पर सोये रहते हैं और फैसला नहीं करते हैं। श्रम विभाग की जो नीति है, रिकन्सिलियेशन टाइम पर हो, श्रम मंत्रीजी देखेंगे कि १४ दिन के अन्दर फेलयोर रिपोर्ट चली जानी चाहिये जिस दिन से कन्सीलियेशन होता है। प्रत्येक चीज का कानून का उलंघन आपके विभाग के द्वारा किया जाता है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

न तो समय पर कन्सिलियेशन होता है, न समय पर फेल्योर रिपोर्ट होती है, तो फिर आपके विभाग को रख कर क्या करें, लाखों रुपया आपके विभाग पर खर्च करते हैं, उसका जस्टिफिकेशन हमें करके नहीं दिखाया।

राजस्थान के मजदूरों के लिए श्रम न्यायालय भी एक प्रकार से बन्द है। दो साल तक लेबर ट्रिब्यूनल के जज का अपोइन्टमेन्ट नहीं किया। अपोइन्टमेन्ट भी किया तो बम्बई के एक जज का जिसकी मृत्यु हो गयी थी, उसको आखिर कर दिया।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : कोई अपोइन्टमेन्ट, नहीं किया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : स्वर्ग लोक से उतर कर पहुँचे तो नहीं ?

श्री भीखाभाई : न स्वर्ग लोक से आये न ही अपोइन्टमेन्ट किया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दो साल तक अपोइन्टमेन्ट न करना कोई शोभाजनक नहीं है। नये मुकदमे भी कहां पेश होते ? लेबर ट्रिब्यूनल में कोई जज नहीं था। इस-लिए मेरा निवेदन है कि डिपार्टमेन्ट आज किस प्रकार से फन्कशन करता है उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। मुख्य मंत्रीजी ऐसे मंत्री को यह विभाग दे दे जो लेबर की इन्टीकेसी को जानता हो और श्री भीखाभाई से मेरा निवेदन है कि अब तो वैसे ही त्याग-पत्र का जमाना आ गया है, कम से कम वे अपना श्रम विभाग से तो त्याग-पत्र दे दें, यह उनके वश का नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल दो मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Very little time.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं कॉन्क्लूड ही कर रहा हूँ।

मैं यह भी कहूँगा कि माननीय मंत्रीजी का स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ पर भी कोई होल्ड नहीं है। जहां तक स्टेट अन्डरटेकिंग्ज़ में काम करने का सवाल है, जो उसकी मीटिंग्ज़ हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के केसेज़ वगैरह में वे माननीय मंत्रीजी अपनी मर्जी आये उसी प्रकार के फैसले कर लेते हैं और ट्रिपर्टाइट कॉन्फ्रेन्स के फैसले उसमें लागू होते हैं या नहीं, श्रम मंत्रालय उसको देखने में असफल रहा है। पी.डब्ल्यू.डी. के इन्चार्ज हैं, गवर्नमेन्ट प्रेस, इलेक्ट्रिसिटी आदि, उनके लिए निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी विभाग उनके पास हैं, प्रत्येक विभाग में उन्होंने कोशिश की है, वे प्रत्येक आदमी खड़ा करलें, मैं स्ट्रोंग शब्द यूज़ नहीं करना चाहता कि वे कोई दलाल खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वे प्रत्येक विभाग की यूनियन में इन्टरफियर करते हैं और हर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

विभाग में उनके आदमी रखे हुए हैं। प्रत्येक मजदूर यह कहते हुए सुना गया है कि दामोदरजी मोरिया या दुर्गावत से मिल लो हरिश्चन्द्रजी की सम्बन्धित लेबर यूनियन का काम कर सकते हैं। दामोदर मोरिया या दुर्गावत कोई भी हो पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर को रबर स्टेम्प की तरह यूज करने लग गये तो शोभाजनक नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने काफी कोशिश की और देशी राज्यों में राजाओं ने भी काफी कोशिश की कि अपने दलालों के जरिये जनप्रिय बना लें और यदि कांग्रेस की सरकार भी मजदूरों के संगठनों में इसी प्रकार का प्रयत्न करती है तो उसका उसी प्रकार फल होगा जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट का हुआ है और देशी राजाओं में जो दलाल थे उनके द्वारा लोकप्रिय बनाने का हुआ। महाराज हरिश्चन्द्रजी के देशी राज्य में राज्य करने के कारण मालूम होगा कि उसका कैसे फल हुआ है और एक बार अनुभव हो चुका है तो कांग्रेस की सरकार बैठ कर दुबारा वह लांछन क्यों लगवाना चाहते हैं जो ऑलरेडी देशी राज्यों में बैठकर लगा हुआ था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट के सम्बन्ध में संशोधन पेश किया गया है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : जरूरत से ज्यादा लम्बे हैं, यदि बैठकर बोलें तो माइक पर अच्छी तरह से बोल सकेंगे।

('माइक को हाथ में ले लें' इस प्रकार की आवाज)

श्री कृष्णकुमार गोयल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत स्पष्ट है कि मजदूर और मजदूरों का संगठन, तो अपने स्थान पर एक महत्व रखते हैं। मजदूर वह वर्ग है जो कि बहुत गरीब और अनपढ़ होता है और आम तौर पर लोग इसमें इस प्रकार की भावना होती है कि जो स्वाभाविक भी है कि जितना वह श्रम करता है उसकी अपेक्षा उसको जो पैसा मिलता है वह उसको कम दिया जाता है। तो उस मजदूर के अन्दर यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि मुझे अपने पसीने का पैसा बहुत कम मिलता है और दूसरा उसके अन्दर गरीबी है और साथ-साथ उसके अन्दर पढ़ाई की कमी भी। ये फैक्टर्स इस प्रकार के हैं कि जिनको लेकर मजदूर को किसी भी समय उभाड़ा जा सकता है और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उभाड़ा जाता रहा है। तो हम आज कानून के द्वारा इस समस्या पर विचार करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : साथ साथ हाथ में डंडा लेकर बोल रहे हैं, इससे खतरा हो सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : चिन्ता मत कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : शाखा वालों से खास खतरा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डंडे की जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : तुम्हारे फैवर में बोल रहे हैं। भाई, चारे का क्या सवाल है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब मजदूरों की समस्या पर विचार करें, कानून बनाने चलें तो इस ओर सोचना पड़ेगा और ध्यान नहीं हटाना होगा; खास कर जब से भारतवर्ष पर चीन का हमला हुआ है, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न की गई और की जा सकती है, या चीन के जो तत्व हैं उनमें विवाद है, कुछ कहते हैं हम चीन के समर्थक हैं और कुछ कहते हैं हम रूस के समर्थक हैं, जिसका निर्णय करना मुश्किल है कि कौन चीन का समर्थक है और कौन रूस का समर्थक, यह किसी के लिए कहना बड़ा मुश्किल है, यह समय पर ही पता चल सकता है। उस समस्या पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। यह तथ्य था। जहां तक हिन्दुस्तान के मजदूरों का सवाल है उसे जो कुछ अधिकार मिले हुए हैं वे बहुत कम हैं, मुनासिब पैसा मिलना चाहिये वह बहुत कम मिलता है, जितना उसको अपने रहने के लिए, अपने बच्चों के लिये, अपनी पत्नी के लिए, मेनेजमेन्ट के अन्दर जो उसको हिस्सा मिलना चाहिये, उसे कम मिलता है। जो मजदूरों को कानून से अधिकार मिले हुए हैं उनका भी संरक्षण गवर्नमेन्ट की ओर से पूरी तरह से नहीं मिलता है। समय समय पर संशोधन लाये जाते हैं और यह संशोधन भी इसी दृष्टिकोण से लाया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ इन्डस्ट्रीज़ तो आज इस प्रकार की हैं जिनके अन्दर आज ऐसे तत्व घुसे बैठे हैं जो जब चाहे अपनी मोनोपोली के द्वारा मजदूरों को बढ़ा कर, चाहे जायज़ हो या न हो, भड़का देता है। कुछ यूनियन्स ऐसी हैं जो केपिटलिस्टों की हाथ की कठपुतली हैं, उसके मालिक जिस प्रकार चाहें कार्य करवा लेते हैं, उस यूनियन के सामने यह प्रश्न नहीं होता कि इससे मजदूरों का हित होता है या नहीं; जब मंशा हुई पूंजीपति की मांग रखवा ली और जब चाहा सबसाइड करवा लिया। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने ध्यान दिलाया, खास कर इन्टक, जहां जहां भी काम कर रही है पूंजी पति के हाथ में खेल रही है और पूंजीपति

(श्री कृष्णकुमार गोयल,)

के हाथ में खेलने के कारण मजदूरों की बड़ी अवनति कर रही है। मालिक आपत्ति नहीं करता कि किसी प्रकार इन्टक को मान्यता मिल जाय और जो ये संगटन होने वाले हैं वे इन्टक के अन्तर्गत हों। दूसरी यूनियन कोई संगटन बनाना चाहती है तो दूसरी यूनियन को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, यह सत्य है।

इन सारे विवादों को और गम्भीर समस्याओं को लेकर यह आवश्यक हो जाता है कि जो कुछ कानून राजस्थान के अन्दर बना रखा है, लेबर ट्रिब्यूनल्स हैं, कन्सीडरेशन के लिए जो कुछ कानून बना रखा है और समय पर जो हमने कानून के अनुसार समाधान दे रखा है जो वस्तुयें दे रखी हैं, उनसे मजदूरों को न्याय मिलता रहे, लेकिन न्याय उनको नहीं मिलता। जो संशोधन है उसके प्रथम क्लॉज़ द्वारा मांग की गई है कि दो यूनियन्स ने रजिस्ट्रेशन मांगे, तो वास्तव में जिस प्रकार के उदाहरण दिये गये हैं सालों से मामले पड़े हैं और निर्णय उन पर नहीं हो पाये हैं कि कौनसी यूनियन को रजिस्टर किया जाय। खास कर पूंजीततियों की यूनियन्स होती हैं, बोस यूनियन्स होती हैं वे तो वहां पर डेरा डाल देती हैं और जो असली यूनियन मजदूरों को रिप्रेजेन्ट करने वाली होती हैं उनको स्थान नहीं मिलता। इस समस्या का समाधान करने के लिए जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हों उनको रजिस्ट्रेशन मिल सके जब कि सरकार की मशीनरी पर विश्वास न हो, सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन मिलने वाला हो तो ऐसे मामले में बैलट से ही निर्णय किया जाय। साथ साथ इस निर्णय पर भी पहुँचे हैं कि बैलट से निर्णय होगा कि किसको मिलेगा। कुछ पेचीदगियां भी खड़ी होंगी। बैलट पेपर कैसा हो, किसके अधीन हो, किस प्रकार का सिस्टम हो, इस क्लाज़ को इस संशोधन में लेते हैं तो इस पर भी विचार करें। संशोधन से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन उन बातों पर भी विचार करना पड़ेगा और पूर्ण व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे वास्तव में मजदूर यूनियन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि यूनियन हों, उन्हें सही प्रतिनिधित्व मिल सके।

रजिस्ट्रेशन के बारे में संशोधन है। यह नम्बर चार पर है। जहां तक हिन्दी से अंग्रेजी का अनुवाद मैं समझ पाया हूँ वह यह है कि संशोधन के द्वारा यह चाहा गया है कि इसको समाप्त कर दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ का रहना आवश्यक है, इस संशोधन का मैं विरोध करता हूँ। सरकार नाजायज़ ढंग से जो यूनियन विरोध में हैं उनको किसी प्रकार समाप्त कर दे, लेकिन यह आवश्यक हो जाता है कि देख-भाल भी रखे। सरकार ने नियम रखे हैं, कानून बनाया है, किस प्रकार से नोटिस देने पर किस अवधि पर वह स्ट्राइक की जा सकती है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(५. म प०)

नोटिस देने के बाद स्ट्राइक की जा सकती है। मगर हमने इसका पालन नहीं किया और हम इल्लीगल स्ट्राइक को प्रोत्साहन देते रहे और हम लोग भटकते रहे। इस प्रकार की स्ट्राइक असफल रहती है और बाद में कदम उठाते हैं कि यूनियन भंग कर दो। तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जहां तक हमारी स्ट्राइक का सवाल है.................

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

योजना की आड़ लेकर स्ट्राइक को समाप्त कर दिया। उनके पास कई हथकंडे हैं जिनके आधार पर वे भंग कर सकते हैं। पर यह कहना कि इल्लीगल स्ट्राइक के लिये भड़काया है और संरक्षण चाहे संविधान का हो, योजना को भंग करने के लिये, तो मैं समझ हूँ यह गलत है।

जहां तक इस संशोधन का सवाल है मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : I will ask the hon. Member not to believe in lies.

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं समझता हूँ, आप अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं और मैं कम जानता हूँ। जहां तक उस स्पिरिट का सवाल है कोई गलत नहीं है, मान लेना चाहिये। पर जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर इसको इस क्लाज़ तक ही सीमित कर दिया तो यह उचित नहीं होगा और जहां तक हमारी मांग है इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। हमें इसके अन्तर्गत कई बातें देखनी पड़ेंगी। अब तक की मजदूरों की डिफिकल्टीज़ को देखकर सरकारी, कर्मचारियों के बर्ताव को देख कर प्रजातन्त्र में मजदूरों को किस प्रकार से राहत दिया जाय, हमें ये सब बातें सोचनी हैं।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट बिल रखा है उसको मैं एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं संशोधन रखने वाले सदस्यों से निवदन करूंगा कि वे दस मिनिट से अधिक समय न लें, ताकि समय में यह कार्य समाप्त हो सके।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। अगर आज यह सरकार प्रजातान्त्रिक तरीकों से मजदूर यूनियनों के साथ बरतीव करती तो शायद इस तरह के

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

अमेन्डमेन्ट को लाने की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु आज जिस तरह से सरकार का काम चल रहा है और उसमें जिस तरह पक्षपात और भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा रहता है वह इन मजदूरों पर भी कार्य रूप में सरकार के द्वारा और सरकार के श्रम विभाग द्वारा लाया जा रहा है इसलिये इस अमेन्डमेन्ट की आज आवश्यकता हुई है।

जिस तरह से एक फैक्टरी के अन्दर मजदूर जो काम करने वाले हैं उनकी एक से अधिक यूनियनें वहां बन सकती हैं, बनती हैं, उनको सरकार मान्यता दे और उनके सदस्यों के जितने केसेज़ हैं किसी भी तरह के उनको इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भेजने की सरकार सिफारिश करती है, पर जब तक इन यूनियनों को सरकार मान्यता न दे उनके जितने भी केसेज़ हैं इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। इसलिये उनका मामला अधूरा रह जाता है।

फिर आज जिनको मान्यता मिली है, और जिनके लिये अवार्ड हो चुके हैं श्रम मन्त्रालय से, जिनके फैसले हो चुके हैं उनको भी आज दिन तक यह सरकार काम में नहीं ला रही है, उनका पालन नहीं कर रही है। उदाहरण के लिये एक फैसला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल के वाच एण्ड वार्ड के कुछ लोग हैं, उनके बारे में सरकार के प्रतिनिधियों ने और दोनों यूनियनों के प्रतिनिधियों ने मिल कर १। १। ५९ को एक फैसला किया कि इन लोगों को साल में चार दिनों का पैसा भी मिलेगा। ये ४ दिन हैं—गान्धी जयन्ती, १५ अगस्त, २६ जनवरी, दिवाली; इन पर छुट्टी देंगे। इन छुट्टियों का पैसा ५९ से देने का फैसला तीनों ने मिल कर किया। अफसोस परन्तु यह है कि इस फैसले पर आज दिन तक अमल नहीं हुआ। वहां आई०एन०टी० यू० सी० का जोर नहीं था, इस कारण नहीं दिया, सम्भव है; पर यह फैसला तो सरकार के मन्त्रालय का था। फिर भी इसका पालन नहीं किया गया। पैसा आज दिन तक नहीं दे रहे हैं।

इसी तरह से भीलवाड़ा में एक नई टैक्सटाइल मिल बनी है। उसके कितने ही मामले इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में पड़े हैं, पर ट्रिब्यूनल में मेम्बर ही नहीं होने से ५९ से मामले पेन्डिंग में पड़े हैं। इसके बाद दस और मुकदमे दायर किये गये।

नई टैक्सटाइल मिल में कोई यूनियन काम नहीं कर रही है। इसके बावजूद वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनमें ज्यादा मजदूर ऐसे हैं जो राजस्थान से बाहर के हैं और इसी तरह उदयपुर में है। आज वहां पर जितने मजदूर काम करते हैं उनमें से ७५ प्रतिशत कानपुर के और बाहर के हैं। उन

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

सारों की यूनियन वहां के मालिक ने अलग बना रखी है। दोनों यूनियनों में झगड़ा हुआ। भीलवाड़ा की नई टैक्सटाइल मिल के फैक्टरी मेनेजर ने सर्कुलर निकाल कर मजदूरों को बाध्य किया कि तुमको एक दिन में ११ घंटे काम करना पड़ेगा। लेबर अफसर को, उसके विभाग को यह मामला मालूम है, पर वह भी इस पर चूं नहीं करता।। बिना किसी नोटिस और चार्ज शीट के मजदूरों को बर्खास्त करता रहा है, फिर भी यह मन्त्रालय लोगों को न्याय नहीं दिलाता। इस तरह के कितने ही किस्से हैं।

अगर यह सरकार इतना ही महसूस कर ले कि आई० एन० टी० यू० सी० के मामलों को ही ट्रिब्यूनल में भेज देगी तो मान लेंगे। पर यह तो यह भी नहीं करती। उनकी मंशा यह है कि जो भी यूनियन हो, जिसका मेम्बर सरकार के फैसलों को मानता हो, सरकार की राय को मानता हो, वह ऐसे ही लोगों को मान्यता देती है, फिर अगर आई० एन० टी० यू० सी० भी अगर सरकार की राय से मेल नहीं खाती तो वह भी उसे मान्य नहीं है। जैसे गंगानगर की टैक्सटाइल मिल में आई० एन० टी० यू० सी० की यूनियन है उसको भी मान्यता नहीं दे सके हैं क्योंकि वहां के मेम्बर सरकार की 'हां' में 'हां' नहीं मिलाने वाले हैं, सरकार के फैसलों के साथ नहीं हैं। इसलिये मान्यता नहीं दे रही है यह सरकार उनको भी। शुगर फैक्टरी में एक मात्र यूनियन है उसको मान्यता नहीं देती। जहां एक ही यूनियन है उसको मान्यता नहीं देना यह मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अप्रजातान्त्रिक तरीका है।

अभी आई० एन० टी० यू० सी० का अधिवेशन जयपुर में हुआ। उसमें जो कार्यवाही हुई उसे और वहां कुछ मेम्बरों ने बातें कहीं उनको यदि हमारे श्रम मन्त्री ने पढ़ा हो तो पता लग गया होगा कि उनकी सरकार आज मजदूरों के साथ किस तरह का पक्षपात पूर्ण तरीका काम में ला रही है। सरकार कहे कि कांग्रेस की सरकार किसान और मजदूर की सरकार है, परन्तु आज जब कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर; जैसे बम्बई जैसे बड़े शहर में दस परसेन्ट अथवा सारे के सारे आदमी एक काम के लिये हड़ताल कर सकते हैं भूख हड़ताल कर सकते हैं और हड़तालें चल रही हैं उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि आज की सरकार मजदूरों की सरकार नहीं हैं वह मालिकों के साथ पक्षपात करती है, मजदूरों के साथ भेद भाव का बर्ताव करती है।

हमारी राज्य सरकार के विरुद्ध विधान सभा के सामने प्रदर्शन होते हैं, स्थगन–प्रस्ताव आते हैं वे नहीं आते, अगर मजदूर उसके पक्ष में होते। ऐसी गड़बड़ियां नहीं हो सकती थीं। परन्तु आज वास्तव में कहा यह जाता है सरकार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कि ये जो विरोधी बैन्चों पर बैठे हैं वे प्रतिक्रियावादी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हैं। पर मैं सरकार का मजदूरों के प्रति यह रवैया और उसके कारनामे देख कर कह सकता हूँ कि वास्तव में ८० प्रतिशत प्रतिक्रियावादी लोग कांग्रेस में घुसकर बैठे हैं।

असल में जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिये किसान-मजदूरों के आन्दोलन चलाये उनका साथ दिया जिन्होंने आजादी के जंग में बहुत बड़ा हिस्सा लिया उनमें से अधिकांश आज राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान भर में सरकार के विरोधी होकर बैठे हैं। बाकी कुछ लोगों ने, जो कांग्रेस में बच रहे राजा-महाराजाओं, सेठ-साहूकारों से हाथ मिलाकर, उन्होंने अपनी सरकार बना रखी है। इसलिये आज किसान और मजदूर दुःखी है।

आज उनके जितने नुमाइन्दे इस सरकार में बैठे हैं वे भी इस तरह के हैं कि उनके बारे में विचार करके हंसी आती है, इसकी एक मिसाल मनी लैंडर्स बिल के मौके पर सामने आई। इतने अच्छे बिल को भी इस सरकार ने अपने नुमाइन्दों के मार्फत खत्म करने की कोशिश की। आज ये कहते हैं, हम प्रतिक्रियावादी हैं। यह तो उनके कारनामों से जाहिर है कि कौन प्रतिक्रियावादी है; वे हैं या हम हैं। अपने नोट ऑफ डिसेन्ट पर दस्तखत करके उसको विथड्रॉ किया। यह हमने नहीं किया। ऐसे प्रगतिशील बिल को अगर प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता तो मैं नहीं जानता प्रगतिशील वे किसको गिनते हैं?

इसी तरह से मैं अर्ज करूं उदयपुर के पास कपासान में मेवाड़ शुगर मिल्स है। वहां मैं काम करता था। अच्छी तरह मालूम है कि वहां कांग्रेस और प्रजा मण्डल में मैंथा और राजस्थान के वर्तमान चीफ मिनिस्टर साहब उस समय मेवाड़ राज्य के लेबर मिनिस्टर थे। वहां के शुगर मिल के मामले में मजदूरों से सम्बन्धित बात मैंने उनकी नहीं मानी तो इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना दूसरा आदमी भेजकर दूसरी यूनियन बनवाने की कोशिश की।

तो इस तरह से आज सारे राजस्थान में जो सरकार की बात नहीं मानती उन यूनियनों के स्थान पर दूसरी यूनियनें बनाई जाती हैं और मैजोरिटी होते हुए भी उन यूनियनों को मान्यता नहीं दी जाती।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिल रखा है कि एक से ज्यादा जहां यूनियनें हैं वहां बैलट के आधार पर मान्यता देनी चाहिये; इसका मैं समर्थन करता हूँ। परन्तु बहुत सी खामियां इसमें भी हैं।

इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में सरकार जानबूझ कर देरी करती है जहां उसे देरी करनी होती है। तो ऐसी अवस्था में क्या मुकद्दमे सरकार को डाइरेक्ट नहीं जा सकते। इसका प्रोवीजन भी इसमें होना चाहिये ताकि मजदूरों को और ज्यादा सुविधा मिल सके। इसलिये इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जावे और वहां उसका सही ड्राफ्टिंग होकर सदन में लाया

Page No 65

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जावे। इसके साथ में अपना प्रस्ताव पेश करता हूँ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, जो बिल सदन के बुजुर्ग माननीय सदस्य जो ब्यावर से पधारे हैं उन्होंने इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सम्बन्ध में संशोधन रखा है वह वास्तव में सराहनीय है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जिस कदर जो भावना उनके वृद्ध हृदय में विद्यमान है उससे भी अधिक भावना प्रज्ज्वलित हो और संसार के मजदूरों के हित में वे सदैव सदैव अपने कदम बढ़ाते रहें क्योंकि मैं खुद एक मजदूर क्लास से सम्बन्ध रखता हूँ और मेरी भावना भी उग्र है।

इससे पेश्तर कि मैं बिल के सम्बन्ध में अर्ज करूं, महाकवि नीरज की मुझे याद आ जाती है, वह मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ :

"खून से मजदूर के,
नीवें महल की सिंच रही हैं,
नतवानों की रोटी पर,
नजर गिद्दी लगी है;
बिक रहा इन्सान है लो,
देख लो बाजार में,
जुल्मियों का जुल्म है,
और मासूम कलियां पिस रही हैं।"

इसी प्रकार आज देश में मासूम मजदूर और किसान बुरी तरह से पिसा चला जा रहा है। उनकी आवाज पर ताले लगाये जाते हैं।

हद तो यह है, कल इसी सदन में पार्लियामेंट द्वारा पारित कॉन्स्टीच्यूशन अमेन्डमेन्ट पर वाद-विवाद किया गया। उसके द्वारा मजदूरों के ऊपर इतने कठोर प्रतिबन्ध लगाये गये कि उनको नोटिस भी नहीं दिया जावे और निकाल दिया जा सकता है। ३११ में यह था कि "Until notice is served" इसमें से 'Until' शब्द हटा दिया गया। ऐसा जान पड़ता है कि सरकार मजदूरों से चिढ़ गई है। आज के समय में मजदूरों के प्रति इस किस्म की अवहेलनापूर्ण नीति वास्तव में सराहनीय नहीं है। उसकी जितनी भी निन्दा की जाय, करनी चाहिये।

मैं यह बात अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी 'डिवाइड एण्ड रूल' की, उसी पालिसी को आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना लिया है। इसी डिवाइड और रूल की पॉलिसी के नीचे आज कांग्रेस पार्टी भी देश पर शासन करने में किस तरह से सफलता प्राप्त कर रही है इसका नमूना इस मजदूर ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है।

यह मेरे पास में इन्टक की यहां हुए अधिवेशन की रिपोर्ट है। उसमें से एक छोटा सा पैरा पढ़ता हूँ। इससे अन्दाज होता है कि आपस में लड़ने की तैयारियां की जाती हैं।

Page No 66

(श्री अब्दुलजब्बार)

रिपोर्ट के पेज ८-९ पर यह है। इन्डस्ट्रियल ट्रूस के नाम से हैडिंग दे रखा है :

"Chinese attack on the northern frontiers of the country created a grave situation. This crucial hour in the history of India since its independence 15 years ago brought special responsibility upon industrialists and working class people to increase industrial production and make utmost sacrifice for producing more food, more cloth and all the materials required for the army."

और इसी प्रकार कहते हुए आगे क्या कहते हैं कि आपस में किस तरह से ट्रेड यूनियनें लड़ती हैं; यह चीज इससे जाहिर होती है और फिर क्यों लड़ती हैं। इस सरकार की छत्रछाया में पल रही पार्टियां आपस में लड़कर मजदूरों के हित को अहित में परिवर्तित कर देती हैं। क्या कहते है वे आगे :

"The INTUC had taken a frim stand with the Government that under the present circumstances, when it was proved beyond doubt that the Indian communists were anti-national and by even directly and indirectly supporting the Communist China they had lost the trust of the people, INTUC could never agree to a proposal........"

यह लाइन और यह शब्द खास तौर से :

"INTUC could never agree to a proposal where its representatives would be sitting along with the communists and communists-led AITUC. Similar were the views of the Hind Mazdoor Sabha."

अब यहां पर चीन का रेफरेन्स दे रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह जहां मजदूरों का हित लेकर चलते हों, वहां चाहते हों कि मजदूरों को रोटी मिले, रोजी मिले, उसको तन ढांकने को कपड़ा मिले और रहने को मकान मिले, वहां यह कहें कि यह यूनियन सोशियलिस्ट पार्टी द्वारा चलायी गयी और यह यूनियन कम्युनिस्टों द्वारा चलायी गयी, यह मजदूरों की भलाई की बात नहीं है। यह साफ तौर से जाहिर करता है कि कांग्रेस इस तरह से चल कर मजदूरों के हितों को अहित में परिवर्तित किया जाता है। मैं कहता हूँ कि हकीकत में यह चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए यह अमेन्डमेन्ट सराहनीय है कि जहां रजिस्ट्रेशन का सवाल आता है यह आवश्यक नहीं है कि रजिस्ट्रार को और गवर्नमेन्ट को यह डिस्क्रिशन नहीं करना चाहिए कि यह रिप्रेजेन्टेटिव बॉडी या यह रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आई है यह पर्टीकुलर ग्रुप की तरफ से या पर्टीकुलर पार्टी की तरफ से, पर्टीकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। जो कि एक तरह से प्रिविलेज माना जाये और उसको तो रजिस्टर कर लिया जाये और दूसरों को

(श्री अब्दुलजब्बार)

रिफ्यूज कर दिया जाये। उदाहरण के तौर पर पी० डब्ल्यू० डी०, उदयपुर का मसला चल रहा है जिसके कागजात अर्से दराज से रजिस्ट्रार के यहां घूमते-फिरते कोई न कोई डिफिकल्टी निकल आती है। बहरहाल मकसद यह है कि इस तरह से एक पार्टी को शरण देना और एक को नहीं, यह ठीक नहीं है। मजदूर आखिर मजदूर है। मजदूरों के हितों के लिए कॉम्युनिस्ट पार्टी भी और मजदूर सभा भी आवाज उठाती है, प्रजा सोशियलिस्ट पार्टी भी आवाज उठाती है। बहरहाल आवाज सब की तरफ से मजदूरों के हितों के लिए उठाई जाती है। क्यों नहीं इसको सोचा जाता है कि केवल एक ही पार्टी के प्रतिनिधि और एक ही पर्टीकुलर पार्टी को रजिस्टर किया जाता है? ऐसी सूरत में यह अमेन्डमेन्ट सराहनीय है और आगे इसको सरकार स्वयं रखेगी, और जैसा कि आर्टिकल ३११ है उसको भी आगे लेना पड़ेगा सरकार को और उसी के आधार पर इस इन्डिस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में संशोधन लाना पड़ेगा क्योंकि जहां गवर्नमेन्ट ऑफिशियल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स हो सकती हैं फिर इस आधार पर फिर से राजस्थान सरकार को एक अमेन्डमेन्ट इसी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में लाना पड़ेगा, नहीं तो उनको खतरा है कि एक मजदूर जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है वह उन मजदूरों में से नहीं है जो कि टेबल के ऊपर बैठ कर काम करते हैं और जिनके सिर पर जूते भी पड़ते जायें और वह सहता जाये। वह अपने अधिकारों के लिए स्ट्रगल भी कर सकता है। इसलिए मेरी मान्यता है कि इसमें और भी संशोधन होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि सरकार अगर मजदूरों का हित करे और ठीक तरह से राहत पहुँचाये तो न तो किसी तरह की स्ट्रगल हो और न कुछ हो। वह सरकार जो कल्याणकारी व्यावस्था में विश्वास करने वाली है, जो गांधीजी के पद-चिन्हों पर चलने वाली है, महावीर स्वामी का पाठ पढ़ाती है या उसका पठन करवाती है कम से कम उसको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि कौनसी खूबियां थीं जो सब के हृदय को जीत लेती थीं। केवल आत्म-परिवर्तन की आवश्यकता है। कानून डंडे के जोर से नहीं बदले जा सकते।

लिहाजा इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये ताकि इसमें और भी रिवोल्यूशनरी स्टैप लिए हुए अमेन्डमेन्ट आ सकें। हो सकता है कि सरकार इसको अभी न माने लेकिन मजदूरों को इससे जन-जागृति मिलेगी। हमारा तो यही ध्येय है कि हकीकत में राहत पाने के लिए जिद्दो जहद करने की आवश्यकता है। मैं तो यही कहता हूँ:

(श्री अब्दुलजब्बार)

"खून से मजदूर के,
नीवें महल की सिंच रही हैं,
नतवानों की रोटी पर,
नजर गिद्दी लगी हैं;
बिक रहा इन्सान है लो,
देख लो बाजार में,
जुल्मियों का जुल्म है,
और मासूम कलियां पिस रही हैं"

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३ सदन के सम्मुख पेश हुआ है। इसके सिद्धान्तों को तो मैं मन्जूर करता हूँ परन्तु मेरा यह प्रस्ताव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सम्मुख रखा जाये। उपाध्यक्ष महोदय, दुनियां के इतिहास के अन्दर मजदूरों का संघर्ष भी बड़ा स्थान रखता है। एक समय था जब कि दुनियां के इतिहास में मजदूरों का कोई स्थान हमारी सोसाइटी में नहीं था। मजदूर लोग अपना काम करते थे........

श्री उपाध्यक्ष : समय के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए अपना भाषण माननीय सदस्य सीमित रखें।

श्री गंगासिंह राठोड़ : मालिक चाहे जिस रूप में उनसे काम लेते थे। यूरोप में सबसे पहले इन्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और इसके साथ ही साथ मजदूरों ने अपने हकों को सम्भाला। आज हम देखते हैं कि सारे संसार के अन्दर यह मजदूरों का रिवोल्यूशन चल रहा है। समय के साथ इस रिवोल्यूशन में परिवर्तन होते जा रहे हैं और अब जब कि इन्डस्ट्रीज चारों तरफ खुली हुई हैं, चारों तरफ इन्डस्ट्रीज का युग है तो इसके अन्दर भी परिवर्तन आता गया है और हम देखते हैं कि इस इन्डस्ट्रियल युग के अन्दर यूनियनों की प्रस्तावना हुई और यूनियन के कारण मजदूर लोग अपने राइट्स लेते हैं। राजस्थान सरकार ने भी इन्हीं मजदूरों के लिए कानून बनाये हैं और जो विधेयक अभी पेश हुआ है वह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान अमेन्डमेन्ट) बिल के रूप में पेश हुआ है और मुख्य एक्ट में अमेन्डमेन्ट लाने की मकसद से पेश हुआ है। इसमें जो पहला अमेन्डमेन्ट है वह रजिस्ट्रेशन से संबंधित है कि किस यूनियन को मान्यता दी जाये। इस संबंध में हमारा जो प्रमुख एक्ट है उसके आधार पर सदस्य लोग सभी वोट देकर जिसके ज्यादा से ज्यादा वोट होते हैं उसी यूनियन को रजिस्टर किया जाता है। इस बिल में यह प्रावधान है कि क्योंकि राजस्थान सरकार ने मालिकों का यह आधार माना है कि मजदूरों के जो रिवोल्यूशन्स होते हैं उनसे बचने के लिए उनसे पार्टी सदस्यता के फॉर्म भरवाये गये हैं जिसके कारण यह अमेन्डमेन्ट का लक्ष्य हुआ है। इसलिए इस अमेन्डमेन्ट के जरिये ये जो वर्कर्स होते हैं उन सब को ये राइट्स दिये

(श्री गंगासिंह राठौड़)

गये कि वे चाहें जिसको भी वोट देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसके जरिये जो इसमें सब-क्लॉज् (३) है उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ क्लॉजेज् ऐसे हैं जिसके कारण हो सकता है कि जो लीगल स्ट्राइक्स होते हैं और चाहे सरकार उनको इल्लीगल माने, इसलिए इसका भी एक्ट के अन्दर प्रावधान रहना जरूरी है। इसके संबंध में कोर्ट्स खुली हैं और वहां से फैसला होता है तो मैं यह मानता हूँ कि जो इस बिल के अन्दर सब-क्लॉज् (३) का पार्ट (२) है उसको डिलीट करने के बारे में है, उसको डिलीट नहीं किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अभी क्लॉज-बाई-क्लॉज् नहीं ले रहे हैं, इसका अवसर बाद में आयेगा। आप तो इस समय इसके बारे में अपनी जनरल राय दे सकते हैं।

श्री गंगासिंह राठोड़ : इसके साथ ही साथ इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सम्मुख रखने के लिए यह कहूँगा कि इसमें जो फंक्शन और रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन है उसका भी पूर्ण रूप से इसमें खुलासा नहीं हुआ है। इसको मद्दे नजर रखते हुए यही कहूँगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस विषय में माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि समयाभाव के संदर्भ में जो पार्टी के सदस्य रह गये हैं वे एक एक केवल ५-५ मिनट में अपनी राय व्यक्त कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्तर्गत यहां रखा गया है इसका मैं समर्थन करता हूँ पर इसके साथ ही साथ मैं इसके पहले यह कहना चाहता हूँ कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी लेबर डिपार्टमेन्ट है इसका लम्बे अर्से में इस प्रकार का रवैया रहा कि उस कानून के अन्तर्गत जो व्यवस्था थी वहां पर बिलकुल ठीक तरीके से काम नहीं हुआ और उसका नतीजा यह निकला कि आम मजदूर परेशान हो गया कि हम अपने संगठन को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज् करें ? सरकार ने अपने खास तौर से संगठन बनाये। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बुरी बात यह पैदा कर दी कि कोई भी फैसला करना है अपने आदमी को बुला कर, कर लो, चाहे दूसरे का विक्टीमाइजेशन होता हो, तो भी स्वीकार कर लो। जहांतक इस नीति का सवाल है मैं यह स्पष्ट करना चाहता कि जनतंत्र में अगर जनतंत्र की रक्षा करनी है, तो जनतंत्र का सबसे बड़ा उसूल है बहुमत को मान्य किया जाय और यहां बहुमत को मान्य ही नहीं करते हैं और मनमाने तरीके से काम करते हैं। जितने भी ऐसे मामले अगर आपके

(श्री मुरलीधर व्यास)

सामने रखे जायं, आज खासकर हमारे जो पी. डब्ल्यू. मिनिस्टर साहब हैं उनके बारे में अर्ज करना चाहता हूँ उनको बहुत शौक लग गया है मजदूरों में काम करने का। मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में उन्होंने दिलचस्पी लेनी शुरू की है। मैं तो यह कहूँगा कि बहुत से मन्त्री अपना पद छोड़ने वाले हैं, तो उनको अलग-अलग फील्ड में छोड़ा जाय, उन सबके लिए सबसे अच्छा फील्ड है लेबर।

परन्तु वहां जाकर अन्दर के अन्दर सत्ता के बल पर मजदूर संगठन को कुचलने के दृष्टिकोण से चाहे कॉम्यूनिस्ट कहेंगे, चाहे सोश्यलिस्ट कहेंगे या एच. एम. एस. कहेंगे। उसका नतीजा एक मात्र यह होता है कि आज इस प्रकार का संशोधन लाना पड़ा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हमको जनतन्त्र की रक्षा के दृष्टिकोण से स्वीकार कर लेना चाहिये और उसमें जो एक बात मुद्दे की रखी गयी है कि इसके अन्दर बैलट बॉक्स रखा जाय। बहुमत जिसके पक्ष में होगा उसको मान्यता दे देंगे और वह रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन होगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत में किसी प्रकार का असन्तोष नहीं होगा। इसको हर हालत के अन्दर स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो नतीजा यह होता है कि सरकार जान बूझ कर अपने प्रभाव के अन्तर्गत मजदूरों को दबाकर अपने साथ में खींचना चाहती है।

भीलवाड़ा के अन्दर लेबर कमिशनर साहब गये। वहां की टैक्सटाइल मिल के वाच एण्ड वार्ड के आजादी के दिन के वेतन का सवाल है, जिसके सम्बन्ध में फैसला हो चुका है। परन्तु उस वेतन को भी नहीं दिया जाता है, इसलिए कि उनसे कहा जाता है वाच एण्ड वार्ड के कर्मचारियों को कि इस यूनियन में आ जाओ तो तुम्हारा फैसला हो जाय, नहीं तो नहीं होगा।

इससे मजदूर हर हालत में निराश हो जायगा। इस प्रकार का रवैया बहुत बुरा है।

दूसरा इसके अन्दर मैं थोड़ा सा माननीय सदस्यों से अर्ज करूं कि इसमें रख दिया है कि कोई भी सदस्य चाहे वह यूनियन का मेम्बर हो या नहीं वह इसके अन्दर वोट दे सकेगा, इससे मेरा थोड़ा मतभेद है। यूनियन के अन्दर भी कोई अनुशासन होना चाहिये, यूनियन की मेम्बरशिप होनी चाहिए, उसका जो कॉन्स्टीट्यूशन होता है, उसके अनुसार काम भी चलाना चाहिए। अगर हम इस तरह से नहीं चलेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि मजदूर किसी भी यूनियन का मेम्बर नहीं बनेगा और ऐन मौके पर जब बैलट का सवाल आएगा तो वह बार्गेनिंग करेगा। तो मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। इसलिए जो यूनियन का बाकायदा रजिस्टर है, उसे अच्छी तरह से रखना चाहिए। कौनसी रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन है, उसके लिए बाकायदा चुनाव करायें और उसके पक्ष में ज्यादा वोट मिलें

(श्री मुरलीधर व्यास)

वह रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए और उसकी मेम्बरशिप उस कॉन्स्टीट्यूशन के मुताबिक होनी चाहिये। अगर यह नहीं होगा तो मजदूरों के अन्दर डिसिप्लिन नहीं होगा। खास करके मैं राजा साहब से एक अर्ज करना चाहता हूँ कि इन मामलों के अन्दर हस्तक्षेप न करें और आज जिस प्रकार का रवैया आपने अख्तियार किया उससे मजदूरों में असन्तोष है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि आज अनेकों मजदूर परेशान हैं। गवर्नमेंट प्रेस के दो कर्मचारियों, यूनियन के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी को आपने अलवर और जोधपुर भेज दिया। कोड ऑफ डिसिप्लिन के अनुसार उनको किसी हालत में वहां भेजा नहीं जा सकता। उनका ट्रांसफर इसलिए किया गया कि सरकार गवर्नमेंट प्रेस में इन्टक की यूनियन बनाना चाहती थी। उन्होंने सोचा, यदि सेक्रेटरी और प्रेसीडेन्ट बाहर रहेंगे तो अपने आप बन जायगी। अब ६०) रु० जिस मजदूर को मिलते हों और उसका ट्रांसफर बीकानेर या अलवर किया जाय तो वह गरीब किस प्रकार अपनी जिन्दगी बिताएगा ? आप अपनी इन्टक को बनाने के लिए मजदूर की रोटी पर लात मारते हो। आप अपनी राजनीति चलाने के लिए मजदूर के साथ खिलवाड़ करते हो। अगर ऐसा करते हो तो बेचारे गरीब पर जो बहुत बुरा प्रभाव होता है, वह तो वही जानता है। आप जांच करवा लें कि इन दोनों आदमियों को किस प्रकार भेजा गया। कोई ऐसा हाई कमीशन बिठा लो, मालूम पड़ेगा कि यह सिर्फ इसलिए हुआ कि इन्टक के खिलाफ उनकी अपनी यूनियन है। तो यह विक्टीमाइजेशन की नीति समाप्त होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री केदारनाथ के उठने पर) Independents have already spoken please.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय—

श्री उपाध्यक्ष : Only five minutes.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : More time should be given to him. He is the only speaker from Congress.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं, जो सदन के सामने जिस मुद्दे को लेकर भाषण दिए गए हैं और जिनमें कई तरह की रिलेवेन्ट और इर्रिलेवन्ट बातें कही गई हैं, उनमें से इर्रिलेवेन्ट शर्तों का तो जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, जो इस बिल से ताल्लुक नहीं रखती हैं वरन् सरकार की लेबर पॉलिसी, सरकार की कुछ खामियों को लेकर कहूँगा। हमारे यहां का तरीका हो गया है कि कोई भी प्रस्ताव या बिल सरकार का इस सदन के सामने आता है तो हम उसमें से असली मुद्दे को छोड़कर किसी भी तरह सरकार को क्रिटीसाइज करना

Page No 72

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

आज अपना कर्त्तव्य समझ लेते हैं। लेकिन जब हम इस सदन में बैठे हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि असली मुद्दे पर अपनी बात को रखें और उसी के मुताबिक अपना तर्क-वितर्क रखें। सदन के सामने सही हालत पेश करने की कोशिश करें। इससे न तो समय व्यर्थ जाता है और न किसी तरह से असली मुद्दे से दूर जाते हैं।

यहां तरह-तरह की बातें उपाध्यक्ष महोदय, कही गई हैं। पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय सदस्य, जिन्होंने लेबर में कभी काम नहीं किया हो या किया हो तो बहुत कम किया हो, वे भी इस बारे में दिलचस्पी रखते हैं कि लेबर को किसी तरह से खुश रखें कि हमने इनके लिए यह कहा। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि सही माने का ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाना हर एक ट्रेड यूनियन लीडर का कर्त्तव्य है और वे दूसरी बातों के जरिये इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट को अगर स्टाइफल करना चाहते हैं तो अच्छी चीज नहीं हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश में सही माने में ट्रेड यूनियन मूवमेंट चले। राजस्थान में जहां कि; इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, अभी हाल ही में विकास हो रहा है, वहां पर सही माने में ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलना चाहिये। सही माने का मतलब यह नहीं होता है कि केवल हम उन मजदूरों की थोड़ी सी मांगों को लेकर होहल्ला करें, लेकिन उनको सही रास्ते पर लगायें। आज हमारे भारत में कुछ ही ट्रेड यूनियन फेडरेशन्स ऐसे हैं जो सही माने में ट्रेड यूनियन की प्रवृति की ओर जाते हैं। अभी थोड़े दिनों से कुछ दूसरी पार्टियों के जरिए बढ़ने लगे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी उनको टाइम लगेगा जब कि अपने आप में वे विकास कर सकें।

जो मुद्दा हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह यह है कि अगर किसी इन्डस्ट्री में दो यूनियन्स हों और उनमें से किसको रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन समझ कर रजिस्टर किया जाय तो जब तक उनको रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन के तौर पर मान्यता नहीं मिलती तब तक उनको वे अधिकार हासिल नहीं होते जो वास्तव में उसको होने चाहिए। वह रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन न होने के कारण न सामूहिक सौदेबाजी कर सकती है, न मजदूरों को राहत पहुँचा सकती है और जो मालिक हैं वे अलग-अलग यूनियन्स को एक्सप्लॉइट करेंगे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आपने अभी कहा कि सामूहिक सौदेबाजी नहीं हो सकती। मैं यह कहूँगा कि सामूहिक सौदेबाजी नहीं हो सकती तो क्या हो सकता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे थोड़ा समझने की कोशिश करें।

श्री हीराभाई : मैं खुद समझता हूँ, मैंने मजदूरों में काम किया है। मैं मजदूर हूँ।

(बहुत से माननीय सदस्य एक साथ बोले)

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूँ कि जो माननीय इसके बारे में अभी कुछ कहने के लिये खड़े हुए हैं शायद उनको ट्रेड यूनियन के कार्य का अनुभव नहीं है शायद उन्होंने ट्रेड यूनियन में काम नहीं किया है। वे इस बात को नहीं जानते कि सामूहिक सौदेबाजी का क्या मतलब होता है और सामूहिक सौदेबाजी मजदूरों और उद्योगपतियों के लिये किस प्रकार हितकारी होती है ? यह एक उसूल की बात है जो आपको बतानी पड़ेगी और जब मैं आपको बता दूंगा तो यह बात आपके समझ में आ जावेगी। लेकिन यहां पर मैं इसके लिये भाषण देने के लिये उपस्थित नहीं हुआ हूँ कि सामूहिक सौदेबाजी का क्या तात्पर्य है। सामूहिक सौदेबाजी ट्रेड यूनियन का एक असली मुद्दा है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पहले वे किसी ट्रेड यूनियन में काम करें और इन्डस्ट्रीज़ व यूनियन के सारे लॉज़ को स्टडी करें और उनको स्टडी करने के बाद उनके आधार क्या हैं उनके बारे में कुछ अपने विचार यहां सामने रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये पहले वे इस बात को आकर समझने की कोशिश करें।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद मजदूर हूँ और मजदूर होने के नाते मजदूरों का मुझे ज्ञान है और ज्ञान कर सकता हूँ। मैंने जंगलों में काम किया है और जंगलों में इस प्रकार की सौदेबाजी का गलत असर हो जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने जंगलों में काम किया है। इन्डस्ट्रीज़ में काम नहीं किया है, इसलिये आपको जंगल का ही अनुभव है इन्डस्ट्री का नहीं।

(दो-तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री हीराभाई : मैं सब समझता हूँ....

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूँ कि जंगल के कानूनों में और इन्डस्ट्री के कानूनों में बहुत फर्क है। जंगल में जंगल के कानून होते हैं और इन्डस्ट्री में इन्डस्ट्री के। मैं यहां पर जंगल की बात नहीं करता हूँ, मैं यहां पर इन्डस्ट्रीज़ की बात करता हूँ। जंगलों में हल्ला-गुल्ला करने से काम चल सकता है। मगर यहां इन्डस्ट्रीज़ में हल्ला-गुल्ला करने से काम नहीं चल सकता।

(श्री हीराभाई एवं अन्य माननीय सदस्य बोलने लगे)

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि ट्रेड यूनियन्स में काम करने वाले आज जो लोग हैं और जो लोग उनके कानूनों को अच्छी तरह से जानते हैं, और उनके हित के लिये काम करते हैं, उनको अधिकार है कि वे सदन में उनके संबन्धित मुद्दे रखें और उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिये। यहां पर हम देखते हैं कि आइटक एक तो काम करती है और इसके अलावा दूसरी कई मजदूर सभाएं काम करती है और कुछ जगह छुटकर यूनियनें काम करती है, उनका आइडियोलोजिकल कोई बेस नहीं है। हर यूनियन आइडियोलोजिकल बेसिस पर बननी चाहिये। इंटक है वह रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन है और उसूलों पर काम करती है और अपने मजदूरों की जितनी मांगें हैं उनको ठीक कराने की कोशिश करती है, अहिंसा और शांतिपूर्वक तरीकों से।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि उनकी मांगे, चाहे हल्ला-गुल्ला करके, चाहे लाठीबाजी करके किसी न किसी तरह से मनवाएं, चाहे दूसरों को दबा कर हम अपनी बातों को किसी न किसी तरह से मनवावें। आज यह जो प्रश्न सभी यूनियनों के रजिस्ट्रेशन का है और यह जो तथ्य की बात रखी है कि आज दुनिया भर की जितनी मजदूरों की यूनियनें हैं उनमें किस तरह से वेरीफिकेशन होता है। दुनिया के मजदूर किस तरह के वेरीफिकेशन को मानते हैं और किस आइडियोलीजी पर वह यूनियन बनी है, उसकी मेम्बरशिप क्या है और उसकी जांच किस तरह होनी चाहिये। आखिर जब मेम्बर बनाये हैं तो रसीदें तो काटी होंगी कि इतने सदस्य बने हैं। आज लेबर डिपार्टमेंट में जहां लेबर कमिश्नर को यह अधिकार दिया है कि वह वेरीफाई करे कि किस यूनियन के पास कितनी संख्या है और वहां वेरीफिकेशन का तरीका यह है कि रजिस्टर को देखें और रसीदों का मिलान करें और उसके बाद काउन्टर फॉइल्स को देखें और देखें कि उनका चन्दा रेगुलर्ली जमा होता है या नहीं। क्योंकि यह कानून है कि तीन महीने तक अगर किसी ने चन्दा नहीं जमा कराया है तो उस सदस्य को खारिज कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस साइड में जो सदस्य हैं उनमें से एक आध ही बोले है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह कहूँगा कि समय को ध्यान में रखें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : एक भी सदस्य इधर से नहीं बोला है, इसलिये इनको समय दिया जाना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सबों की यही राय है कि आपको बोलने दिया जाए और आपके अनुभव का फायदा उठाने दिया जाए ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहले राजस्थान में इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट था और उसके बाद में यह पहला एमेन्डमेंट है जो हमारे माननीय सदस्य ने यहां रखा है । इसमें ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इस बारे में शिकायत की है कि उनका उचित तरीके से वेरिफिकेशन नहीं होता है और उसमें पक्षपात होता है और सरकार की तरफ से एक ही यूनियन को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाती है । इस संबन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जितने मुद्दे हैं उनको नहीं मानती है और इंटक को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देती है सरकार, इस बात को मैं नहीं मानता हूं । मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक सरकार की नीति का प्रश्न है, हमको भी इस बात की शिकायत है कि इंटक जिन मुद्दों को सरकार के सामने रखती है उन पर भी वह सद्भावनापूर्वक विचार नहीं करती और फिर भी आप यह कहते हैं कि सरकार इंटक के साथ पक्षपात करती है, यह गलत है । जिस समय किसी भी मुद्दे पर फैसला लेना होता है तो तीनों पार्टीज़ के सदस्य बैठ कर एडवाइज़री बोर्ड में फैसला देते हैं । मैं समझता हूँ कि ज्यादातर सब की राय से ही किसी मुद्दे पर फैसला होता है । इसलिये आज यह शिकायत की गई की कोई ट्रिब्यूनल नहीं है इसलिये कोई फैसले नहीं होते, यह बात भी उचित नहीं है । कन्सीलिएशन में बहुत समय लग जाता है । यूनियनों को रजिस्ट्रेशन करने के समय की कोई लिमिट नहीं है इसलिये उसमें बहुत समय लग जाता है ।

मैं इस संबन्ध में अपनी पर्सनल जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ कि जहां पर कोई इस प्रकार की शिकायत होती है तो वहां पर वेरिफिकेशन होता है, और उसका करना बहुत जरूरी होता है । कोई भी यूनियन जो सेन्टर के मातहत है या राजस्थान की यूनियन है उनके सदस्य लिखने पड़ते हैं और रिटर्न देनी पड़ती है और उसी के आधार पर यह कहा जाता है कि फलां यूनियन के इतने सदस्य हैं और उसके बाद सेन्टर से चैकिंग होता है और उसके बाद, जो शिकायत होती है उसका निर्णय होता है । तो मैं समझता हूँ कि यह जो मुद्दा रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन्स का उठाया गया है, उसके लिये रजिस्ट्रेशन का जो तरीका रखा गया है, इससे और कोई अच्छा तरीका नहीं हो सकता ।

आपने बेलट के जरिये मांग की है । आपने यह मांग की है कि इन्डस्ट्रीज़ में काम करने वाले मजदूर हैं वे मिल कर अपना वोट करें, चाहे वे सदस्य हों या नहीं । अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह एक ऐसी चीज है जो मानने लायक नहीं है । जो लोग यूनियन में विश्वास नहीं रखते और जो यूनियन के सदस्य नहीं

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

रहते है उनको किस तरह के अधिकार दिये जावेंगे ? मैं समझता हूँ कि एक जमाना ऐसा आने वाला है जिसमें हर मजदूर को, हर एक वर्कर को जो फैक्ट्री में काम करता है, उसको यूनियन का मेम्बर बनना लाज़मी होगा।

मजदूरों में इतनी जागृति आये कि वे खुद अपने इस बारे में कि वे किस यूनियन में जाना पसन्द करते हैं, जिस यूनियन में जाने से उनको फायदा हो, उसमें रह कर काम कर सकें। जोर-जबरदस्ती का सुलूक किया जाय, यह नहीं होना चाहिये। अगर बैलट के जरिये इस बात का फैसला किया जाता है तो इसमें मिस-रिप्रेजेन्ट होने की बहुत संभावना रहती है। एक यूनियन एक तरह से चलती है जो अन-डेमोक्रेटिक रूप से चलती है, वे उसमें डरायेंगे, धमकायेंगे। इससे लड़ाई-झगड़ा होगा। इससे ऐसा हो सकता है कि किसी की संगठित यूनियन न बन सके जिससे मजदूरों का नुकसान हो सकता है। हमारे देश में तरह-तरह का वातावरण है। चूंकि उनको इस वातावरण से फायदा नहीं मिल सकता, हिन्दुस्तान के लोग यह भी कहते हैं कि इनके भाव दूसरी तरफ हैं। वे सामने आकर के यूनियन के मेम्बर नहीं बनायेंगे, वे कहेंगे कि चन्दा दो मत और हमारी यूनियन के मेम्बर बन जाओ, इस तरह से वे कह सकते हैं कि हमारी ७०० की संख्या है। इस तरह की चीज होती है तो वह आगे चलने नहीं दी जा सकती। मेम्बर हो या न हो, सबको वोट डालने के लिये अधिकार हो, यह दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। जो दुनिया से अलग चलने की सोचते हैं वे इसको ठीक नहीं बतायेंगे। किसी भी संगठन का तरीका यह नहीं कि बैलट के जरिये से कार्य किया जाय। कॉम्युनिस्ट देशों में इसके अलावा तरीका नहीं हो सकता। उन देशों में यह होता है कि वहां एक यूनियन के सिवाय दूसरी यूनियन बन नहीं सकती, चाहे उसके कितने ही आदमी मेम्बर रहें। वे यह चाहते हैं कि यहां भी उसी तरह का तरीका अपनाया जाकर हमको भी मान्यता दी जाय।

आज हमको भी शिकायत है कि हमारे मेम्बरों की संख्या हजारों की तादाद में होते हुए भी प्रोत्साहन उनको नहीं दिया जाता है, यह गलत चीज है, हमारा रिप्रेजेन्टेशन उसी अनुपात में हो जितनी हमारी ज्यादा संख्या है, उतना ही हम मजदूरों का प्रतिनिधित्व करें। आज जिस दल की मेजोरिटी होती है उसी की सरकार बनती है। जिस प्रकार आज कांग्रेस दल की मेजोरिटी है तो उसी पार्टी की सरकार है, इसी प्रकार यूनियन के मेम्बरों की संख्या आइ. एन. टी०यू०सी० की ज्यादा है वही यहां रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन बन सकती है, दूसरी यूनियनों के अन्दर इतनी संख्या नहीं है। आज हमारे अकेले का प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिये उतना हमें नहीं दिया जाता

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सबको बैठाने की प्रथा गलत है। इसको दूर करना पड़ेगा।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ। इस बिल के जरिये कहा गया है............

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोडे ही समय में समाप्त करता हूँ।

सिवाय इसके इसका और कोई मकसद नहीं है जैसा कि यह कहा जाता है कि इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट में जो खामियां हैं उन सब खामियों को लेकर अलग बिल आना चाहिये। इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट जो है उसमें इस आधार पर चलते हैं कि हम किसी भी तरह से आपस में झगड़ा निपटाते हैं। अगर नहीं निपटा सकते तो आर्बिट्रेशन के जरिये निपटाया जाय। इस पर भी अगर नहीं निपटता है तो कोर्ट में जा सकते हैं। और मैं तो यहां तक उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारे यहां के उद्योगपति आर्बिट्रेशन में न आयें, उसके जरिये तय नहीं कराते हैं तो गवर्नमेन्ट को कहीं यह कानून बनाना न पड़ जाय जिससे आर्बिट्रेशन कम्पलसरी करना पड़े। चूंकि आज के दिन आम तौर पर कन्सीलिएशन के जरिये तय नहीं होता है तो कम्पलसरी आर्बिट्रेशन को अपनाये जाने के बारे में अगर कोई बिल आता तो मैं अवश्य उसका स्वागत करता। जहां हमारे झगड़े आर्बिट्रेशन के जरिये नहीं निपटते हैं तो मजदूरों के पास इतने साधन नहीं कि वे कोर्ट में जा सकें। केवल इसीलिए यह बिल लाना मैं समझता हूँ कि यह ट्रेड यूनियन की परम्परा के खिलाफ होगा, इससे ट्रेड यूनियन मूवमेंन्ट को धक्का ही पहुँचेगा।

मजदूरों को अपनी मर्जी से मेम्बर बनने दीजिये, चाहे वे किसी भी यूनियन में जाना चाहें। प्रस्तावित बिल के जरिये ट्रेड यूनियन्स के अन्दर करप्शन और मिस-रिप्रेजेन्टेशन आयेगा इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है इस संशोधन विधेयक के पीछे एक भावना है, और वह भावना यह है कि कोई भी सदस्य जो किसी भी जगह पर किसी भी इन्डस्ट्री में काम करता हो, चाहे वह यूनियन का सदस्य हो या नहीं, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए।

दूसरी भावना इसके अन्दर छिपी हुई है वह यह कि जो वोटिंग होगा, जो मतदान होगा वह सीक्रेट बैलट द्वारा होगा। यह उनका प्रस्तावित संशोधन है। उन्होंने इसी के साथ में तीसरी जगह पर कहा है कि "धारा ९–छा की उपधारा (१) में शब्दों "a larger

Page No 78

(श्री भीखाभाई)

membership of workmen" के स्थान पर शब्द "the support of the majority of workmen." प्रतिस्थापित किये जावेंगे।" यह तीसरा संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ठीक ही कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं कोलायत से आया हूँ और बीकानेर से श्री मुरलीधर व्यास आये हैं।

श्री भीखाभाई : तो मैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य के लिये कह रहा था। उन्होंने जो यह कहा कि कोई भी मजदूर जो इन्डस्ट्री में काम करता है उसको किसी न किसी यूनियन का सदस्य बनना पड़ेगा, लेकिन इस बिल में जो कहा गया है :

"It is experienced that these provisions of the Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Act, 1958, are misused. Not only the verification of membership is arbitrary, the membership is inflated by the office bearers of the union by paying the subscription from their own pockets. The true representative character of the union which is the aim of the principal Act, is thus not gauged by this system of bogus membership."

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल के अन्दर जो बात कही गई है उसके अनुसार बोगस मेम्बरशिप पैदा होती है और यह ट्रेड यूनियन एक्ट के विपरीत भी है। ट्रेड यूनियन्स जो दूसरे देशों में भी चल रही है वहां पर भी हर एक वर्कर को किसी न किसी यूनियन का सदस्य बनना पड़ता है। सदस्य कौन होगा ? जो सदस्यता का चन्दा देता होगा। इस संशोधन विधेयक, १६६० के अन्दर यह बात बताई गई है, जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक्स्प्लेनेशन में कहा है। जो मूल उनका संशोधन है अमेन्डमेन्ट ऑफ सेक्शन ५, क्लॉज नं० ३ में जो बात कही गई है :

"All the workmen who are on the roll of the employer for a period of not less than three months next preceding the date of application for registration, whether they are the members of the Union or not, shall be entitled to vote."

(६. म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, इससे यह अन्दाजा लग सकता है कि इसका मतलब क्या होगा ? एक आदमी जो मेम्बर है वह दूसरी जगह का

(श्री भीखाभाई)

कल मेम्बर हो जायेगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक बार्गेनिंग है जिसमें ज्यादा होंगे, उसी में वह चला जायेगा और स्थिति यह हो जायेगी कि जो भी ट्रेड यूनियन होगी वह एक ही चीज होगी। एक पोलीटीकल एरेना हो जायेगा और वह इस सिद्धान्त के अनुसार हमेशा बदलते चले जायेंगे। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सब मूल भावना है, मेम्बरशिप बनाने की भावना है। यह एक जिम्मेदारी है, और लोग अपनी जिम्मेदारियां अनुभव कर सदस्यों की तरह काम कर सकते हैं। कोई भी संस्था जो राजनैतिक हो, सामाजिक हो उसके कोई सदस्य बनते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कन्डीशन्स होती हैं, उस पर जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी से वे काम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहली मूलभूत बात कही वह यह है कि इसमें मेम्बरशिप नहीं होनी चाहिए। यह उन्होंने जो बात कही है वह ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके खिलाफ कहा है। माननीय सदस्य को जो संशोधन करना था तो वे पहले इस बात का संशोधन लाते। जो मूल एक्ट है उसके अन्दर संशोधन करना चाहिए था। मैं आपको पढ़कर बताऊं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : पढ़ा हुआ है।

श्री भीखाभाई : नहीं पढ़ा हुआ है। यदि आपके पढ़ा हुआ होता तो मैं समझता हूँ कि यह जो पहला मूल संशोधन है उसको बिलकुल नहीं मानते। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह उन्होंने कहा है :

"Where two or more Unions, fulfililng the conditions necessary for registration under this Act, apply for registration in respect of the same Unit of any industry, the Union having the support of the majority of the workmen employed in the Unit of the Industry shall be registered, the majority being determined through the ballot boxes."

यह जो इसकी रूट में ट्रेड यूनियन अमेन्डमेन्ट एक्ट, १९४२ है उसकी रूट को वह हिट करता है। इसका मतलब यह है कि यह ट्रेड यूनियन एक्ट के खिलाफ पड़ता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि यह उसके स्प्रिट के खिलाफ जा रहा है।

दूसरी बात मैं एक सिद्धान्त की निवेदन करना चाहूँगा और वह यह है कि जो ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्रेन्स का १६वां सेशन नैनीताल में हुआ २० मई, १९५८ को उसमें सभी रिप्रेजेन्टेटिव्ज ऑफ लेबर गये और दूसरे लोग भी मौजूद थे; वहां पर एक बात हुई। उन्होंने एक सिद्धान्त स्वीकार किया है, और यह कहा है :

"The membership of the Union shall cover at least 15% of the

Page No 80

(श्री भीखाभाई)

workers of the establishment concerned. Membership would be granted only to those who had paid their subscription for at least three months during the six months immediately preceding such recognition."

यह जो रिजोल्यूशन है वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ………

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मन्त्री महोदय पढ़ रहे हैं वह समझ में नहीं आ रहा है। इसलिये साफ पढ़ा जाये तो अच्छा रहे।

श्री भीखाभाई : इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा श्री बृजसुन्दर जी ने बताया कि इसके लिए एक विधि है, आचार-संहिता है। जब चीफ लेबर कमिश्नर उसका वैरीफिकेशन करते हैं और दूसरे इन्सपेक्टर को भेजकर उसकी तस्दीक होती है, और अगर मालूम हो जाय कि कुछ यूनियन में मेम्बर्स कम हैं तो जितनी भी सम्बन्धित यूनियन हैं उस परसेन्टेज को निकाल लेते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर भी यह बात साफ आ जाती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह जिसके पीछे सन्देह की भावना है वह मिट जानी चाहिये और जो भावना उन्होंने रखी थी उसको उन्हीं सभी लोगों ने स्वीकार किया है जिसके कारण कि जिस समय कॉन्फ्रेन्स हुई थी नैनीताल में तो जो मूलभूत संशोधन इस समय पेश हुआ है वह हमारे बेसिक ट्रेड यूनियन एक्ट के खिलाफ जाता है और उसके साथ ही साथ जैसा मैंने निवेदन किया एक रिजोल्यूशन जिसमें कि तमाम एटक, इन्टक और दूसरे जितने लोग थे वह सब शामिल थे, यह उसके विरोध में जाता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ सैद्धांतिक दृष्टि से। इसके जो तमाम क्लाजेज हैं उनका भी मैं विरोध करता हूँ।

हम यह सोच रहे हैं कि इन्डस्ट्रीज रिलेशन्स बिल जिसका कि प्रावधान हम करने जा रहे हैं उसके अन्दर अगर कोई खामियां रह गई हैं तो उसके द्वारा हम दूर करेंगे।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मित्रों ने कुछ बातें कही हैं उनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। पक्षपात करने की बात कही गयी। इसके लिए मैं साफ निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी आदमी को शिकायत होती है तो उसको राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ हियरिंग खुली हुई है। अगर वह उसका उपयोग नहीं करना चाहता है तो बात दूसरी है। जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चाहे जिस यूनियन का रजिस्ट्रेशन केन्सिल किया जाता है। यह तो एक्ट में प्रोवाइडेड है। अगर ऐसा होता है तो वह इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अन्दर कह सकते हैं……

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पक्षपात की राइट ऑफ अपील कौन से कानून

(श्री मुरलीधर व्यास)

के अन्दर होती है ? आपके पास होती है क्या ?

श्री भीखाभाई : दूसरे जो कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक मामला बहुत लम्बे अर्से से पेन्डिंग है और उन्होंने इसका जिक्र किया कि कोई जज था उसकी नियुक्ति कर दी। यह कभी नहीं हुआ। दूसरे दिन ही उन्होंने अखबार में निकलवा दी। वैसे इनकी मुझ पर बड़ी कृपा है और इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैं कहूँगा कि उदयपुर कॉटन मिल के बारे में जो कुछ कहा वह सही नहीं है। वह सही इसलिए नहीं है कि उन्होंने कहा कि ५० सदस्य इन्टक की तरफ से थे और दूसरी तरफ से ३५० मजदूर उपस्थित थे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ३५० मजदूर तो अन्दर थे....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह बिल्कुल असत्य है।

श्री भीखाभाई : बिल्कुल सही है।

श्री विजयसिंह झाला : Point of information, Sir, मैं माननीय श्रम मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वहां पर हड़ताल तीन बार हुई। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो माननीय मंत्री कह रहे हैं वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : The hon'ble Member is in possession of the House.

श्री भीखाभाई : I am in possession of the House, Sir.

श्री विजयसिंह झाला : आखिर सदन को समझाने की कोशिश तो करनी चाहिए। इस तरह से जवाब देना सदन के लिए शोभा की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री विजयसिंह झाला : Point of information, Sir यह बात कॉटन मिल की है और मैंने इसको रखा था। इसलिए इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक दिन में सारे मजदूर हड़ताल पर नहीं गये थे ! तीन पाली थी और उसमें ३५० मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया था। इसलिए हाउस को गलत इनफोर्मेशन दी जा रही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप जो दे रहे हैं वही सही है, इसको कैसे मान लें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of information, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order! !

श्री भीखाभाई : यहां पर ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन और श्रम विभाग के बारे में

(श्री भीखाभाई)

पक्षपात की बात कही गयी। मैं एक बात मूलभूत आपको यह कहना चाहूँगा कि अगर किसी के रजिस्ट्रेशन के अन्दर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उनको इस बात का अधिकार है कि जो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन है वह अपने आप में सिविल कोर्ट है और जुडीशियल ऑथोरिटी रखता है और वह उस समय डिप्टी लेबर कमिश्नर की तरह काम नहीं करता। उस समय भी वह जुडीशियल कैपेसिटी में काम करता है। अगर उसके खिलाफ अपील करने की गुंजाइश है तो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कहना कि श्रम विभाग ने कुछ काम नहीं किया यह गलत है। जब से इमर्जेन्सी प्रारम्भ हुई है तब से लगभग १०० से ऊपर कई मामले फैसल किये हैं। इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के कई मामलों में फैसले किये........

श्री मुरलीधर व्यास : दो साल से ट्रिब्यूनल ही नहीं रही तो फिर क्या काम किया ?

पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन चाहता हूँ, माननीय सदस्य (श्री प्रतापसिंह) वित्तमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसा क्या कोई परिवर्तन हो गया है कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! There is no point of information.

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लेबर कोर्ट के बारे में बात कही गई........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I will request the hon. Minister to .....

श्री भीखाभाई : ट्रिब्यूनल की कमी थी, उसके बजाय एक कोर्ट कायम रहा और लेबर कोर्ट कायम रहा। इसके बाद इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अन्दर जज नहीं थे। वहां हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रख दिया है और लेबर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज को रख दिया गया है........

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : आप बोल रहे हैं, भीखाभाई, वह हम समझ नहीं पाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : The House will please co-operate to hear him.

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो ब्यावर से आने वाले हैं, की वाजिब बात है। मैं निवेदन करूं कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वह तो कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन वह जो बोल रहे थे वह बिल्कुल समझ में नहीं आया।

श्री कुमारानन्द : आदरणीय भीखाभाई, आप खुद एक्ट के बारे में जानते हैं या किसी

(श्री कुमारानन्द)

ने निशाना लगा दिया है और आप बोले जा रहे हैं।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार मैं उन बातों पर जाता हूँ जो कि व्यक्तिगत बातें हैं; जैसे कोर्ट के बारे में, पक्षपात के बारे में और मेरिट ऑफ दी केस, जो कि बिल है, पर ज्यादा विवेचन न करूं तो उचित नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कि बिल है, जो संशोधन बिल है, वह जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हिन्दुस्तान में क्या दुनिया के लेबर में परिस्थिति पैदा होगी और लेबर में क्या परिस्थिति पैदा होगी। मैं........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्टक की ताकत खत्म हो जायगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी ताकत खत्म हो जायगी।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : आपकी नेतागिरी खत्म हो जायगी।

श्री भीखाभाई : हमारे प्रान्त के मजदूर हैं वे हमारे दोस्तों के इन्टीमिडेशन में, इनके डर में, इनके प्रभाव में और इनके प्रलोभन में आ जायेंगे-यह सबसे बड़ा खतरा हमें है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार का यह संशोधन विधेयक लाये हैं उससे साफ जाहिर है कि वे मजदूरों को डरा कर, धमका कर और दूसरे जो इनके पास हथियार हैं उनको काम में लाकर मेम्बरों को इधर से उधर कर सकते हैं। कभी बोनस की बात कर दें, कभी पैसे की बात कर दें और इस तरह की बातें करके उनको अपनी तरफ खींच लें। यह मन्शा इनकी दिखती है। इस लिए बहुत अदब के साथ उनकी बातों का आदर करते हुए और दूसरी बातों का ध्यान रखते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि वे बुजुर्ग नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं। उनके सेन्टीमेन्ट्स को ध्यान में रखते हुए भी इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : एक माननीय सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इन्टक के प्रति उदासीन है और उसकी उपेक्षा करती है– इस सम्बन्ध में क्या कहना है ? क्या यह सही है या गलत है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह विभिन्न विषय का प्रश्न है।

श्री भीखाभाई : सरकार किसी के प्रति उदासीन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : If the mover wants to say anything......

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : जवाब तो देना है।

Page No 84

श्री उपाध्यक्ष : कुछ इस विषय में थोड़ा सा कह दें; मिनट, दो मिनट में।

श्री कुमारानन्द : I have got the right of reply.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो अमेंडमेंट बिल रखा है वह बहुत ही सिम्पल व सरल बिल है। मैं ताज्जुब करता हूँ कि इसका भी विरोध किया जा रहा है। इस बिल का समर्थन करने वालों में से कई भाइयों ने भी इस अमेंडमेंट बिल को प्रवर समिति में देने के लिए सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सी कमी हैं जो नहीं रहनी चाहिए। इस बिल में सिर्फ ब्यावर की यूनियन को ही मान्यता देने के लिए ही ट्राई नहीं किया है। इसके अन्दर और भी बातें हैं। इसके अलावा और कई इसमें बातें हैं। जिन माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, उनका ध्यान मैं एक्ट की तरफ आकर्षित करता हूँ, ओरीजिनल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का १९५४ का, ट्रेड यूनियन एक्ट और उसमें जो राजस्थान सरकार ने अमेंडमेंट किया है, एक्ट नं०३४ के मुताबिक सिर्फ यह रखा है और बाकी की चीजें उसमें नहीं रखी हैं। इसलिए इसमें किन यूनियन को किस तरह मान्यता दी जाती है, सेक्शन ३४ ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार, वह बात रखी थी। और कोई बात नहीं रखी हैं। तो जिन भाइयों ने कहा कि प्रवर समिति में यह बिल जाना चाहिए उनके लिए इतनी बात मुझे कहनी है।

अब श्रम मंत्री, भीखाभाई मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं. हमारे आपस में अच्छे सम्बन्ध हैं। लेकिन उन्होंने सदन में खड़े होकर जितना ड्रामा किया हाथ हिला कर, पैर हिला कर उतना ड्रामा हमसे नहीं किया जायगा। मैं उनकी बातों का जवाब देने से पहले केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ए० आई० टी० यू०सी० और आई०एन०टी० यू० सी०, इन दोनों में फर्क क्या है। आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले ए०आई०टी० यू० सी० था, जिसके बड़े बड़े नेता प्रेसीडेंट रह चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसीडेंट रह चुके हैं, सुभाषचन्द्र बोस उसके प्रेसीडेंट रह चुके हैं। ए० आई० टी० यू० सी० की जब १९४७ में कलकत्ता में कांफ्रेन्स हुई थी उस वक्त भी मेरे ख्याल से कांग्रेस के सदस्य उसमें मौजूद थे। उसके बाद आई० एन० टी० यू० सी० का जन्म हुआ। इसका जन्म होने का क्या कारण था ? बिल्कुल साधारण बात थी। इनमें से एक तो है जो क्लास-वार में विलीव करती है, वर्ग युद्ध में विलीव करती है, पूंजीवाद को, मेटिरियलिस्टिक वर्ग को क्लास वार से समाप्त करने में विलीव करती है। और दूसरी है, महात्मा गांधी........

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य अपने बिल के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करने तक सीमित रहें तो समयाभाव को देखते हुए यह ठीक रहेगा, अन्यथा आगे वाले बिलों के लिए समय कम रह जायगा।

श्री कुमारानन्द : मैं इसी पर आना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों में क्या फर्क है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : It is a point consistent with the Bill.

श्री कुमारानन्द : इन दोनों में क्या फर्क है ? तो एक तो है जो महात्मा गांधी की थ्योरी में विलीव करती है, क्लासवार में विलीव नहीं करती । महात्मा गांधी बहुत बड़े महात्मा थे, सबके लिए मान्य हैं, पूज्य हैं और राष्ट्रपिता हैं । वे क्लास वार में विलीव नहीं करते थे वे हृदय परिवर्तन में विलीव करते थे और बड़े बड़े पैसे वालों के हृदय को शुद्ध करके हृदय परिवर्तन करने में विलीव करते थे । तो दोनों यूनियन्स में रात-दिन का फर्क है । एक तो क्लास वार में विलीव करती है, क्रांति के जरिये, किसान और मजदूरों को संगठित करके, क्रांति करके समाजवाद लाना चाहती है और दूसरी समाजवाद लाना चाहती है दोनों को समझा कर-मजदूर संगठन को समझा कर और पैसे वालों को समझा-बुझा कर उनके अन्दर मेल करवा कर परिवर्तन लाना चाहती है । यह दोनों में फर्क है । सबको अपना अपना राइट है । सब लोगों का, सारे साथियों का राइट है कि वे मजदूरों में काम करें और अपनी यूनियन बनायें । लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ सब बातें छोड़ कर कि माननीय श्रम मंत्री ने इतना बताया और आई० एन० टी० यू० सी० के प्रेसीडेंट जो मेरे मित्र हैं, श्री बृजसुन्दर ने बताया कि हम कानून को जानते हैं । माननीय श्रम मंत्री कानून जानते हैं और श्री बृजसुन्दर भी जानते हैं । लेकिन मुझे दुःख होता है कि श्री बृजसुन्दर को मजदूर उनके सेक्रेटरी और मजदूर-नेता नहीं मानते । इनके सेक्रेटरी मानते हैं कि इनको एक्सपीरियेन्स क्या है मजदूरों में काम करने का । यह सेक्रेटरी खुद मानते हैं ।

तो इनको सुन कर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिये । मैं कहता हूँ कि वेरीफिकेशन का यह जो प्रश्न है उसके लिये पहले मैं अपने स्टेटमेंट में कह चुका हूँ कि यह काम लेबर कमिश्नर के हाथ में है और लेबर कमिश्नर और ऑफिसर अधिकतर सरकारी दृष्टिकोण के अनुसार ही काम करते हैं । इस बात को हम देख चुके हैं । जयपुर के लेबर कमिशनर श्री शुक्ला जोशी थे उनसे हमने बातचीत की है । लेबर कमिशनर हम उनको मानते हैं, लेकिन जिसका दिमाग खराब हो उसके पास कौन जावे ।

इसके अलावा हम कई लेबर कमिश्नरों को पहले ही देख चुके हैं । ब्यावर में हमने लेबर कमिश्नर को देखा है, पाली में देखा है, सारे राजस्थान में देखा है । मजदूरों के साथ उनका क्या व्यवहार था और किस तरह से वे मजदूर लोगों को तंग करते थे और इन्टक का प्रचार करते थे ! हमारे मंत्री महोदय, हमारे विद्युत मंत्री, श्रीमान् राजा साहब यूनियन बना कर, वहां पर आपस में फूट डाल कर इंटक को प्रोत्साहन देते हैं ।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : यह गलत है ।

श्री कुमारानन्द : यह मेरा चैलेन्ज है । मैं यह कहूँगा कि या तो वे अपना इस्तीफा दे दें या मै अपना इस्तीफा दे देता हूँ ।

अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि पाली टैक्सटाइल यूनियन, मजदूरों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था है उसको आपने तीन साल हो गये अभी तक मान्यता नहीं दी, जिसको इन्टर्नल ट्रिब्यूनल मान चुकी है । मगर आपने, तीन वर्ष हो गये, अभी तक मान्यता नहीं दी है । आप मजदूरों में आपस में फूट डालना चाहते हैं और इन्टक को ही मान्यता देते हैं ।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही............

(श्री कुमारानन्द भी साथ साथ बोलते रहे)

श्री कुमारानन्द : तो फिर क्या कारण है कि पाली टैक्सटाइल यूनियन को आज तीन साल हो गये मान्यता नहीं देते हैं । what is the reason, you are not recognising the Pali Union ?

उदयपुर में भी आपने हर तरह से उनको दबाने की कोशिश की है । आपने लोगों को जेलों में भेजा । उसके बाद अब आप कहते हैं कि दुर्गाशंकर दुर्गावतजी वगैरह काम करते है । पी०डब्ल्यू०डी०यूनियन, पाली की यूनियन के बारे में आप क्या कर रहे हैं ? इसके लिये हमने कहा कि अगर सरकार मजदूरों का हित चाहती है और आपस में यूनियनों में फूट डालना नहीं चाहती तो मान्यता देने के लिये बैलट बॉक्स द्वारा निर्धारित तरीका अपनाना चाहिये, तो इसके लिये हमारे माननीय मित्र, बृजसुन्दरजी कहते हैं कि यह तरीका ठीक नहीं होगा । मैं यह कहूँगा कि अगर यह तरीका ठीक नहीं है तो पार्लियामेंट के इलेक्शन बन्द करो जो बैलट बॉक्स से होते हैं, एसेम्बली के इलेक्शन बन्द करो और इनका चुनाव भी बैलट बक्सों से न करवा कर यह कहो कि हाथ खड़े करके इनके भी चुनाव किये जावें । सरकार ने अगर किसी तरीके को ईमानदार तरीका देखा तो वह बैलट बॉक्स के जरिये इलेक्शन कराने का तरीका है, जिसके जरिये से ईमानदारी से चुनाव कराया जा सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसीलिये हमने बैलट बॉक्स के द्वारा चुनाव कराने की बात कही है । इसको आप नहीं मानते । मैं यह कहूँगा कि अगर बैलट बॉक्स द्वारा चुनाव हुआ तो आपकी यूनियन का नाम कहीं नहीं रहेगा । आपके बैलट द्वारा चुनाव करा कर देखिये कि कौनसी यूनियन कायम रहती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री कुमारानन्द)

इसके अलावा अब रहा हमारे माननीय पी० डब्ल्यू० डी० के मंत्री हैं। २३, २४, २५ को जैसे मैंने कहा कि पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी मीटिंग करके हड़ताल करने वाले हैं। उसके बारे में कहते हैं कि इन्टक जयपुर की............

श्री भीखाभाई : मैं एक प्रश्न पूछता हूँ।

श्री कुमारानन्द : श्रम व लेबर के मंत्री भीखाभाई हैं। मगर ८। ९ तारीख को लेबर फैडरेशन का जो जलसा हुआ था उसका उद्घाटन महाराजा श्री हरिश्चन्द्रजी ने किया; It is intolerable to the labour. तो इसके लिये हम पूछना चाहते हैं कि श्रम मंत्री भीखाभाई हैं या दुर्गावत हैं या राजा हरिश्चन्द्रजी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्रम मंत्री आपकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि इनको बिठा द। मैं इसको बड़ा सख्त एतराज काबिल मानता हूँ। मैंने देखा है।

(शोर-गुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या आपको ख्वाब आ रहा है ?

श्री मुरलीधर व्यास : आपको ख्वाब आता होगा।

श्री कुमारानन्द : माननीय उपाध्यक्ष, मेरी भी बात मानेंगे। श्रम मंत्रीजी का इशारा नहीं मानेंगे।

हमने जो इसमें रखा है उसको पार्लियामेंट में और एसेम्बलीज़ में रखा गया तरीका है, उसका अनुसरण किया है।

यह बैलट बॉक्स का तरीका सबसे अच्छा तरीका है इसको अपनाया जावे। इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ। हमारे मंत्री चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे, लेकिन हम इसको मंजूर नहीं करते। इस पर वोटिंग ले लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३ पर जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला, श्री मानिकचन्द सुराणा, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री उमरावसिंह ढाबारिया, श्री ए० जब्बार खां एवं श्री गंगासिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी-बाजार, जयपुर) : Ayes have it.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Noes have it.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुन : प्रश्न रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक में श्री विजयसिंह झाला, श्री मानिक चन्द सुराणा, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री उमरावसिंह ढाबरिया, श्री अब्दुलजब्बार खां और श्री गंगासिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि जो विधेयक श्री कुमारानन्द ने प्रस्तुत किया है उसे विचारार्थ लिया जाय।

(अस्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ नहीं लिया जा सकता। It is dropped.

नैक्सट। श्री रामानन्द अग्रवाल !

(६-३१ म. प.)

शेष गैर-सरकारी विधेयकों को विचारार्थ लेने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) **:** What would happen to the time ? With regard to the first Bill the time was allotted upto 6.00 P. M. The third Bill is also pending.

श्री उपाध्यक्ष : मैं समय के बारे में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि.... ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Point of order, Sir, when the Chair is on its legs, the Members should not leave the House. Shri PhoolChand Jain and, Shri Pratap Singh.........

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं माननीय सदस्यों से समय के विषय में निवेदन करूंगा। तीन बिल आज हमारे सामने प्रस्तुत हुए। एक बिल आधा घण्टा अधिक ले चुका है और रीजनेबिलिटी ऑफ थिंग्स यह है कि तीनों बिल आज कम से कम पेश हो जाने चाहिये। इस विषय में केवल सदस्यों का सहयोग ही काम दे सकता है। दूसरा बिल जिसके लिये ७॥ बजे तक की सीमा निर्धारित की है। उसे वैसे १५ मिनिट आगे चलाया जा सकता है और फिर तीसरा बिल लिया जायगा। इस पक्ष में सभी पक्षों के माननीय सदस्य ख्याल रखेंगे इस प्रकार की व्यवस्था का जरूर पालन करेंगे कि निश्चित समय में दूसरे बिल पर विचार किया जा सके और तीसरे बिल को भी लिया जा सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६३ (जन-मत हेतु प्रसारित).

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्षजी, मैं सदन के समक्ष राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल आॅफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) (अमेंडमेंट) बिल, १९६३ को विचारार्थ पेश करने खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्षजी, इस बिल को पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके कुछ आॅब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स दिये हैं, उसमें मैंने निवेदन किया है। लेकिन फिर भी संक्षेप में कुछ बातें निवेदन कर देना चाहता हूँ। जिस दृष्टि से यह कानून हिन्दुस्तान में बनाया गया उसका मकसद यह था कि जो कि किरायेदार लोग हैं उन लोगों को जो लैंड लोर्ड्स है मकानों के मालिक हैं वे बहुत ज्यादा किराया लेकर या मकानों से बेदखल करके उन्हें परेशान न कर सकें, उनसे संरक्षण देने के लिये इन कानूनों को बनाया गया। उन कानूनों को, विभिन्न स्टेट्स के कानूनों को अगर देखें तो टिनेन्ट्स के एविक्शन बेदखली से संरक्षण देने के लिये दो बातों का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। आम तौर से जिन कारणों से बेदखल किया जाता है उनमें महत्वपूर्ण कारण एक तो किराया न देने की हालत है और दूसरा कारण यह है कि मकान मालिक को अपने खुद के लिये या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिये मकान या दुकान की आवश्यकता हो। इन दो कारणों के अलावा और भी बहुत से कारण हैं जो इस बिल में सामान्यतया टच भी नहीं किये हैं।

किराया न देने के कारण बेदखली और अपनी आवश्यकता के लिये बेदखली–इन दो कारणों को किसी न किसी रूप में बनाकर फिक्टीशियल तरीके से बेदखल नहीं करायें, इसके लिये दो तरह के प्रोविज़न्स तकरीबन हर स्टेट में शामिल किये गये हैं। डिफॉल्ट के लिये, कि किरायेदार ने किराया नहीं दिया हो, उसके लिये यह लाजिमी रखा है कि मालिक मकान उस हालत में किरायेदार को रजिस्टर्ड नोटिस दे, फिर भी यदि किराया नहीं दे तो माना जाय कि उसने डिफॉल्ट किया है। दूसरे यह किया गया है कि.......

(६.३५ म.प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति, पदासीन)

अगर किरायेदार किराया जमा करा दे तो दावा होने पर पहली पेशी पर अगर किरायेदार किराया जमा करा दे तो उसके डिफॉल्ट की बिना पर मकान से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो यह व्यवस्था हर स्टेट के कानून में दी गई है। हमारे राजस्थान में भी जब ५० में यह कानून बनाया गया था तब ये दोनों सुविधाएं किरायेदारों के लिये मौजूद थीं। किन्तु ५२ में किन्हीं कारणों से, मैं नहीं कह सकता कि किनका रिप्रेजेन्टेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ था, ५२ में हमारी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाकर इन दोनों सुविधाओं को, जो किरायेदारों के लिये थीं, इनको एक तरह से हटा सा दिया गया है। रजिस्टर्ड नोटिस के क्लॉज़ को तो बिलकुल निकाल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिया है। दूसरा क्लॉज़ था कि पहली पेशी पर किरायेदार किराया जमा करा दे उसमें परन्तुक जोड़ कर ऐसा निरर्थक बना दिया है कि उसका कोई फायदा किरायेदार नहीं उठा सकता और यह जोड़ दिया कि अगर किसी किरायेदार ने १८ महीनों में दो–दो महीनों के ३ डिफॉल्ट्स कर दिये तो उसने ऐसी खता कर दी कि उसकी तो मौत ही है, कोई इलाज नहीं; कोर्ट में उसके खिलाफ बेदखली की डिक्री लाजमी होगी, चाहे रुपया जमा करा दे, चाहे कुछ भी करे और हमारे राजस्थान के हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने जो राजस्थान का मौजूदा यह कानून है, उस पर जो रूलिंग्ज़ दी हैं उसमें किरायेदारों की इस एक्ट में दयनीय स्थिति पैदा कर दी है, जिसने कि हमें यह बिल सदन में लाने के लिये प्रेरित किया है।

१९६० के राजस्थान लॉ वीकली के पेज ४७१ दिया है, उसमें जजमेंट हुआ हाई कोर्ट का, जिसमें कहा है कि १८ महीने में तीन दफा दो-दो महीने का यदि किसी किरायेदार ने डिफॉल्ट कर दिया तो फिर बाद में वह चाहे किराया भी अदा कर दे और मकान मालिक किराये को मंजूर भी कर ले फिर भी इस खता की सफाई नहीं हो सकती, फिर कॉज़ ऑफ एक्शन होगी ही। किराया चाहे टिनेन्ट् से बराबर लेता रहे पर पीछे खता की थी उसकी बिना कर दावा किया जा सकता है और डिक्री हो जायगी। एक तो यह फैसला उन्होंने दे दिया।

दूसरा जो एक खतरनाक पहलू है, वह यह है कि हमारे इस कानून से पहले कॉमन लॉ है, ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत, उसकी धारा ११४ में इस प्रकार का प्रावधान है कि किराया किरायेदार ने जमा नहीं कराया हो और अदालत में सवाल पेश करे, उस दशा में यदि किरायेदार तमाम किराया, दावे का खर्चा और ६ प्रतिशत सूद जमा करा दे और यदि अदालत न्याय संगत समझे तो बावजूद इसके कि डिफॉल्ट किया था, उसको डिक्री बेदखल की नहीं दे। किन्तु अभी कुछ रूलिंग्स हुई हैं, जिसके तहत किसी ने ३ दफा २–२ महीने के डिफॉल्ट्स १८ महीने में कर दिये हों तो वह दफा ११४ से भी वंचित है, इस कॉमन लॉ का फायदा वह नहीं ले सकता।

तो सभापति महोदय, इस तरीके से हमारे इस मौजूदा कानून की यह शक्ल बन गयी है कि टीनेन्ट के खिलाफ लैंड लॉर्ड यह क्लेम कर सकता है कि उसने १८ महीने में ३ दफे दो–दो महीने किराया अदा नहीं किया उसके सिर पर सरकार की बेदखली की तलवार लटकती रहेगी। उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रेक्टिस में ऐसा होता है कि जो होशियार मालिक है वह ६ महीने बड़ी आसानी से निकाल लेता है और ज्यों ही ६ महीने बीत गए उसने अपने हाथ में अग्नि शस्त्र ले लिया और फिर जब चाहे डिक्री हांसिल कर ली और मकान खाली करवा सकता है।

(श्री रामानन्द)

इस तरह से हमारे कानून की इस शक्ल को, बजाय टीनेन्ट्स के प्रोटेक्शन के अगर लैंड लॉर्ड्स के प्रोटेक्शन का कानून कहें तो गलत नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आज हर जगह सिविल कोर्ट्स में इस प्रश्न पर दावे हो रहे हैं और डिक्रियां हो रही हैं!

दूसरी बात यह कही गई कि बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता के लिए जो भी जरूरत है, उसका मिसयूज़ होता है। और कानूनों में जैसे बॉम्बे, दिल्ली हैं, उनमें यह प्रावधान है कि इस प्रकार देखा जाना चाहिए कि किरायेदार को बेदखल करने से या किराये-दार को न बेदखल करने से बैलेंस ऑफ हार्ड-शिप किधर ज्यादा होगा; लैंड लॉर्ड को ज्यादा दिक्कत होगी या किरायेदार को ज्यादा दिक्कत होगी। हमारे यहां पर भी उसी बेसिस पर एक्ट्स बने हैं। इंगलैंड के एक्ट्स हैं उनके अन्दर इस प्रकार के प्रावधान हैं कि बैलेन्स ऑफ कन्वीनियेन्स को देखा जाना चाहिए। वह भी अमेंडमेंट रखा है कि बोना फाइडी रिक्वायरमेंट के लिये जो बेदखली हो उसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियेंस देखा जाय।

दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इस बिल में वह है एप्लीकेबिलिटी की। अभी हमारे यहां सरकार की मन्शा से जिस शहर के लिए गजट में पब्लिश हो उस पर एप्लीकेबल होते हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि राजस्थान के सिर्फ ८३ कस्बों और शहरों में यह लागू है जबकि ५,०० की आबादी के हमारे प्रांत में १८४ शहर हैं या कस्बे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या दिक्कत है अगर इस एक्ट को एप्लाइ कर दिया जाय तमाम स्टेट में। अगर दूसरी स्टेट्स के कानूनों को देखें तो और उड़ीसा में तो डाइरेक्टली तमाम स्टेट में लागू है और दूसरी स्टेट्स जितनी भी हैं वहां तमाम अर्बन एरियाज़ में लागू है, उसमें म्यूनिसिपैलटीज़, टाउन्स कमेटीज़ और इस तरह के एरियाज़ को कवर किया है। अगर उनको कवर किया जाय तो इससे हमारे बहुत से किरायेदारों, जिनको कि आज सुविधा नहीं मिलती है, उनको सहूलियत मिल जायगी। आज राजस्थान में छोटे छोटे तहसील हैं, कोर्ट्स होने की वजह से, पंचायत समितियों की वजह से, मकानों पर बड़ा प्रेशर आ रहा है। मैं अपने जिले की बात करता हूँ, किशन-गढ़, गोविंदगढ़, खैरथल, राजगढ़, आदि सभी जगहों पर मकान का ५०) – ५०) रु० किराया हो गया है। कहीं पर यह कानून लागू नहीं है।

यह कानून १ जून, १९५१ के बाद जो मकान बने हैं, उनके लिए सात साल के लिए लागू नहीं होगा। मैंने इस अमेंडमेंट को हटाया है, क्योंकि जितने भी नए मकान हैं उन पर यह लागू होना चाहिए। उनको अपनी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्वेस्टमेंट पर ६ प्रतिशत ब्याज मिल सके, इस तरह की सुविधा है इसमें।

पांचवी बात है बिजली पानी और फ्लश लैट्रिन्स की सुविधाएं मिलने की। कानून के तहत यह प्रावधान है कि जिस मकान में पहले से ही ये सुविधाएं हैं उनसे मकान मालिक ये सुविधाएं नहीं छीन सकता, लेकिन यह प्रावधान नहीं कि जिन मकानों में ये सुविधाएं नहीं हैं और अगर उस लोकेलिटी में हैं तो किरायेदार लैंडलॉर्ड को लाजमी तौर से मजबूर कर सकेगा। तो इस अमेंडमेंट के जरिए हमने कोशिश की है टीनेन्ट मैजिस्ट्रेट के इन्टरवेन्शन से ये सुविधाएं प्राप्त कर सकें बशर्ते कि रीजनेबल किराया दे सके। राजस्थान में नई नई बिजली आ रही है। मकान मालिक किरायेदार को निकालने के उद्देश्य से उसे उन सुविधाओं से वंचित रखता है, तो इसलिए मैंने इसके अन्दर यह प्रावधान रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापतिजी, यह मुख्य आधार है इस अमेंडिंग बिल का। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई किसी खास आइडियोलोजी से या पार्टी से ताल्लुक नहीं है। हमारी जनता को, खास तौर से मिडिल क्लासेज और लोअर मिडल क्लासेज, जो अपना मकान नहीं बना सकते और दूसरे के मकानों में रहते हैं, उनको बड़ी असुविधा हो रही है, जो अपनी जिन्दगी में उम्मीद नहीं कर सकते अपना मकान बनाने की। आज स्टेट के जो सोश्यल लॉज हैं, खास कर ऐसी पार्टी जिसकी सरकार क्लेम करती है, समाजवादी समाज व्यवस्था की बात करती है। आज हिन्दुस्तान में दूसरे प्रांतों में ऐसा कानून लागू है, तो राजस्थान उनसे आगे बढ़ता तो हमारे लिए प्राइड की बात होती, लेकिन राजस्थान पीछे हट रहा है दूसरे प्रांतों के। सिवाय वेस्ट बंगाल के थ्री डिफॉल्ट्स वाली क्लॉज और किसी प्रांत के अन्दर नहीं है, बॉम्बे, यू०पी०, पंजाब, जितनी भी हमारी पड़ौस की स्टेट्स हैं सबमें सुविधाएं हैं, रजिस्टर्ड नोटिस की पहली हिअरिंग जमा करने की, ये सुविधाएं सबके अन्दर है, तीन डिफॉल्ट्स की केवल वेस्ट बंगाल के अन्दर है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप यूनेनीमसली इस बात को एग्री करें। इस बिल में कोई हार्मफुल बातें नहीं हैं। अगर कोई खास ऑब्जेक्शन आयेंगे तो मैं अपने रिप्लाई में उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सदन इसे यूनेनीमसली पास करेगा।

श्री सभापति : कोई माननीय सदस्य अपना भाषण प्रारंभ करें उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लगभग ६ प्रस्ताव प्रवर समिति को भेजने के हैं और जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए हैं। समय इस विधेयक का केवल ७।। बजे तक है। इसमें सरकार की ओर से भी कहा जायगा और

(श्री सभापति)

प्रस्तावक महोदय का उत्तर भी है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पांच मिनट से अधिक न लें ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : एक माननीय सदस्य ने इस सदन में एक अमेंडिंग बिल राजस्थान प्रेमिसज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड एविक्शन) अमेंडमेंट बिल पेश किया है । भावना बिल की बहुत अच्छी है और मैं उसकी कद्र करता हूँ । जहां कि उन्होंने किरायादारों की सुविधा के लिए बहुत ध्यान दिया है वहां हमारे राज्य की ओर से एक कानून बना हुआ है, लेकिन कई मामलों में वह साइलेंट है और उसके साइलेंट होने से पेचीदे मसले सामने आते हैं । बिहार और बम्बई का रेफर करता हूँ और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो इस बिल में खामियां देख रहे हैं, अमेंडिंग बिल में, उसके आधार पर उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है, खास तौर से जो इस अमेंडिंग बिल में किराये का मसला रखा है । वैसे तो उनकी भावना बहुत अच्छी है । हमारे राजस्थान में जो ७।। परसेंट है वह डेकोरेटेड, वेल फर्निश्ड बंगलोज के लिए हैं, जैसा धारा १० में है । लेकिन जो अमेंडमेंट बिल में ६ परसेंट टोटल वैल्यू ऑफ कन्स्ट्रक्शन है वह मुझे बहुत ज्यादा प्रतीत होता है । मैं इसका विरोध करता हूँ । साथ २ जैसी कि भावना है उनके किराया फिक्स करने की, वह बहुत अच्छी है । किराया फिक्स होना चाहिए ।

दूसरी चीज है, आम तौर से किरायेदार परेशान होता है । मकान मालिक कहता है, मुझे मकान बेचना है, ऐसा बिहार और बम्बई रेन्ट कन्ट्रोल में प्रोवीज़न है । मालिक बैठता है और कोर्ट से डिक्री हो जाती है । बिहार और बोम्बे के रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट में एक प्रकार का प्रोवीज़न रखा है कि जो मकान मालिक मकान खाली कराने में कामयाब हो जाता है और सर्टेन पीरियड में वह मकान मालिक उनको यूज़ नहीं करता है तो उसमें प्रोवीज़न है कि उस टीनेन्ट को उसका कॉम्पेन्सेशन देना पड़ेगा; उस टीनेन्ट को जिससे मकान खाली करवाया है । ऐसा प्रावधान राजस्थान एक्ट में नहीं है । इसके बिना आये दिन किरायेदारों को परेशान किया जाता है ।

आज मान लीजिये किसी की दूकान या मकान जौहरी बाजार में है, वह इस बिना पर कि वह मकान या दूकान उसको अपने निजी कार्य के लिये जरूरत है, इस बिना पर कोर्ट उसे डिक्री दे देता है और उससे खाली करवा लिया जाता है । उसके बाद चाहे वह किसी दूसरे को किराये दे सकता है । लेकिन बॉम्बे और बिहार में यह होता है अगर इस तरह से एक से खाली

(श्री अब्दुलजब्बार)

करवा कर दूसरे को किराये पर दे देता है तो he must be punished. इस तरह से अगर यहां भी होता है तो इससे मकान मालिक को काफी अच्छा सबक मिल सकता है।

इसके साथ साथ बॉम्बे एक्ट में इस प्रकार का भी प्रोवीजन है कि अगर मकान मालिक कहता है कि मुझे मकान में कुछ एडीशन-आॅल्टरेशन आदि करवाना है तो वैसी हालत में मजिस्ट्रेट उससे सेटिस्फेक्टरी नोट मांगेगा, आया उस मकान मालिक के पास इतना अमाउन्ट भी है या नहीं जिससे वह जो एडीशन्स, आॅलटरेशन्स करना चाहता है वह कर सकेगा। मजिस्ट्रेट को तसल्ली हो जाय तब वह खाली कराने के लिये आज्ञा देता है, यह हकीकत में रिवोल्यूशनरी कदम है। इस प्रकार का प्रावधान हमारे यहां के भी एक्ट में होना चाहिये ताकि इस तरह का बहाना बनाकर कोई मकान मालिक किसी से मकान खाली न करवा सके। बॉम्बे के एक्ट में उसकी हैसियत देखते हैं कि वह इतनी मालियत रखता भी है या नहीं, उसके बाद वह इजाजत देता है।

साथ ही साथ इस एक्ट में एमिनीटिज के प्रोवीजन के बारे में भी क्लॉज रखा गया है, बिजली, नल आदि की सुविधायें भी जो पास में अन्य मकानों में हैं तो उसको भी मिलनी चाहिये। लेकिन जहां तक मकान मालिक का संबन्ध है वह मकान तो जिससे खाली करवाना होता है वह उसे तंग करता है या तो नल का कनेक्शन हटा देते हैं या इस तरह से करते हैं कि उसका प्रेशर कम हो या नीचे का नल खोल देते हैं ताकि ऊपर रहने वाले किरायेदार को पानी न मिल सके; इस तरह की परेशानियां मकान मालिक किरायेदार के साथ किया करते हैं। इसके लिये भी साफ प्रोवीजन होना चाहिये कि मकान मालिक किसी भी तरह से किरायेदार को तंग न कर सके। उसको सजा मिल सके, ऐसा प्रोवीजन भी होना चाहिये। सभापति महोदय, हकीकत में हमें किरायेदारों की सुविधा के लिये रिवोल्यूशनरी स्टेप लेना चाहिये, उसके बिना इस प्रकार की चीजें नहीं रुक सकेंगी। इसके लिये बिहार और बॉम्बे में जो प्रोवीजन किया गया है वह हमें भी करना चाहिये। अगर मकान मालिक बिना अपनी जरूरत के खाली करवा लेता है और उसके बाद दूसरे को सब-लेट कर देता है तो उसको सजा दी जा सकती है। इन भावनाओं के साथ जो खामियां राजस्थान किराया और बेदखली नियन्त्रण विधेयक, १६६३ में हैं उनको इस बिल द्वारा अमेन्ड करना चाहते हैं, इसके लिये मेरा सदन के महानुभावों से निवेदन है कि मकान मालिकों के व्यवहार से लाखों किरायेदार परेशान हैं, आज लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सिर छिपाने के लिये जगह नहीं है, उनको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। कुदरत ने हम सब

(श्री अब्दुलजब्बार)

को अधिकार दिये हैं, उन अधिकारों का हम सदुपयोग करेंगे और उनको राहत पहुँचायेंगे। इस भावना के साथ मैं यह प्रस्ताव करता हूँ, हमें इसमें जनमत की भी जानकारी हो जाय इसलिये इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाये, यह मेरा प्रस्ताव है और हम इस प्रकार का संशोधन कर सकें जिससे न मकान मालिकों को परेशानी हो और न किरायेदारों को तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने संशोधन विधेयक रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन के साथ साथ यह प्रस्ताव रखता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इसमें और सुधार हो सकें।

बहुत संक्षेप में ही मैं इसके बारे में सुझाव देना चाहता हूँ। धारा १० में स्टेंडर्ड रेन्ट जो कायम है उस स्टेंडर्ड रेन्ट के बारे में जो एक आधार रखा है, जो आधार मौजूदा एक्ट में है, मैं समझता हूँ वह आधार उपयुक्त आधार नहीं है। साढ़े सात परसेन्ट हमने किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या यह सब जगह पर लागू होगा, यह भी हमें देखना पड़ेगा। जयपुर जैसे बड़े शहर में या उदयपुर जैसे शहर में वही छः परसेन्ट उपयुक्त हो सकता है, लेकिन जहां छोटी आबादियां हैं वहां के लिये यह प्रश्न पैदा होता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो परसेन्टेज रखा है वह सारे राजस्थान में एप्लीकेबल कर दिया जाय। छः परसेन्ट एक शहर के लिये उपयुक्त हो सकता है,लेकिन छोटे-छोटे कस्बे हैं वहां के लिये छः परसेन्ट रेन्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जनसंख्या के आधार पर स्टेंडर्ड रेन्ट कायम करना चाहिये।

दूसरा संशोधन यह है कि एक ही शहर के अन्दर एक ही कीमत का मकान बना हुआ है। मैं समझता हूँ वहां पर भी जहां तक रेन्ट का सवाल आयगा वह सिच्युएशन पर भी निर्भर करेगा। एक मकान ऐसी जगह स्थित है जहां का रेन्ट ज्यादा आ सकता है और उसी कीमत का मकान दूसरी ऐसी जगह स्थित है कि उसका किराया उतना नहीं आ सकता। तो इन बातों पर भी हमें विचार करना पड़ेगा।

इसके अलावा सभापति महोदय, पुराने जिनके मकान बने हुए हैं और वे पुराने मकान इस प्रकार के हैं जिनमें आधुनिक सुविधा नहीं हो सकती या आधुनिक सुविधायें वहां प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिये खर्चा बहुत ज्यादा आता है, उसमें भी अगर हम परसेन्टेज लगाते हैं, ६ परसेन्ट लगाते हैं यह वाजिब नहीं होता। बहुत से ऐसे आधार हैं जिनको देखकर स्टेंडर्ड रेन्ट कायम करना चाहिये और कायम करना पड़ता है।

(श्री विजयसिंह झाला)

दूसरा, माननीय सदस्य ने सुविधाओं के बारे में अमेन्डमेन्ट १२ रखा है इसमें; हमारा राजस्थान सारा अफेक्टड होता है, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। वह इसलिये करता हूँ कि जहां तक पंजाब का सवाल है, बम्बई का सवाल है, बिहार और दूसरे प्रदेशों का सवाल है, वहां ज्यादा फोर्वर्डनेस होने की वजह से ये सुविधायें थीं। वहां पर आस-पास बिजली लगी हुई है और मकान मालिक जो उसी के पास रहता है, वह अपने मकान में नहीं लेता है। वह देखता है कि मेरे लेने से ज्यादा खर्च आयगा, उसकी हैसियत नहीं और टीनेन्ट्स यह चाहते हैं कि उनको वे भी सुविधायें मिलें, मैं इस संशोधन का भी हार्टिली समर्थन करता हूँ। इसके साथ साथ जो पनिशमेन्ट का प्रोवीजो रखा है उस पर भी मैं संशोधन रखता हूँ और यह रखता हूँ इण्डियन पीनल कोड की धारा ४२५ का सेक्शन इस पर एप्लाई होता है रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट में। जहां तक सुविधाओं के काटने का सवाल है ४२५ इण्डियन पीनल कोड एप्लाई होता है जिसके द्वारा दंडित किया है; इसलिये मैं समझता हूँ इस संशोधन की आवश्यकता यहां नहीं है।

जैसा आसाम और बिहार के अन्दर है कि नोटिस देने के बाद भी अगर मकान मालिक सुविधायें नहीं देता है और पुरानी सुविधायें हैं वह काट देता है, तो उसमें यह हो सकता है कि नोटिस देने के बाद भी सुविधायें नहीं देता है तो वह टीनेन्ट अपने खर्चे से वे सुविधायें उपलब्ध कर सकता है और उस अमाउन्ट को वह रेन्ट में से काट ले।

सभापति महोदय, दूसरा अमेन्डमेन्ट इस बिल की डेफीनिशन के बारे में है। जो मौजूदा एक्ट में डेफीनिशन दी गई है उसके बारे में गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। डिफॉल्टर्स के बारे में मौजूदा एक्ट में जो डेफीनिशन दी गई है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। जहां दो महिने का डिफॉल्ट हो जाता है और लगातार १८ महिने में तीन बार डिफॉल्ट हो जाता है तो उससे हमेशा के लिये खाली कराने के बारे में है, उसके लिये यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि यह डिफॉल्ट नहीं है; इस अमेन्डमेन्ट का मैं स्वागत करता हूँ।

(७.०० म० प०)

लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें जो प्रोवीजो जोड़ा गया है कि मनीऑर्डर के द्वारा यदि रुपया भेजा जायेगा और उसको यदि मकान मालिक एक्सेप्ट नहीं करता है तो वह रुपया उसके पास वापिस आ जाता है तो उसके बाद............

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसको मैं जरा पढ़ दूं :

"Provided that if a tenant has remitted such amount to the landlord by Money Order successively twice

(श्री विजयसिंह झाला)

when the rent become due at his ordinary address and the same has been received back by the tenant on account the landlord having not accepted the same non-remittal of further amounts to the landlord by the tenant shall not be considered as default in payment of rent on his part."

मैं समझता हूँ कि इस प्रोविजो की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि जो मौजूदा एक्ट में प्रोविजो है, एक बार मनी ऑर्डर करायेगा उसके बाद भी डिफॉल्ट नहीं माना जायेगा। जहां तक एप्लीकेबिलिटी का सवाल है, मैं सारे राजस्थान में लागू करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ; जहां तीन–चार हजार या उससे ज्यादा आबादी है वहां ही यह लागू हो।

अन्त में मैं प्रस्ताव करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को दिया जाये।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में हूँ। पिछली बार अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसके सिद्धान्तों की चर्चा विस्तृत रूप से की है और उसके बाद में दो माननीय सदस्य उसके सिद्धान्तों की ओर भी चर्चा कर चुके हैं। जो बातें उनके बहस में आ चुकी हैं उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता इस सदन के सामने। सरकार को मैं यह निवेदन अवश्य करना चाहूँगा कि इस बिल को लाने में भी जिन परिस्थितियों का सामना आज के मध्यमवर्ग को करना पड़ेगा उसकी ओर वह ध्यान दे। शहरों में रहने वाले लोग जिनकी आमदनी कीमतों के बढ़ने के कारण वैसे ही बहुत कम हो गई है, जिनकी तनख्वाह की रियल वैल्यू बहुत कम हो गयी है क्योंकि प्राईसेज बहुत बढ़ गयी हैं और ये टीनेन्ट्स वही लोग हैं जो कि मध्यमवर्ग के हैं और उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिये सरकार ने रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड रेन्ट एविक्शन एक्ट १६५२ में बनाया था। उसमें भी ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था थी, लेकिन सरकार के संशोधनों द्वारा वह मध्यमवर्ग जिसको वह प्रोटेक्ट करना चाहती थी उसको विशेष प्रोटेक्शन नहीं मिल सका और जो मूल एक्ट है उसकी मैं इस बात से सहमत हूँ कि वह वास्तव में किरायेदारों की रक्षा का कानून नहीं है बल्कि वह मकान मालिकों के रक्षण का कानून है। सारे हिन्दुस्तान में जो किरायेदारों की बेदखली को रोकने के बारे में दूसरे राज्यों में जिस प्रकार के कानून बने हैं हमारी सरकार को चाहिये कि वह उनकी ओर तवज्जोह दे। जो चीज बम्बई में ठीक है, यू० पी० में ठीक है, पंजाब में ठीक है और

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

वहां भी कांग्रेसी सरकार द्वारा उन कानूनों को लाया गया है तो मैं नहीं समझता कि क्या कारण है कि राजस्थान सरकार बम्बई, यू०पी० और पंजाब, जहां कांग्रेस सरकार द्वारा ही जिस प्रकार के एक्ट वेदखली को रोकने के लिये लाये गये हैं उनको हमारे यहां लाने में क्या हिचकिचाहट हो सकती है ? हो सकता है, यहां की कांग्रेस लैंडलॉर्ड्स से ज्यादा घुली मिली हो और शहरों के बहुत बड़े मकान मालिक कांग्रेस में आज संरक्षण पाते होंगे ? लेकिन मैं कहता हूँ कि सन् १६५२ में सरकार एक्ट लाई उस समय परिस्थिति दूसरी रही होगी, पर आज मध्यमवर्ग की दूसरी परिस्थिति है। इसलिए जब कि कीमतें इतनी बढ़ गयी हैं और आज मध्यमवर्ग का जीवन बिलकुल असुरक्षित है, वह दो टाइम अपनी रोटियों का भी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकता। इसलिए हम उसको प्रोटेक्शन दें कि यदि वह एक महीने या दो महीने का किराया नहीं चुकाता है, इसके आधार पर उसका एविक्शन नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि यह प्रगतिशील कानून की ओर एक कदम होगा। हमारी यह मन्शा नहीं है कि मकान मालिकों को किराया न मिले या टीनेन्ट्स की तरफ से जानबूझ कर निरन्तर डिफॉल्ट होते रहें, इस बात की हमारी कतई मन्शा नहीं है।

हम इस बात को महसूस करते हैं कि अभी वह दिन बहुत दूर है जब कि इस शहर के किरायेदारों को हम मकान मालिक बना देंगे और उनको कम्पेन्सेशन दिलाकर उसकी मिल्कियत के अधिकार किरायेदारों को देंगे, वह दिन तो बहुत दूर है। लेकिन हमने एक्चुअल कल्टीवेटर्स को खातेदार टीनेन्ट बनाया है, उसको एक तरह से मालिक बनाया है, उसी तरह से अर्ध मिल्कियत के अधिकार तो किरायेदारों को भी देने चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका भी जो वर्तमान कानून है उसके बारे में मैं लॉ मिनिस्टर से कहूँगा कि हमारा कानून आज इतना सख्त है कि यदि एक दावा किसी के खिलाफ हो जाये और १८ महीने में ३ डिफॉल्ट्स हो गये तो अदालत चाहे तो भी उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती और उसकी बेदखली अदालत के सामने निश्चित है। यह सही है कि १८ महीने में दो बार तीन महीने के डिफॉल्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन सभापति महोदय, इस बात का संरक्षण तो रखना चाहिए कि यदि अदालत की पहली पेशी पर वह अपनी पूरी रकम, मय ६ परसेन्ट ब्याज के दे देता है तो कम से कम उसका एविक्शन न हो। यदि आप यह प्रोटेक्शन दे देते हैं तो हम बहुत क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाने जा रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार हमारा यह कदम होगा। इसलिए इस प्रकार की कन्टिन्जेन्सी की रकम चुकाने के बाद उसकी बेदखली न हो, ऐसी मन्शा है हमारी। इसमें न तो कांग्रेस का सिद्धान्त आड़े आ सकता है और न कुछ और आड़े आ सकता है और चूंकि यह बिल दूसरे दलों का लाया

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हुआ है, इसलिए यह प्रतिष्ठा का सवाल हो सकता है, पर मैं निवेदन यह करना चाहूँगा कि मध्यमवर्ग की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ५२ में जो कानून सरकार ने बनाया उसमें परिवर्तन की आवश्कता है और इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये।

माननीय सदस्य, जिन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा है कि ६ परसेन्ट इन्टरेस्ट दिया जाये । मैं नहीं जानता कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ६ परसेन्ट के इन्टरेस्ट की किस प्रकार से पक्ष में है या फिर कॉम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे लोग आ गये हैं कि जो इस प्रकार से मकानों में रुपया इन्वेस्ट करके ६ परसेन्ट का प्रोटेक्शन चाहते हैं । हम तो उससे भी कम इन्टरेस्ट देने के पक्ष में हैं । लेकिन ये सिद्धान्त प्रवर समिति में एग्जामिन किये जा सकते हैं और क्योंकि........

श्री सभापति : Why do you proceed with a presum ption that your party is less progressive than Communist Party ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : No, no. I am not saying that. My party is more progressive.

श्री सभापति : You are free to propose.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे ऐसा पता चला कि कॉम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से लोगों ने निर्णय कर लिया कि उनके पास ज्यादा रुपया है, वह चाहे पैट्रोल पम्प से कमाया हो या मकानों से कमाया हो इसलिए ये ६ परसेन्ट के इन्टरेस्ट की सिफारिश करते हैं............

श्री सभापति : Why introduce that lengthy subject ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिए सभापति महोदय, मैं यह चाहूँगा कि इस सारे मसले पर गम्भीरता से विचार होकर फिर सदन के सम्मुख अच्छी चीज आये तो इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाया जाये।

श्री सभापति : श्री मथुरेशबिहारी माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय सभापति महोदय मैं प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ है। जहां तक इस बिल की जो मन्शा है उसका समर्थन करने के लिए शायद ही कोई व्यक्ति इन्कार करे । जहां तक मूल एक्ट का सवाल है, जो इसका

Page No 100

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

टाइटल दिया हुआ है वह यह है; 'राजस्थान प्रेमिसेज़ (कंट्रोल ऑफ रेंट एण्ड एविक्शन); किराये पर और बेदखली पर कंट्रोल रहे, इस दृष्टि को सामने रख कर कानून बनाया गया था। लेकिन जिस प्रकार की धारायें इस एक्ट में आज मौजूद हैं और उन पर हमारे राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने निर्णय दे दिये हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो मूलभूत सिद्धान्त इस एक्ट का है वह लगभग समाप्त हो चुका है। आज किरायेदार, जिसको कि संरक्षण देना चाहते हैं, को संरक्षण नहीं मिलता है। यह मकान मालिक की इच्छा पर है कि वह कब और कैसे उसे बेदखल करे। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बिल की धाराओं पर नहीं जाऊंगा और केवल मूलभूत धारा, जिसका सम्बन्ध किरायेदारों से है, के सम्बन्ध में अपने विचार रखता हूँ। जहां तक सवाल एमेनिटीज़ का है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो मकान मालिक है वे किरायेदार को निकालने के बीस बहाने बनाते हैं लेकिन सबसे बड़ा हथियार जो मकान मालिकों के पास है वह यह है कि जो एमिनिटीज़ मकान के अन्दर प्रोवाइड की है; चाहे नल हो, चाहे बिजली हो और चाहे लेट्रीन हो, उनको अपनी इच्छा पर कभी भी काट सकता है क्योंकि जो प्रावधान एक्ट में दिया है वह यह है कि अगर किरायेदार पर किराया चढ़ा हुआ नहीं है इन चीजों का, तो मकान मालिक नहीं काट सकता है और अगर कोई काट दे तो उसकी रेमेडी इसमें यह मौजूद है कि किरायेदार अदालत में दर्ख्वास्त करे और फिर एमिनिटीज़ रेस्टोर होती हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार का प्रोवीज़न इसमें है और इसके साथ साथ अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया है इसके अन्दर भी कोई रेमेडी की धारा नहीं दी है। इस समय किसी किरायेदार का नल या बिजली काट दी जाती है, चाहे नल और बिजली का किराया बाकी न हो और येन-केन-प्रकारेण मकान मालिक काट देता है तो किरायेदार के पास एक ही रास्ता है कि वह अदालत में प्रार्थना करे और उस दर्ख्वास्त पर फैसला होने में पांच छः महीने या साल भर लग जाता है, तो उस समय तक किरायेदार को नल और बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती। इस प्रकार वह मजबूर होकर उस मकान को खाली कर देता है। इस प्रकार इस एक्ट का जो पर्पज़ है वह बेकार हो जाता है। मेरा संशोधन इस प्रकार से है कि इसमें इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि जब तक अदालत में जाकर अदालत को मकान मालिक सेटिस्फाई न कर दे कि जो किरायेदार है, उसके ऊपर नल और बिजली का किराये का पैसा चढ़ रहा है, जब तक ये जो एमेनिटीज़ हैं उनको वह न काटे; उसके बाद अगर किरायेदार के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो जाती है, तो किरायेदार अदालत में तुरन्त दर्ख्वास्त दे और उसके बाद अदालत तुरन्त हुकम कर दे,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इन्टेरिम ऑर्डर दे कि जब तक फैसला नहीं हो ये एमेनिटीज़ रेस्टोर की जाती हैं । अगर इस प्रकार के कुछ संशोधन लायें तो हम सोच सकते हैं कि हम किसी प्रकार किरायेदार का भला कर कर सकेंगे और किरायेदार को अत्याचार से बचा सकते हैं । रहा सवाल इजेक्टमेंट का, इस पर मेरे पूर्व वक्ता प्रकाश डाल चुके हैं । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य की जो मन्शा है वह इस विधेयक के अन्दर पूरी नहीं हो पाती है । जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इसका कारण यह है कि जो मिस्लेनियस प्रोविज़ो धारा १३ मौजूद है, उसमें भूल से या उनका इन्टरप्रिटेशन दूसरा है इस कारण यह हटाना भूल गये हैं :-

"That the tenant shall not be entitled to the benefit of protection against eviction provided by this sub-section if he has made default in the payment or tender of the amount of rent due from him for any two months on three occasions within a period of 18 months,"

अगर इसे इसी प्रकार रहने देते हैं तो किरायेदार को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता है, भले ही अदालत की जब पहली तारीख होती है उस रोज जाकर वह सारा किराये का पैसा जमा कर दे, तो भी संरक्षण नहीं मिलता है । मेरे ख्याल से इस प्रोवीज़ो को वे हटाना भूल गये हैं ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने जहां तक देखा, इसको आप नहीं हटा पाये । आपने यह नहीं कहा है कि प्रोवीज़ो को समाप्त कर दिया जाय और उसकी जगह यह इन्ट्रोड्यूस कर दिया जाय........

श्री सभापति : Need not go into details.

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं दो मिनट और लूंगा ।

इस प्रकार जो (ए) है, इसको समाप्त किया जाय । मैं निवेदन करूंगा कि इसकी मन्शा साफ है जो संशोधन विधेयक में स्पष्ट नहीं हुई है ।

इसी प्रकार सबसे बड़े आश्चर्य की चीज है कि इसकी दफा जो १९५१ के बाद में इमारत बनी हैं उन पर लागू नहीं होती । इसका स्पष्ट मतलब हो सकता है कि जिस रोज से हमें संविधान मिला, उसके आस-पास और बाद में, जिनके पास पैसा था और जिन्होंने उस पैसे को मकान में लगा दिया उनको नाजायज़ फायदा उठाने का अधिकार रहा है और आजादी के बाद जिन्होंने पैसा लगाया उनको अधिकार नहीं है । यह समझ में नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आता इसलिए इसे हटा देना चाहिए । क्योंकि अधिकतर ऐसी समस्या पैदा हो रही है कि गरीब लोगों को मकान में जगह नहीं मिलती । आज जो नये मकान हैं, एल. आई जी.एच. और एम. आई.जी.एच. के लोन से मकान बने हैं उनकी भी जांच कराई जाय तो अनेक मकान मालिक हैं जो किरायेदारों से मकान का मनमाना किराया, सौ की जगह दो-सौ, चार सौ रुपये वसूल करते हैं । इसलिए इस संशोधन विधेयक पर रखे, संशोधन का मैं समर्थन करता हूँ कि इन सब बातों पर विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : सभापति महोदय, यह संशोधन बिल हमारे सामने है उसके ऊपर मेरा एक प्रस्ताव है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । पहली बात तो सोचने की है कि इस तरह का कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और इस तरह का संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी ? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सदस्य बोलेंगे तो शायद कहें कि कांग्रेस सरकार है उसको कोसने की बात करते हैं ।

महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद शहरों की संख्या कम होगी और वहां की आबादी कम होकर लोग गांवों की तरफ ज्यादा जायेंगे । लेकिन आज सरकार की नीति उसके बिल्कुल विपरीत होने के कारण गांवों के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और जब वे शहरों में जाते हैं तो मकान उनको किराये पर नहीं मिलते हैं। इसलिए यह सारी की सारी अड़चन आ रही है । आज जो बड़े बड़े कस्बे हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनके अन्दर गांवों से आकर रहने वाले लोग ज्यादा हो गये हैं इसलिए वहां किराया ज्यादा हो गया है मकानों का । एक बात जो सबसे बड़ी है, जिसकी ओर आज शायद किसी का ध्यान नहीं वह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन है कि हमारे सिर पर जो पगड़ी थी, वह सिर पर से हट गई है और मकानों में आ गई है । यह ऐसी समस्या है कि जब तक यह चीज नहीं रोकी जायगी तब तक हल नहीं हो सकती । आज उसका लोभ, प्रलोभन इतना है लोगों के सामने कि चाहे उन्हें मकान की जरूरत हो या नहीं, चाहे किरायेदार महीने के महीने किराया दे रहा हो, फिर भी लोग इस-लिए उससे खाली कराते हैं कि वे लोग उस मकान की पगड़ी से पैसा कमाते हैं, जो नाजायज है, जो भ्रष्टाचार है–उस चीज का पैसा लोगों से ज्यादा मिले तो उसके लिए मकान खाली करा लेते हैं और ऐसे खाली नहीं करने के लिए अगर कोई मनी ऑर्डर से किराया भेज दे तो उसको रिसीव नहीं करेंगे जिससे उसको कहने का समय मिले कि किराया मिला नहीं इसलिए मकान खाली करा लिया । इस प्रकार उन्हें जबरदस्ती मकान खाली करना

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पड़ता है और मकान मालिक चार रुपये लेकर दूसरे को मकान दे देगा। यह पगड़ी की समस्या है, जो हमारे सिर पर से हट कर मकानों पर आ गई है। उसको रखना सरकार पसन्द करेगी तो यह समस्या हल नहीं हो सकती है। आज सरकार इस तरह का काम स्वयं करती है, यह सबसे बड़ी बात है। मुझे अफसोस तो यही है कि हम दूसरों के लिए कानून बनाते हैं और खुद उसका पालन नहीं करते हैं। आज भीलवाड़ा के अन्दर लेबर कोलोनी सरकार ने बना रखी है। अगर एक मजदूर कोलोनी के अन्दर रहता है और उसको मिल से आज निकाला जाता है, अगर शाम को छः बजे उसे मिल से निकाला जायगा तो सात बजे उसका सामान बाहर कर सरकार उसे बाहर निकाल देती है। यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि दूसरी जगह उसको मकान नहीं मिलता है। जब सरकार खुद अपने मकानों में रहने वाले मजदूरों और किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करती है तो बड़े बड़े साहूकार, जिन्होंने एक नहीं दसों मकान बना रखे हैं, जिनका किराया कमाना पेशा है और जिनके द्वारा सरकार चलाई जा रही है–ऐसे लोगों के लिए ही यह कानून है तो कोई ऐसी बात नहीं। चूंकि अब जमाना दूसरा आ गया है और लोगों को समझ में आने लगा है कि इस तरह के हमको अपने अधिकार समझने चाहिए। अब जब कि जमीन के ऊपर उन्हीं लोगों का अधिकार मानते हैं, जो जमीन को जोतते हैं, ऐसी हालत में यह होना चाहिए, कि आज एक मकान, एक से अधिक मकान जिसके पास हैं वे सिर्फ इसलिए हैं कि वह किराया कमाता है, उनसे मैं समझता हूँ कि बेदखली को रोकने की बात ही नहीं की जाय बल्कि सरकार को चाहिए कि ऐसे मकानों को उनसे छीन लेना चाहिए, जैसे कि राजा–महाराजाओं के पास से उनके एग्रीकल्चर लैंड को लेने की बात कर रहे हैं। इसी तरह एक से अधिक मकान जिनके पास हैं उनको सरकार अपने कब्जे में करे और लोगों को दे। यह हमारा कदम होना चाहिये और सही समाजवाद का कदम यही होगा। आज 'सी' स्कीम में जितने बड़े बड़े बंगले बने हैं, सन् १९५१ के बाद, जिन लोगों के बंगले बने हैं वे सभी उधर बैठने वालों के है। आज आप वहां पर जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि जितने टू लेट के बंगले हैं वे सी स्कीम में हैं; वे या तो अफसर लोगों के बंगले हैं या मिनिस्टरों के हैं; इसलिये सन् १९५१ के बाद जितने भी मकान हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। आप कहते हैं कि हम गरीबों को राहत देने के लिये कानून बनाते है लेकिन वास्तव में देखा जावे तो उस कानून से गरीबों को राहत नहीं मिलती। हर समय हाउस में आप इस प्रकार की बातें करते हैं! मगर हम देखते हैं कि मकान मालिक एक, दो या तीन महीनों का किराया नहीं ले जाता और बाद में वह यह

Page No 104

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कहता है कि मुझे किराया नहीं दिया गया। इस बहाने से मकान को उस व्यक्ति से जो उस मकान में रहता है खाली करवाना चाहते हैं। क्योंकि दूसरे से उसको ज्यादा पैसा मिलता है।

सभापति महोदय, मैं आपको सरकार की बात बताता हूँ। बापू बाजार है और दूसरा आज नेहरू बाजार आपने बनाया है। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि वहां पर क्या समस्या है ? आपने पार्टी को ४ हजार में एलॉट किया है लेकिन वह पार्टी दूसरे को १६ हजार में दे देती है। जिसका ५०) रु० महीने का किराया है उसका आज १५०) रु० किराया ले रहे हैं और लोगों से जबरदस्ती से मकान खाली कराये जा रहे हैं। यह इस तरह की समस्या है जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये क्योंकि लोगों को जो छोटे छोटे गांवों से आकर बड़े गांवों में बसते हैं उनको तनख्वाह कम मिलती है। उनकी तनख्वाह ६०) रु० माहवार होती है और उसको उदयपुर में बदल देते हैं तो वहां पर उनको २५) रु० माहवार किराये से कम में मकान नहीं मिलता। इस तरह की समस्या होती है तो यह एमेन्डमेंट हमारे सामने लाते। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून को प्रवर समिति में भेजा जाये और इसकी जो भी कमियें हैं उनको पूरा करने के बाद इसको पास किया जावे।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : सभापति महोदय, राजस्थान भू गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६३ पर मेरा एमेन्डमेंन्ट है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे। इसका कारण यह है कि इसमें कुछ प्रावधान इस प्रकार के हैं जिनको अगर लागू किया जावेगा तो मैं समझता हूँ कि लैन्ड लौर्ड और टीनेन्ट के लिए ठीक नहीं हो सकता। हर प्रान्त में मकानों की कमी रहती है और इसलिये अगर इस बिल को इस नजर से देखा जावे तो टीनेन्टों को ही फायदा किया जावेगा तो लैन्ड लोर्ड के हितों को ध्यान में नहीं रखा जावेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपना मकान किराये पर नहीं देना चाहेगा और मकानों की कमी पड़ती है उसको पूरा करने के लिये कोई नया मकान नहीं बनावेगा। मैं इस क्लॉज़ का समर्थन करता हूँ, लेकिन कुछ के लिये यह कहूँगा कि यह ठीक नहीं है। इसके अलावा क्लॉज़ ३ है उसमें १. ४. ५१ से पांच साल के लिए जो मुख्य बिल में प्रावधान है उसका मैं भी विरोध करता हूँ और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे, इस बात को मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इसमें बेसिक रेन्ट को स्वीकार किया है, वह ठीक तरह से नहीं हो सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि क्लॉज़ २ में यह बेसिक रेन्ट को स्पेसिफाई किया जावे :

"Provided that the basic rent shall in no case exceed 6 percent annual interest on the amount spent in the construction of the premises."

(श्री गंगासिंह राठौड़)

अब कन्सट्रक्शन ऑफ प्रेमिसेज़ का मतलब यह भी होता है कि इस बिल में कितना रूपया खर्च होगा वह लिया जावेगा, लेकिन उसकी लैन्ड की कीमत जो १ लाख की हो या और कितनी ही कीमत की हो वह उसमें शामिल नहीं है। यह इसके देखने से मालूम हो सकता है। कोई मकान आप बनावें तो यह हो सकता है कि लैन्ड की कीमत २ लाख की है और कन्सट्रक्शन की कीमत ५० हजार ही है तो ५० हजार का ६ प्रतिशत ही तो लैन्ड लोर्ड को रेन्ट के रूप में मंजूर किया जावेगा तो यह बहुत कम होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बेसिक रेन्ट का जो क्लॉज़ है इसको स्पेसिफाई किया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि क्लॉज़ ६ में जो फेसीलिटी दी गई है बिजली, पानी आदि की, उसको मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। अगर किन्हीं प्रेमिसेज में बिजली है और पास वाले में नहीं है तो उसमें भी होनी चाहिये थी। इसमें यह क्लॉज़ है कि जो इम्प्रूवमेंट किया जावेगा उसका ६ प्रतिशत मकान मालिक को ज्यादा मिलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ साथ इस क्लॉज़ में जो प्रोविजो है........

श्री सभापति : Need not go into details at this stage. It is not necesa ry.

श्री गंगासिंह राठौड़ : ५ परसेन्ट मुकर्रर करना उपयुक्त नहीं होगा। इन सब कारणों को देखते हुए मैं यह उपयुक्त समझता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जावे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभापति महोदय............

श्री सभापति : No time left now.

(विराम)

All right, only two minutes.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Yes, Sir.

इस बिल के प्रीएम्बल को मुलाहिजा फरमावें तो इससे यह मालूम होता है कि यह कानून टीनेन्ट्स को प्रोटेक्शन देने के लिये पेश किया गया है, मगर इसमें जो एमेन्डमेंट किये गये हैं उसके आधार पर कुछ डिफिकल्टीज़ सामने आई हैं उनको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से केसेज़ हमारे सामने आये इन १८ महीनों की अवधि में, कि लैन्ड लोर्ड और टीनेन्ट्स में आपस में ऐसा रिश्ता चला आया कि वे आपस में, आपसी व्यवहार के कारण, समझ लो टीनेन्ट को यह रियायत सी थी कि दो-दो, तीन-तीन या छः छः महीनों का किराया लैन्ड लोर्ड जाकर टीनेन्ट से एक

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

बार ही वसूल कर लेता था। टीनेन्ट तीन-तीन महीनों के बाद किराया दे रहा है; मगर यह कानून लागू उस पर नहीं होता था, लेकिन जो इस भूल-भूत कानून में यह एमेन्डमेंट लाया गया है इस कानून का फायदा उठाने के लिये लैन्ड लोर्ड की नीयत में फर्क आया और टैक्निकल डिफॉल्ट की समस्या पैदा हुई। इसलिये टैक्निकल दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि इसको प्रवर समिति के सामने रखा जाये जिससे कि इस तरह के कुछ इम्प्रेशन्स देने के बाद सद्भावना के साथ लैन्ड लोर्ड टीनेन्ट से किराया वसूल करता रहे। अगर इस प्रकार का कानून बन गया तो कानून बनने के बाद अदालतें भी कानून से मजबूर हो जावेंगी और अदालतें कानून के अनुसार ही अपना फैसला देंगी और कानून के अलावा किसी प्रश्न पर वहां विचार नहीं किया जा सकेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह आवश्यक है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे।

श्री सभापति : Shri Jai krishna. Will not take much time. I am sure.

श्री जयकिशन शर्मा (थानागाजी) : माननीय सभापति, मैं सबसे पहले अपनी राय इस संबन्ध में जाहिर करता हूँ कि इसको जन-मत जानने के लिये प्रसारित किया जावे। यह बिल एक ऐसे समय में लाया गया है जब कि इस बिल की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसमें टीनेन्ट्स को सहूलियतें देने के लिये जो मुद्दे सामने आये हैं वे बहुत जरूरी है और इसके अलावा जो रजिस्टर्ड नोटिस देने की बात है वह भी बहुत जरूरी है। इसमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी रह गये हैं। जब हम राजस्थान के लोगों को राहत देना चाहते हैं तो जनता की राय जानना आवश्यक है। क्योंकि अभी जिस समय यह बिल प्रस्तुत किया गया था उस समय यह बताया गया था कि कुछ लोग कहते हैं कि ५१ से पहले के जो लोग किरायेदार रह रहे हैं या जिन लोगों को आज मकानों में रहते २० या २५ वर्ष हो गये हैं तो रेन्ट कन्ट्रोल के अनुसार उसका किराया यदि वह ६) रु० देता है तो ९) रुपये हो सकते हैं। इसके अलावा उसमें बिजली-पानी नहीं है तो उसके लिये छोटा लैन्ड लोर्ड एक हजार रुपया खर्च करना कभी उचित नहीं समझेगा और न वह बर्दाश्त कर सकता है। वह आपको बिजली-पानी की फेसिलिटी अगर उसके अन्दर है तो दे सकता है। इसलिये इसमें बहुत सी बातें सोचनी पड़ेंगी, इसलिये मेरी राय है कि इसको जन-मत जानने के लिये भेज दिया जावे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय, मेरी अपनी यह राय है कि यह जो अमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया है इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय क्योंकि इसमें बहुत से मुद्दे हैं जो अभी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इसमें रह गये हैं। बार बार अमेंडमेंट लाने से यह अच्छा है कि जनमत जानने के बाद सही तरीके से काम लिया जाय। इसमें यह एक खास बात कही गई है कि यह पूरे राजस्थान में लागू किया जाय और इस तरह राजस्थान में जितनी भी तीन तीन हजार की बस्तियां हैं उनमें सब में यह लागू कर दिया जायगा तो इससे लोगों को बड़ी असुविधा हो सकती है। छोटे छोटे गांव बढ़ रहे हैं, उनकी बढ़ोतरी में इस बिल के एक्ट रूप में लागू होने से रुकावट पैदा होगी, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। यही मेरा इसके सम्बन्ध में खास निवेदन करना है।

दूसरी बात यह है कि जो मकान हैं, नये नये मकान बनते हैं उनके सम्बन्ध में इसमें अमेंडमेंट लाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इन्ट्रेस्ट की रेट ६ परसेंट की है उसी हिसाब से किराया वसूल किया जाय। छोटे गांवों में यदि इसको लागू कर दिया जाय और मकान के कन्स्ट्रक्शन पर लगी पूंजी के ६ परसेंट के हिसाब से किराया वसूल किया जाय तो वहां पर यह बहुत भारी पड़ेगा, वहां पर यह ठीक नही जंचेगा।

इसलिए इन सब बातों को देखते हुए मेरी यह राय है कि इस बिल को विचारार्थ लिये जाने से पहले जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री सभापति : Shri Brij Sundar Sharma ! Not more than two minutes.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बून्दी) : सभापति महोदय, यह जो राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६३ प्रस्तुत है इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि वास्तव में सैक्शन १६ का प्रोविजो है उसको लेकर तरह तरह की रूलिंग्ज हाई कोर्ट की हुई हैं उनसे सही माने में जैसा एक्ट का इन्टेन्शन है वैसा रहा नहीं है। राजस्थान लॉ वीकली के एडीटर धर्मवीर कालिया ने फरवरी या मार्च का करेंट इश्यू होगा, उसमें एक आर्टिकल लिखा है और इस सम्बन्ध में बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। माननीय विधि मन्त्री देखेंगे कि इस आर्टिकल में ऑनरेबल मोदी की और हाई कोर्ट की आज तक की रूलिंग्ज हुई हैं और एटीन मंथ्स में, टू-टू मन्थ्स की थ्री डिफॉल्ट्स को लेकर किरायेदारों का एविक्शन करा देते हैं, किरायेदारों के हितों को कोई लिहाज नहीं रखा है इससे टिनेन्ट्स को बड़ी असुविधा होगी। मैं मानता हूँ कि मन्त्री महोदय इस मुद्दे पर विचार करेंगे। यह प्रोविजो राजस्थान में या एक-आध स्टेटों में हो सकता है। इससे इस कानून की जो मंशा है वह नहीं रही है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय यदि स्वयं भी तरमीम लायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट बिल पेश किया है और उसके साथ साथ सदन के सदस्यों ने किरायेदारों के प्रति हमदर्दी दिखाई है उसके साथ साथ मैं अपने आपको भी जोड़ देना चाहता हूँ। यह ठीक है कि हमें सिर्फ हमदर्दी दिखा कर ही काम करना हो और वहीं कर्त्तव्य का अन्त हो जाय तो माननीय सभापति महोदय, मैं भी उनके साथ में उतने ही जोशीले भाषण दे सकता हूँ जितने कि उन्होंने दिये हैं। पर समस्या आपके और हमारे सामने यह है कि राजस्थान के अन्दर मकानों की कमी होने की वजह से और खास तौर से यह कानून दूसरे प्रान्तों और सूबों में लागू है उनको देखें तो दूसरे जंग के बाद में जो स्थिति पैदा हुई उसके बाद से मेरे ख्याल से ४६-४७ के बाद से यह कानून बनना शुरू हुआ और यह कानून कोई परमानेन्ट, मुकम्मिल तौर से टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन का कानून नहीं बन सका। जो कानून आपने बनाया है वह टेम्पोरेरी नेचर का कानून है। पहले ५ साल के लिये बनाया, फिर एक्सटेन्ड किया अब इसको १० साल के लिये लागू किया है। इसको यदि परमानेन्ट बनाते हैं तो विधान का उल्लंघन होता है। १९४५ में और १९५२ में तरमीमें हुईं और ५९ में एक्ट बना। ६३ में आज फिर इस पर विचार करने के लिये अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट बिल रखा है। कहने का मतलब यह है कि ज्यों ज्यों राजस्थान की स्थिति में तरमीम आती रहती है, राजस्थान में मकान अगर पूरे मिलते हैं तो यहां कोई समस्या नहीं और इस कानून के रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहां मांग ज्यादा होती है, मकान कम होते हैं वहां यह समस्या पैदा होती है। अभी सरकार के पास इतनी धन-राशि नहीं कि मकान बना कर टिनेन्ट्स को फिक्स्ड राशि पर दे दिये जायं। हमको यह ध्यान रखना होगा कि किरायेदारों को सस्ते किराये पर मकान मिलें, पर साथ ही यह ध्यान भी रखना होगा कि मकान बनते रहें, मकान बनने बन्द नहीं हों। मकान नहीं बनेंगे तो शहरों की, कस्बों की आबादी बढ़ती जा रही है। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने गांधीजी का नाम लिया कि गांधीजी की मंशा यह थी....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं भीलवाड़ा से नहीं, बनेड़ा से आया हूँ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो आपको प्रोमोशन दे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ला रहा हूँ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं नहीं आना चाहता।

श्री मथुरादास माथुर : उन्होंने कहा कि कस्बों में मकानात जो बने हुए हैं उनमें कमी नजर आती है। जब डिमाण्ड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो अर्थ-शास्त्र का

(श्री मथुरादास माथुर)

सिद्धान्त है कि भाव बढ़ जाते हैं और इसलिये उनको रोकने की आवश्यकता पड़ती है और कानून बनाना पड़ा है; इस उत्साह में कि हमारे भाषण अखबारों में छपेंगे और बाहर वाले लोग समझेंगे कि हम किरायेदारों के बड़े हितचिन्तक हैं। इस भावना में यदि हमने इस कानून को ऐसा बना दिया तो इसका क्या असर होने वाला है ? मैं तैयार हूँ, मैं माननीय सदस्यों के एक एक सुझाव को मानने को तैयार हूँ। जितना प्रगतिशील आप इसे बनाना चाहते हैं, मैं भी तैयार हूँ पर सदन इस बात का ध्यान रखे कि कानून को अगर ऐसा सख्त बना दिया तो लैंड लॉर्ड्स पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। मैं एक जगह टिनेन्ट हो सकता हूँ तो दूसरी जगह लैंड लॉर्ड हो सकता हूँ। जयपुर में ऐसे टीनेन्ट्स हैं जिनके दूसरी जगह, दूसरे शहरों में मकानात हैं जो उन्होंने वहां किराये पर दे रखे हैं और यहां जयपुर में वे टीनेन्ट्स हैं, किराये के मकानों में रहते हैं। मैं मानता हूँ कि टीनेन्ट्स ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग हैं, पर उच्च श्रेणी के लोग भी टीनेन्ट्स हैं।

जो टीनन्ट्स हैं बड़े बड़े अधिकारी; जैसे आइ. ए. एस और आइ. पी. एस ऑफिसर्स हैं, सुपरस्कैल के ऑफिसर्स हैं, जिनको कि १५००)रु० तनख्वाह मिलती है, उन टीनेन्ट्स को कौन सा प्रोटेक्शन देना चाहिए, जो सरकार की वजह से उनको किराया मिलता है, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करेंगे ? जो कॉमर्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जैसे कि काल्टेक्स हैं, बर्मा शैल है जो लाखों अरबों का धंधा करते हैं और वे भी टीनेन्ट्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सभी लैंड लॉर्ड्स अमीर नहीं होते और सभी टीनेन्ट्स गरीब नहीं होते। मैं अपने जिले जोधपुर की बात करता हूँ। वहां कोई इन्डस्ट्री नहीं है। कोई बेवा है, अपने खाविंद की ग्रैचुइटी से दस हजार का मकान बनवा देती है और किराये से ही गुजर करती है। तो इस प्रश्न को केवल जजबात में, इमोशन में आकर नहीं देखना चाहिए। हां, हमें यह देखना चाहिए कि कहीं टीनेन्ट्स को नुकसान तो नहीं होता है। ऐसा भी कानून को सख्त न करें कि जिससे लैंड लॉर्ड मकान बनाना ही बंद कर दें, तो किराया अपने आप चढ़ जायगा। यहां तो डिमांड और सप्लाइ का प्रश्न है। ऐसे भी स्थान हैं जहां ६ परसेंट, ३ परसेंट पर मकान मिलते हैं। आज जयपुर शहर के अन्दर जो परसेंटेज मिलता है उससे मिर्जा इस्माइल रोड, सी स्कीम और बनी पार्क में तीन गुना और चौगुना पर मिलता है। इसलिए ६ परसेंट या ७ परसेंट की लाइन मार्क कर दें तो इसके अन्दर कोई प्रगति नहीं है, सोश्यलिस्ट्स ने साढ़े चार परसेंट सजेस्ट किया, कॉम्युनिस्ट्स ने ६ परसेंट, तो वे प्रगतिशील हो गए ! यह आंकड़ा मेरी समझ में नहीं आता है। यह तो

(श्री मथुरादास माथुर)

लोकेलिटी के डिमांड और सप्लाई का प्रश्न है। सी स्कीम में ज्यादा है, जयपुर शहर का उससे कम है, घाट दरवाजे का उससे भी कम है, तो यह लोकेलिटी का मामला है।

तो इन बातों में न पड़कर जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उस पर डिस्पेशनैटली हम उस दृष्टिकोण से किरायेदारों का फायदा करें। लेकिन फायदा ऐसा करें जिससे ऐसा न हो कि लैंडलोर्ड मकान बनाना ही बंद कर दें। इसलिए जो क्युम्युलेटेड वैल्थ ऑफ केपिटल, जो समाज के पास है........

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : सन् १६५० से १६५२ तक यह कानून जब ठीक ढंग से चल रहा था तो क्या मकान बनने बंद हो गए थे ?

श्री मथुरादास माथुर : १६५२ में हाई कोर्ट की डिफरेंट रूलिंग्ज़ हुई। उनकी वजह से जस्टिस वांचू ने कहा कि यह जजमेंट बैस्ट है, इसलिए तरमीम की गई थी, वर्ना नौबत नहीं आती।

तो मैं निवेदन कर रहा था, हमारे इस कानून में टीनन्ट्स की सर्विस का ध्यान रखा जाय, लॉ का इन्टरप्रिटेशन टीनन्ट्स के हक में हो, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ समाज के पास जो एक्युम्युलेटेड वैल्थ है वह इन्वेस्टमेंट मकानों में होनी चाहिए। उस पर रोक नहीं लगना चाहिए, नहीं तो डिमांड बढ़ती जाती है आबादी के साथ में। अगर हमने आपने मकानों का किराया मुकर्रर कर दिया ६ परसेंट कानून के अंदर, तो फिर पगड़ी शुरू हो जायगी जिस तरह बम्बई और बड़े बड़े शहरों में है।

(श्री उमरावसिंह ढाबारिया के बोलने के लिए खड़े होने पर)

बनेड़ा में भी ऐसी पगड़ी चलती है, सिर वाली पगड़ी नहीं, पीछेवाली घूस शुरू हो जायगी। तो टीनन्ट को फायदा नहीं पहुँच सकता। इसलिए भावना में न आकर हमें इस कानून को डिस्पेशनेटली समझना पड़ेगा।

अब सभापतिजी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विधेयक रखा है मैंने एक एक क्लॉज़ को पढ़ा है और समझने की कोशिश की है। जहां तक भावना है मैं सहमत हूँ, इसमें दो राय नहीं हो सकती। यह विचाराधीन है और तरमीम हो सकती है। जैसा उन्होंने कहा टीनेन्ट का इजेक्टमेंट नहीं होना चाहिए। हमको बचाना है उसे उस लैंडलॉर्ड से जो ज्यादा किराये की लालच से टीनेन्ट को बेदखल करना चाहता है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। हमारे यहां पर नोटिस क्लॉज़ था, उस वक्त भी कांग्रेस की हुकूमत थी और आज भी नोटिस का क्लॉज़ है तो भी कॉग्रेस की हुकूमत है। और प्रांतों के

Page No 111

(श्री मथुरादास माथुर)

अन्दर भी ये क्लॉजेज हैं, बाम्बे, केरल, दिल्ली और यू. पी. में है। उड़ीसा, मद्रास, पंजाब और बंगाल में नहीं हैं। सभी जगह कांग्रेस का राज्य है। चार प्रांतों में है, चार में नहीं है। यह तो डिटेल्स की बात है। मतलब यह है कि आज दिन लैंड लॉर्ड किराया बनाने के उद्देश्य से चाहता है, कि टीनेन्ट डिफॉल्टर बने। टीनेन्ट रुपया लेकर उसके पास गया। यह कहेगा, भाई ले लेंगे, क्या जल्दी है, मोहब्बत से उसको मारना चाहता है। टीनेन्ट क्या करता है ? मनी ऑर्डर भेजता है तो वह मनीऑर्डर रिफ्यूज़ भी नहीं करता। मनी ऑर्डर वापिस करवा लेता है, पोस्टमैन से कहलाता है कि सेठ साहब घर में नहीं हैं। तो ऐसा करने से मकान मालिक को खाली कराने का मौका मिल जाता है। इसलिए हमने कहा कि कम से कम तीन दफा डिफॉल्टर हो जाय। फिर भी सरकार उस पर विचार कर रही है, मैंने इन्फोर्मली डिस्कस किया है इसको माननीय सदस्य से कि लैंड लॉर्ड अगर मनी ऑर्डर भी न ले और किराया भी न ले तो फिर टीनेन्ट डिफॉल्टर बनता है तो उसका क्या रास्ता होना चाहिए ? उसका रास्ता अदालत है। मैंने इस मामले को पूरी तरह से लीगल्ली इग्ज़ामिन नहीं करवाया। मैं कोई कमिटमेंट नही कर रहा हूँ। ऐसा कानून बन जाय जिससे वह रुपया अदालत में जमा करा दे, लैंड लॉर्ड उठा लेगा, तो वह डिफाल्टर नहीं हुआ। आज जो कानून है उससे अगर कोई अच्छा कानून हो तो मुझे वह स्वीकार होगा। जहां तक आपने प्रोपोज़ल्स रखे हैं, उससे कोई समस्या के हल की आशा हो, ऐसा नहीं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार विचार कर रही है।

जहां तक दूसरे प्रश्नों का सवाल है आपने वाटर, लाइट, इत्यादि के बारे में कहा। ये सब बातें आज भी कानून के अन्दर हैं अगर उस लोकेलिटी में ये फैसिलिटीज़ हैं, आप कहते हैं कि किराये के मकान में अगर कोई रहता है जिसके घर में पानी, बिजली और फ्लश नहीं है तो लैंड लॉर्ड को लगवाना पड़ेगा अगर लोकेलिटी में है। लोकेलिटी में १०० गज खम्भा दूर हो ; कितना इन्वैस्टमेंट होगा वह हिसाब रखा है। सब लैंड लॉर्ड्स और टीनेन्ट्स को एक डंडे से नहीं देख सकते, इसलिए कोई नहीं चाहता है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : डंडा कोई दूरबीन है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : It is through intervention of the Magistrate.

श्री मथुरादास माथुर : दूसरी बात आपने कही कि यह कानून सारे राजस्थान में लागू किया जाय। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जहां पर प्रोब्लम हो वहां इलाज करना

(श्री मथुरादास माथुर)

चाहिए। जहां प्रोब्रलम नहीं है तो वहां इलाज ख्वामख्वाह लिटिगेशन पैदा करेगा।

मैं आपको एक मिसाल दूं कि पोकरन एक कस्बा है जहां पर दस हजार की आबादी है, म्युनिसिपैलिटी भी है। वहां हालत यह है कि इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हैं कि कोई किरायेदार नहीं मिलता है। वहां के लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना किसी किराये के रह जाओ ताकि मकान साफ–सुथरा रहे। यही हाल जैसलमेर का है। इसलिये सभी जगह एक ही प्रकार का रेन्ट कायम करना ठीक नहीं होगा।

इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों से जो माननीय सदस्य आये हैं वे अपने किसी इलाके या कस्बे में जहां पांच हजार की आबादी है ऐसी जगह है जहां कोई सरकारी प्रोजेक्ट चलता हो वैसी हालत में किसी कस्बे की ४,५०० की भी आबादी है वहां पर यदि मकानों की समस्या हो और रेन्ट बहुत ज्यादा लिया जाता हो उन जगहों को मुझे बताया जाय, मैं उन पर यह एक्ट लागू करने के लिये लिबरली विचार करूंगा।

इसी के साथ साथ निम्बाहेड़ा से आनेवाले हमारे माननीय सदस्य ने बंबई और बिहार के कानूनों का हवाला दिया। हमारी लाइब्रेरी में सभी स्टेट्स के कानून मौजूद हैं, उन्होंने उनको पढ़ कर हमारा ध्यान उस ओर दिलाया, उसके लिये धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि कोई मकान मालिक मकान खाली करवा लेता है पर्सनल यूज के लिये और उसके बाद काम में वह नहीं लेता है तो फिर क्या होगा, यह तो उस टीनेन्ट के साथ धोखा हो गया। उसमें प्रोवीजन है कि कब्जा करने के बाद १२ महीने तक वह नहीं दे सकता उस पर भी वह दे देता है तो अदालत खाली करवा कर दे सकती है। यहां का कानून भी सेल्फ सफिशियेन्ट है। अगर किसी प्रकार की गुंजाइश सोची जा सकती है तो यह कि टीनेन्ट को किसी तरह से डिफॉल्टर बना कर उसको खाली करवा लेते हैं, इस स्पिरिट को रोकना चाहते हैं। यह मामला राजस्थान सरकार के भी विचाराधीन है, हम भी इस बारे में जल्दी निर्णय कर लेंगे। जहां किसी निर्णय पर पहुँच जायेंगे तो बिना किसी के कहे हम आपके सामने आकर खड़े हो जायेंगे कानून की शक्ल में।

माननीय सदस्य ने जो बिल रखा है वह ज्यादा भावात्मक है। मैं उनकी भावना की की हमेशा कद्र करता हूँ और जो हमदर्दी टीनेन्ट्स के लिये बतायी गई उसको सुन कर वे लोग जो टीनेन्ट हैं वे भी आपकी तारीफ करेंगे और आपकी तारीफ के साथ साथ मेरी भी कुछ कुछ तारीफ हो जायगी।

श्री सभापति : आपकी तो टीनेन्ट और मकान मालिक दोनों ही करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : हम भी चाहते हैं कि टीनेन्ट्स का फायदा हो। इसलिये जिस प्रकार का यह बिल रखा गया है उसको मैं मन्जूर करने के लिये तैयार नहीं हूँ। राजस्थान सरकार के यह विचाराधीन है, जब वह किसी निर्णय पर पहुँच जायगी राज्य सरकार खुद ही हाजिर हो जायगी।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय १५ मिनिट के लिये और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ाया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, जो बहस इस बिल पर हुई है उसके बारे में खास तौर से ६ परसेन्ट वाली बात पर काफी कहा गया है इसमें मैं समझता हूँ कुछ गलतफहमी रही है। सात परसेन्ट मेग्जीमम हो सकता है। इससे यह नहीं कि जहां पर कम है वहां पर बढ़ जायगा। मौजूदा कानून में साढ़े सात परसेन्ट के स्थान पर छ परसेन्ट की बात कही गई है।

दूसरी बात यह है कि सब से बड़ा ऑब्जेक्शन और जोर जिस बात के लिये लॉ मिनिस्टर महोदय ने दिया है, वह यह कि इस कानून के पास हो जाने से जहां टीनेन्ट्स को प्रोटेक्शन देना वहां हाउस बिल्डिंग एक्टीवीटिज को ठेस न पहुँच जाय। इस भावना का जहां तक ताल्लुक है इस ऑब्जेक्टिव से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन इस गरज से कि यह बिल पास हो जाने से हाउस बिल्डिंग एक्टीविटीज में किसी तरह का इम्पेडीमेन्ट आ जायगा, इसको मन्जूर करने के लिये तैयार नहीं हूँ। क्योंकि हमने अमेन्डिंग बिल जो पेश किया है वह हिन्दुस्तान की और जगह पर नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था दूसरे प्रान्तों में हमारे यहां से बहुत पहले से इस प्रकार के बिल मौजूद हैं। बड़ी-बड़ी प्रोग्रेसिव स्टेट्स सब; जैसे बंबई, यू०पी०, पंजाब आदि सभी जगह पर इस प्रकार का प्रोवीजन मौजूद है। वहां पर मकानों की तामीर में किसी प्रकार का इम्पेडीमेन्ट नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो लोग वहां पर मकान बनाना पसन्द नहीं करते। आखिर मकान बनाने वाले जो होते हैं वे यह नहीं देखते कि किराया क्या मिलता है। वे तो इन्वेस्टमेन्ट का सोर्स ढूंढते हैं, रिटर्न किससे क्या मिलता है, यह देखते हैं। मौजूदा बैंक रेट्स को देखें तो जिसके पास सरलस मनी होता है वह यदि बैंक में लगाता है; ऑर्डिनरिली तीन-चार परसेन्ट ब्याज आता है और ज्यादा समय के लिये इन्वेस्ट करता है तो ज्यादा से ज्यादा पांच परसेन्ट सूद मिलता है। ऐसी हालत में इन्वेस्टर सोचता है, प्रोपर्टी में इन्वेस्ट वह करता है तो उसका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मनी सुरक्षित भी रहता है और उसके साथ साथ उसको ६ परसेन्ट की गारन्टी हो जाती है। मैं समझता हूँ यह एल्योरमेन्ट काफी है। इस एक्टीविटी को प्रोत्साहन देने के लिये, जिस तरह का पूंजीवादी समाज आज है उसको इससे इनीशियेटिव मिलता रहेगा। इस तरह से बिल्डिंग एक्टीविटीज़ में किसी प्रकार की रोक नहीं हो सकेगी। इस तरह ब्लैक मार्केट वालों को भी अपना पैसा इसमें लगाने की छूट है। इससे न दूसरी स्टेटों में इम्पेडीमेन्ट हुआ है और न आगे भी होने की आशा है। यहां पर भी दो साल से चल रहा है। कोई इस प्रकार की शिकायत नहीं है।

मुझे खुशी है कि इस बिल का इस ओर के और उस ओर के माननीय सदस्यों द्वारा स्वागत किया है और यह भावना प्रगट की गई। इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट होना चाहिये। कुछ माननीय सदस्य कुछ क्लॉजेज़ में संशोधन चाहते हैं और कुछ ने जहां इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा वहां ज्यादा सदस्यों का यह मत है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। मैं जहां तक समझ पाया हूँ रूलिंग पार्टी की तरफ से भी यही भावना व्यक्त की गई है। इस बिल की भावना और प्रिन्सिपल्स से वे भी सहमत हैं और वे यह भी मानते हैं कि इसको पहले जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। इसमें किसी पार्टी विशेष का प्रश्न नहीं है, यह आम जनता से संबन्ध रखने वाला प्रश्न है, जैसा कि सभी लोग चाहते हैं कि टीनेन्ट्स को राहत मिल सके। इसलिये मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि इस पर ज्यादा लोगों की राय जानी जा सके, इसलिये जो जनमत जानने के लिये प्रस्ताव आया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। इसको अभी जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दिया जाय और अगले सैशन में इसे ले लिया जाय।

श्री सभापति : Those members who spoke in your favour are absent from the House.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, १९६३ को जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव श्री अब्दुलजब्बार ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(८. म. प.)

राजस्थान सांस्कृतिक संस्था विधेयक, १९६३

(विचारार्थ)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान........

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please ! Order !! Mr. Ramanand.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान कल्चरल इन्स्टीट्यूट बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : Is this 1962 or 1963 ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जी नहीं । उसके बारे में कोरीजेन्डम निकल चुका है, १९६२ के बजाय १९६३ का कोरीजेन्डम निकल चुका है ।

श्री सभापति : Motion has been moved.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं जानती हूँ कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने में बहुत ही थोड़ा सा समय बाकी रहा है और चन्द ही मिनट बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जायगी । जो मैंने बिल प्रस्तुत किया है उस पर बोलने के लिए बहुत ही कम समय यानी नाम मात्र के लिए समय ही मुझे प्राप्त हो सकेगा और मैं अपने विचार इस बिल के ऊपर प्रस्तुत भी पूरी तरह न कर पाऊंगी..........

श्री सभापति : आप जब कभी यह बिल विचारार्थ आये तब अपने विचार रख दें । अभी मोशन मूव हो चुका है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : परिचय दे दें ।

श्री सभापति : परिचय दीजिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : दो-तीन मिनट, दस मिनट में परिचय दे देती हूँ ।

श्री सभापति : दस मिनट बोलिये । पन्द्रह मिनट का समय मेरे पास है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : लेकिन फिर भी बिल को प्रस्तुत करने में मैं संतोष अनुभव करती हूँ, क्योंकि आज समय न मिलने पर भी मैं बिल को प्रस्तुत कर पाई । मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता, जो अलवर से आने वाले हैं और जिनका संशोधन विधेयक था और सदन के सदस्यों के प्रति आभार प्रगट किये बिना नहीं रह सकती जिनके सौजन्य के कारण ही मैं आज इस बिल को प्रस्तुत कर पाई ।

सभापति महोदय, जिस विषय को लेकर आज इस बिल को प्रस्तुत किया गया है और विचारार्थ रखा गया है वह विषय इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है तथा इतना गहन है कि मेरी समझ में नहीं आता, इतने थोड़े से समय में मैं विषय पर क्या कहूँ और क्या न कहूँ । यह जानते हुए भी कि इस बिल के ऊपर मैं अपने विचार आज पूर्ण रूप से प्रगट नहीं कर सकूंगी, न इसके ऊपर आज पूर्ण प्रकाश डाल सकूंगी, न इसकी

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

उपादेयता पर ही बोल सकूंगी और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर ही न रोशनी डाल सकूंगी। लेकिन फिर भी मैंने इतने थोड़े समय के अन्दर भी विधेयक को विचारार्थ रखने के लिए आदेश का स्वागत किया। वह इस विश्वास के कारण किया कि आज के बाद जब गैर-सरकारी दिवस आयेगा उस दिन मैं अपने विचार सदन के सामने रख सकूंगी, मैं इसकी उपादेयता पर रोशनी डाल सकूंगी और आज के युग में इसकी आवश्यकता क्यों हुई इसके बारे में भी दलील पेश कर सकूंगी और सदन भी इसके ऊपर विचार कर सकेगा। साथ ही मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को उस दिन पारित करने में भी सहायता कर सकेगा। इस विश्वास को लेकर मैंने इस बिल को सदन में, थोड़ा समय होने पर भी, विचार्-रार्थ प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, 'संस्कृति' शब्द की परिभाषा क्या है, इसकी व्याख्या करना मेरे लिए काफी दुरूह कार्य है। संस्कृति क्या है, संस्कृति किसे कहा जाना चाहिए; इसके ऊपर अनेक अनेक विद्वानों ने अपने विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। इस विषय को लेकर इस देश और विदेशों में विद्वानों ने अपने अपने विभिन्न मतों, अपनी अपनी विभिन्न राय व्यक्त की हैं और इस विषय पर बड़े महत्वपूर्ण विचार प्रगट किये हैं। अगर उन्हें देखा जाय तो संस्कृति की परिधि इतनी व्यापक है कि इसमें बहुत सारी बातें समाविष्ट हो जाती हैं। समाविष्ट हो जाती हैं, यानी संस्कृति की परिधि में एक नहीं अनेकानेक बातें आ जाती हैं। संस्कृति के अनेक अंग हैं और उन अंगों के भी अनेक उपाय हैं। संस्कृति के अनेक पहलू हैं और उन पहलुओं के भी अनेक पहलू हैं। अगर हम ध्यान के साथ इस विषय के ऊपर नजर डालें तो जीवन के साथ, हर एक इन्सान की जिन्दगी के साथ, स्पष्ट देखा जाने वाला सम्बन्ध है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज और कोई भी परिवार संस्कृति के क्षेत्र और परिध से दूर नहीं जा सकता। हमारे जीवन की जो छोटी छोटी बातें हैं, वे सब संस्कृति की परिधि में समाविष्ट हो जाती हैं। साहित्य है, यह भी संस्कृति का अंग है और साहित्य के जितने भी अंग और उपांग हैं वे संस्कृतिक के अंग और उपांग में आ जाते हैं। जितनी भी लोक कथायें हैं, लोक-नृत्य हैं, वार्ताएं हैं, वे सब संस्कृति के अन्दर समाविष्ट हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : On a point of information, Sir, कौन सी संस्कृति के बारे में विचार जाहिर हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता ?

एक माननीय सदस्य : आ जायगा।

श्री मानसिंह महार : भारतीय संस्कृति है या यूरोपियन ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कल्चरल।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मुझे दुःख है कि हमारे माननीय सदस्य यह भी नहीं समझ पाते हैं कि संस्कृति कौनसी है ? मैं क्या बताऊं ? देखिये, इस बिल का नाम, इसमें रख दिया गया है, 'राजस्थान कल्चरल इन्स्टीट्यूट' ; फिर कैसे बताया जाय........

श्री मोतीलाल चौधरी : समझदारी के ठेकेदार हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या पता वे कल्चर को एग्रीकल्चर समझ गये हों।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : होर्टीकल्चर।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : सभापति महोदय, न केवल संगीत, साहित्य और लोक-कथायें संस्कृति की परिधि में आती हैं अपितु जो शिल्प कला है, शिल्प कला के जितने अंग हैं वे भी संस्कृति में शामिल हो जाते हैं। जो हमारी शिल्प कला के प्रतीक, हमारे मन्दिर, महल, गलियां और झोंपड़ी हैं, ये सभी संस्कृति के प्रतीक बना करते हैं। जीवन की छोटी–छोटी बातें, चाहे हमारा पहनावा हो, वेश-भूषा हो, पहनने का तरीका हो, चाहे रंग हो, ये सभी संस्कृति में समाविष्ट हो जाते हैं। हमारी बोल–चाल, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी तहजीब, हमारी तमीज और किस प्रकार हम व्यवहार करते हैं, हमारे क्या रीति–रिवाज हैं, हमारे क्या त्यौहार हैं, किस प्रकार का हमारा रहन–सहन है, ये सारी वस्तुएं हमारी संस्कृति की दर्पण हैं। किसी को हमारी संस्कृति देखनी हो तो वह हमारे जन–जीवन को देखे। हमारा जीवन संस्कृति का दर्पण है। उस दर्पण में दिखाई देता है कि किस समाज या किस देश की किस प्रकार की संस्कृति है और वह कैसी है। यदि मैं इस समय संस्कृति के बारे में ज्यादा व्याख्या न करके थोड़े शब्दों में कहूँ तो संस्कृति........

श्री मानसिंह महार : अगर संस्कृति के बारे में राजस्थान की भाषा में बताया जाय तो और भी अधिक सुन्दर होगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : माननीय सदस्य संतोष करें। इस बार तो क्योंकि दस मिनट का टाइम दिया है इसलिए हिन्दी में मैं बोल रही हूँ। अगली बार जब मौका मिलेगा तो राजस्थानी भाषा होगी और स्टेन्डर्ड राजस्थानी होगी।

श्री मानसिंह महार : मैं भी राजस्थानी में भाषण दूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं आपके सुझाव का समर्थन करती हूँ।

श्री मोतीलाल चौधरी : कई लोग समझेंगे नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : समाप्त किया है।

श्री सभापति : दो मिनट और बाकी हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बार बार इधर से डिस्टर्ब कर रहे हैं और बोलते वक्त आक्षेप होते हैं। और यह भाषण भी संस्कृति को लेकर है। ऐसा नहीं है कि आक्षेप-प्रत्याक्षेप और मजाक होती रहे।

श्री मानसिंह महार : संस्कृति की बात है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बेहतर हो, ऐसे विषय पर बोल रही हूँ, कि आप इस तरह की आज्ञा दें कि बीच में बेकार न टोका जाय।

श्री सभापति : Order please !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्योंकि ध्यान भंग होने से शृंखला विचारों की नहीं रह पाती है, बात का सिलसिला टूट जाता है और उसे जमाना मुश्किल हो जाता है ; साथ ही जरा बोलने वाले का भी स्तर देखा जाकर कुछ कहा जाय तो उचित रहेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनका चौमू विश्वविद्यालय का स्तर है।

श्री सभापति : You please resume your seat.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं आशा करती हूँ कि अगली बार गैर-सरकारी कार्यक्रम के अवसर पर मुझे इस पर कहने के लिये अवसर दिया जावेगा।

श्री सभापति : राजस्थान सांस्कृतिक संस्थान विधेयक, १९६२ के संबन्ध में विचार करने के लिये श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ने प्रस्ताव किया है, वह मोशन मूव हो चुका है। इसके संबन्ध में जब कभी भी गैर-सरकारी कार्यक्रम होगा, उस समय इसको ले लिया जावे।

अब सदन की कार्यवाही दिनांक २६ अगस्त, १९६३ को २॥ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि को ८.१२ बजे दिनांक २६ अगस्त, १९६३ के २॥ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त -- विवरण

(शुक्रवार, दिनांक २३ अगस्त, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ	तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ
नगरपालिका जालोर का ऑडिट ।	१	अजमेर में मेडीकल कॉलेज ।	
रॉयल्टी की अदायगी ।		ग्लास फैक्टरी को दी गई जमीन ।	
घग्घर की बाढ़ ।		राजस्थान राजस्व मण्डल ।	
स्टेट होटल में शराब ।		तहसील निवाई के बांधों से पिलाई की दरें ।	
ग्राम मुंजासर में पीने के पानी की समस्या ।		नशाबन्दी अभियान पर व्यय	
सिंचाई विभाग द्वारा उदयपुर जिले में व्यय ।		पंचायत समितियां तथा जिला परिषदों के कर्मचारियों को ऋण ।	
निम्बाहेड़ा तहसील में नये बांध ।		बीड एलॉट करने के प्रार्थना-पत्र ।	
मजदूरों द्वारा सुरक्षा कोष में दी गई धनराशि ।		इन्सपैक्टर आयुर्वेदिक औषधालय भरतपुर के कार्यालय का ऑडिट ।	
भीलवाड़ा सरकारी अस्पताल में दूध की व्यवस्था ।		चम्बल की नहरों से पानी की सप्लाई ।	
ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये प्रावधान ।		उदयपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए अवाप्त भूमि ।	
पलाना खान पर कार्य ।		माही बांध के अन्तर्गत आई जमीन ।	
उनियारा की हरिजन कॉलोनी में वर्षा-काल में पानी की समस्या ।			
'सावन-भादवा' सिंचाई परियोजना का सर्वे ।			

घग्घर की बाढ़ से गांवों की रक्षा ।

छात्रावासों में ज्वार का आटा ।

भरतपुर जिले में लैण्ड रिक्लेमेशन स्कीम ।

ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य ।

डेगाना प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की स्वीकृति ।

भरतपुर नगरपालिका के अध्यक्ष का निलम्बन ।

जबरदस्ती वसूल किये गये जुर्मानों की रकम ।

तहसील लक्ष्मणगढ़ में बांध ।

गलत यात्रा व्यय व जाली चैक ।

बुक से रकम उठाने की कार्यवाही ।

जैसलमेर क्षेत्र में ऊन फार्म ।

स्थगन-प्रस्ताव ७१

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तथा वाटर वर्क्स के मजदूरों द्वारा उनकी मांगों के सम्बन्ध में भूख हड़ताल किये जाने के बारे में श्री कुमारानन्द एवं श्री विजयसिंह भाला, सदस्य विधान सभा के स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाओं को अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।

३. गैर-सरकारी विधायी कार्य

विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३ ८०

[The Industrial Disputes (Rajasthan Amendment) Bill, 1963]

श्री कुमारानन्द, प्रभारी सदस्य, द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक विचारार्थ लिया जाये, श्री विजयसिंह भाला ने विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

वाद-विवाद के पश्चात्, विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किये गये ।

(२) राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६३ १७९

[The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) (Amendment) Bill, 1963]

श्री रामानन्द अग्रवाल, प्रभारी सदस्य, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री अब्दुलजब्बार तथा श्री विजयसिंह झाला ने क्रमशः विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने तथा विधेयक को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संशोधन-प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

वाद-विवाद के पश्चात्, विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

(३) राजस्थान सांस्कृतिक संस्थान विधेयक १९६३ २२८

[The Rajasthan Cultural Institute Bill, 1963]

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, प्रभारी सदस्या ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सदन की बैठक रात्रि के ८ बज कर १२ मिनट पर सोमवार, दिनांक २६ अगस्त, १९६३ को २-३० बजे दिन तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक २३ अगस्त, १९६३ की कार्य-सूची

१—अनुपूरक अनुदानों की मांगों (१९६२-६३) के विवरण का उपस्थापन।

२—अकाल से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी राजस्व मन्त्री का वक्तव्य।

३—मन्त्रि-मण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्तावों पर विचार।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२२ का उत्तर देखिये)

नक्शा बाबत माहवारी उत्पादन पत्थर चूना मडंला खान केशवसिंह शिवजीसिंह सोजत रोड

माह-अप्रेल, १६५५ से सितम्बर, १६६२ तक.

(उत्पादन टनों में)

माह	१६५५	१६५६	१६५७	१६५८	१६५६	१६६०	१६६१	१६६२
जनवरी	–	१८१६.५	२२३८.५	३२७०.५	२५२०	३३६२	३६७५.५	४५६३
फरवरी	–	२१०३	२०२५	३४०५	२६६६	२५२३	४२६२	४२७८.५
मार्च	–	१६६२	२०८७	२८३०	२८४५	२५४१	३४४०.५	३६७१
अप्रेल	१८००	१६६८	२४५५	२४३७	१८४५	२६५६	३३५५	३४६०.५
मई	१३५२	१५८२	१५८१	२६६८.५	१४०४	२४२५	३२३५	२५८५
जून	१८५०	१११८.५	२२७६	२४८०	१६७७.५	२५६६	३६६३.५	३१८४
जुलाई	२१००	१७६५.५	२८०३	२१६५	१५३७.५	२६२०.२५	३३६६.५	६२३२
अगस्त	१६००	२१०१	२६७७	२६६१.५	६०५	२२१८.५	४२६४	५५६५
सितम्बर	४७५	१४०७.५	३१८१	२३८६.५	१२५१.५	२६८८	१४११.५	५६६१.५
अक्टूबर	२८५०.५	१२०६	१८५२.५	२२५१	१२४५	२२७८.५	१६४६.५	
नवम्बर	१२१६	८७२.५	१६२३	१३२१	१२१८	३६६०	२००६.५	
दिसम्बर	१७८२.५	१८७३	३३५६.५	२११३.५	२३५२.५	२६१४	३५००.५	

लिस्ट मंडला क्षेत्र-से-मेसर्स केशवसिंह शिवजोसिंह से रायल्टी तथा डेडरेन्ट वसूल हुआ उसकी

नं० शु०	वर्ष	डेडरेन्ट या रोयल्टी	वसूली होने के हालात	के
१.	२	३	४	५
१	१-४-५५ से ३१-३-५६	६४०००) डेडरेन्ट	१६०००)	२७-५-५५
			१५६६०)	२७-८-५५
			१६०००)	६-११-५५
			१५६८६)	८-२-५६
			६३६८६) ५०	
२	१-४-५६ से ३१-३-५७	६४०००) डेडरेन्ट	१६०२०)५०.	२२-६-५६
			१६०००)	२६-७-५६
			१६०००)	६-१२-५६
			१६०००)	२२-२-५७
			६४०२०) ५०	
३	१-४-५७ से ३१-३-५८	६४०००) डेडरेन्ट	१६०००)	१४-६-५७
			१६०००)	२२-७-५७
			१६०००)	११-१-५८
			१६०००)	१४-५-५८
			६४०००)	
४	१-४-५८ से ३१-३-५६	६४०००) डेडरेन्ट	१६०००)	११-६-५८
			१६०००)	१८-१२-५८
			१६०००)	१३-१-५६
			१६०००)	१२-३-५६
			६४०००)	

१	२	३	४	५
५	१-४-५६ से ३१-३-६०	६४०००) डेडरेन्ट	२०)	१७-१०-५६
			१५६८०)	४-६-५६
			१५६६८)५८ न.पै.	१७-१०-५६
			३१) ४२ न.पै.	६-११-५६
			१५६५८) ६४ न.पै.	१५-१-६०
			४१) ३६ न.पै.	२०-२-६०
			१६०००)	२०-२-६०
			६४०००)	
६	१-४-६० से ३१-३-६१	६४६००) डेडरेन्ट	१६०००)	२५-४-६०
			१६०००)	१२-८-६०
			१६०००)	१७-१०-६०
			१६०००)	१८-१-६१
			६४०००)	
७	१-४-६१ से ३१-३-६२	६६३६५) १७ न०पै० रोयल्टी	१६०००)	२-६-६१
			१६०००)	२६-७-६१
नोट :-	पत्थर चूना पर रोयल्टी चार्ज की गई क्योंकि चूने के भट्टे लीज़ एरिया के बाहर हैं जिससे रूल्स के मुताबिक पत्थर चूना पर ही रोयल्टी कायम की गई हैं। न कि चूने की भिन्न भिन्न किस्मों पर।		१६०००)	२७-१०-६२
			१६०००)	११-१-६२
			२३६५) १७ न.पै.	२७-२-६३
			६६३६५) १७ न० पै०	
८	१-४-६२ से ३०-६-६२	४६३०३)३८ न.पै. डेडरेन्ट	१६०००)	४-५-६२
नोट :-	तारीख १-४-६२ से ३१-४-६३ तक कुल रोयल्टी का आंक ६१६८४)का बना इसलिये उपरोक्त छः माह में जोर कम बताई गई वो डेडरेन्ट की ही होकर सालियाना डेडरेन्ट ६४०००) जमा हुआ उसके शामिल यह रकम ४६३०३) रु० ३८ न० पै० जमा हुए हैं।		१६०००)	१०-८-६२
			१६०००)	२-११-६२
			१६०००)	१५-१-६३
			६४०००)	

परिशिष्ट 'स'

Statement Showing Despatches of Limestone, Limes Kali & Kachhai and Royalty Assessed and Payment of Deadrent and Royalty.

From 1-4-55 to 31-3-63 of M/S Keshav Singh Shivji Singh of Sojat Road.

Lease - Year	Limestone. Quantity.	Limestone. Royalty @ 1 Anna per md.	Lime Kali Quantity.	Lime Kali Royalty @-/1/6 per md.	Lime Kachara Quantity.	Lime Kachara Royalty @-/-6 per md.	Limestone removed from leased area.	Total Royalty.	Dead-rent. Amount Excess royalty.	Chargeable. Deadrent	Mode of payment Date.	Mode of payment Amount.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-4-55 to 31-3-56	585½	996.2	9038½	17653.00	2520	2142	20910½	20791.2	64000/-	64000/-	27-5-55	16000/-
											27-8-55	15990/-
											9-11-55	16010/-
											8-2-55	15989.50
1-4-56 to 31-3-57	391½	666.4	10674	27845	2355	2002	20064½	30513.4	64000/-	64000/-	22-6-56	16020.50
											26-7-56	16000.00
											6-12-56	16000.00
											22-2-57	16000.00
1-4-57 to 31-3-58	664	1116.4	12563	32031	2906.25	2471	31913½	35618	64000/-	64000/-	14-9-57	16000/-
											22-7-57	15000/-
											11-1-58	16000/-
											14-5-58	16000/-
1-4-58 to 31-3-59	671.75	1142	12736.5	32477.31	774.5	658.31	28908	34277.62	64000/-	64000/-	11-9-58	16000/-
											18-12-58	16000/-
											13-1-59	16000/-
											12-3-59	16000/-
1-4-59 to 31-3-60	1299.25	2208.75	12305½	31379.6	2789.75	2371.31	22326	35959.12	64000/-	64000/-	17-10-59	20/-
											4-8-59	15980/-
											17-10-59	15968.58
											9-11-59	31.42
											15-1-60	15958.64

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-4-60 to 31-3-61	8607	14631.94	13660½	34834.31	2712	2305.19	37303½	51771.44	64000/-	64000/-	25-4-60	16000/-
											12-8-60	16000/-
											17-10-60	16000/-
											18-1-61	16000/-
1-4-61 to 31-3-62	10568.25	17965.94	13717½	34978.81	3040	3179.00	39621½	56123.75	64000/-	66365.17	2-6-61	16000/-
											29-7-61	16000/-
											27-10-62	16000/-
											11-1-62	16000/-
											27-2-63	2365.17
1-4-62 to 31-3-63	7582	12670.28	13591	34067.19	1766	1476.87	37015	48214.34	64000/-	64000/-	4-5-62	16000/-
											10-8-62	16000/-
											2-11-62	16000/-
											15-1-63	16000/-

Note ;—From 1-4-1959 figures shown in column No. 9 at is the royalty assessed on the Limestone removed from the lease area, The royalty has been so calculated on limestone as per M. M. C.R. 59 on the mineral removed from the lease area. As the kilns are situated outside lease area, which are higher comparatively figures have of course been given under them of royalty calculated on sale of Limestone, Lime Kali and Lime Kachara.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२७ का उत्तर देखिये)

Statement showing Third Plan proposed Expenditure in Udaipur District.

S.No.	Name of works.	Tehsil	Third Plan proposed expenditure. in lacs	Remarks.
1	2	3	4	5
Medium Project.				
1.	Namano.	Nathdwara, Rajsamand, Relm gra.	9.21	Work nearly completed.
2.	Breach at Bedgam (Part)	Bhupalsagar, Mavli & Vallabhnagar.	42.50	Work in Progress.
3.	Breach at Vallabhnagar	Vallabhnagar.	56.92	Work in Progress.
4	Khari Feeder.	Rajsamand & Relmagra.	50.00	Work in Progress.
5.	Jakhan	Lasadia.	25.65	Work on part scheme completed. Major Scheme will be started next year if funds are made available.
		Total — A	184.28	
Minor Irrigation works.				
1.	Losing Tank.	Nathdwara	1.29	Work in progress.
2.	Deeri Khera.	Rajsamand.	0.45	Work completed.
3.	Lalpura.	Rajsamand.	0.69	Work in progress.

1	2	3	4	5
4.	Ranjeet Sagar	Deogarh.	1.55	Work is to be started this year (1963-64)
5.	Nimjhar.	Deogarh.	3.32	Estimate under sanction with Government.
6.	Manohar Sagar	Amet.	5.83	Estimate sanctioned-work to be started shortly.
7.	Malpura.	Salumber.	2.67	Work in Progress
8.	Bandora.	Salumber.	4.22	-do-
9.	Sameri.	Sarda.	4.09	-do-
10.	Lining of Udaisagar Canal.	Girwa.	0.51	-do-
11.	Ghori	Girwa.	9.61	-do-
12.	Right flank Canal of Harchand Tank.	Sarda	1.16	-do-
13.	Jhorol.	Phalasia.	7.25	-do-
14.	Cheriwa.	Girwa.	0.70	-do-
15.	Adwas.	Saroda.	3.64	Estimate uuder sanction with Government.
16.	Khartana		4.50	Estimate under finalisation.
17.	Gopalpura, Minor from Jai Samand	Salumber.	7.54	Work in progress.
18.	Karmai.	Lasaria.	2.95	-do-
		Total - B	61.97	
		Grand Total -	246.25	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५० का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन-जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिये चलाये जाने वाले छात्रावासों की सूची

क्रमांक	स्कीम	स्थान	जिला	छात्रों की निर्धारित संख्या
१	२	३	४	५
१	अनुसूचित जन—जाति	सीकर	सीकर	२५
२	,, ,,	बालोतरा	बाडमेर	२५
३	,, ,,	रेवारी	पाली	२५
४	,, ,,	मसूदा	अजमेर	२५
५	,, ,,	अरिकावाद	उदयपुर	२५
६	,, ,,	सिरोही	सिरोही	४०
७	,, ,,	घाटोड़	बांसवाड़ा	५०
८	,, ,,	कोटरा	उदयपुर	४०
९	,, ,,	बांसवाड़ा (लड़के)	बांसवाड़ा	५०
१०	,, ,,	बांसवाडा (लड़की)	बांसवाड़ा	३३
११	,, ,,	घड़ी	बांसवाड़ा	२५
१२	,, ,,	सावला	डूंगरपुर	२५
१३	,, ,,	खेरवाड़ा (लड़की)	उदयपुर	३३
१४	,, ,,	सजनगढ़	बांसवाड़ा	२५
१५	,, ,,	वेलवाड़ा	कोटा	२५
१६	,, ,,	अंकोरा	डूंगरपुर	२५
१७	,, ,,	राजगढ़	अलवर	२५
१८	,, ,,	खाडिया	उदयपुर	२५
१९	,, ,,	प्रतापगढ़	चित्तोड़	५०
२०	,, ,,	सागवाड़ा	डूंगरगढ़	५६
२१	,, ,,	नीम का थाना	सीकर	२५
२२	,, ,,	कोटा	कोटा	२५

१	२		३	४	५
२३	अनुसूचित	जन-जाति	किशनगंज	कोटा	२५
२४	,,	,,	वाडोर	ालोर	२५
२५	,,	,,	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	२५
२६	,,	,,	अलवर	अलवर	२५
२७	,,	,,	मालपुरा	टोंक	२५
२८	,,	,,	खानपुर	झालावाड़	२५
२९	,,	,,	सागवाड़ा (लड़की)	डूंगरपुर	२५
३०	,,	,,	बाड़ी	उदयपुर	२५
३१	,,	,,	इटावा	कोटा	२५
३२	,,	,,	जयपुर	जयपुर	२५
३३	,,	,,	महुवा	सवाई माधोपुर	२५
३४	,,	,,	पीपली	डूंगरपुर	२५
३५	,,	,,	बालेरा	बूंदी	२५
३६	,,	,,	मेपुर	चित्तोड़	२५
३७	,,	,,	सादडी	बाली	२५
३८	,,	,,	आबूरोड	सिरोही	२५
१	अनुसूचि	जाति	बीकानेर	बीकानेर	५५
२	,,	,,	अलवर	अलवर	५७
३	,,	,,	केसोराय पाटन	बून्दी	५०
४	,,	,,	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	५०
५	,,	,,	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर	५०
६	,,	,,	चालना	पाली	६०
७	,,	,,	उदयपुर	उदयपुर	६०
८	,,	,,	कोटा	कोटा	५०
९	,,	,,	जयपुर	जयपुर	५०
१०	,,	,,	अजमेर	अजमेर	५०

Page No 131

१	२		३	४	५
११	अनुसूचित-जाति		जोधपुर (लड़कियां)	जोधपुर	२५
१२	,,	,,	जोधपुर (लड़के)	जोधपुर	५०
१३	,,	,,	कोटपूतली	जयपुर	५०
१४	,,	,,	भरतपुर	भरतपुर	५८
१५	,,	,,	बाड़मेर	बाड़मेर	२५
१६	,,	,,	टोंक	टोंक	२५
१७	,,	,,	जयपुर (लड़की)	जयपुर	२५
१८	,,	,,	सीवाना	बाड़मेर	२५
१९	,,	,,	चुरू	चुरू	२५
२०	,,	,,	करोली	सवाई माधोपुर	२५
२१	,,	,,	झालावाड़	झालावाड़	२५
२२	,,	,,	चित्तोड़गढ़	चित्तोड़गढ़	२५
२३	,,	,,	सिरोही	सिरोही	२५
२४	,,	,,	बीकानेर (लड़की)	बीकानेर	२५
२५	,,	,,	कोटा (लड़कियां)	कोटा	२५
२६	,,	,,	अटरू	कोटा	२५
२७	,,	,,	नागोर	नागोर	२५
२८	,,	,,	गंगवाना	अजमेर	२५

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण प्रश्न-काल में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

भरतपुर जिले में लैन्ड रिक्लेमेशन स्कीम

१५१. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या कृषि विभाग की ओर से भरतपुर जिले में कहीं लैण्ड रिक्लेमेशन स्कीम का एक्सपेरीमेन्ट किया जा रहा है ?

उत्तर

जी नहीं।

ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य।

१५२. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या राजस्थान कैनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान केनाल के हैड रेग्यूलेटर के आर. डी. ६,७१,००० (१३४ माइल) पर जो फर्स्ट हैड बनाया गया है उसकी अनुमानित लागत रकम कितनी है ?

(२) इस कार्य का ठेका किसे व किन किन शर्तों पर दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि कार्य स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार नहीं होते हुए भी फाइनल बिल बना दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? कृपया एस. डी. ओ. सिलवाला द्वारा फाइनल बिल में दिए गए सर्टीफिकेट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

१. ८,३६,७८० रुपये।

२. इस कार्य का ठेका श्री खूबचन्द ठेकेदार को दिया गया था। ऐग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है, इस ऐग्रीमेन्ट में जिन शर्तों पर कार्य दिया गया था, वे दर्ज हैं।

यह ठेका सिर्फ लेबर रेट्स व कैरेज ऑफ मेटीरियल्स (Labour rates and carriage of materials) के लिए था। मैटीरियल जो भी लगना था वह विभाग द्वारा दिया जाना था तथा किया गया था।

(३) जी हां, लेकिन फाइनल बिल का भुगतान अभी नहीं हुआ है। सहायक अभियन्ता, सिलवाला द्वारा फाइनल बिल में दिये गये सर्टीफिकेट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

डेगाना प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की स्वीकृति

१५३. श्रीमती गोरी पूनिया (डेगाना): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती गौरी पूनिया)

(१) डेगाना प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की स्वीकृति किस वर्ष की किस तिथि को हुई ? इस समय यहां पर क्या २ स्टाफ है ?

(२) उक्त प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की बिल्डिंग कब तक बनने की सम्भावना है ?

उत्तर

१. डेगाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति १४ मार्च, सन् १९६२ को हुई थी। इस समय वहां पर निम्नलिखित स्टाफ कार्य कर रहा है :

(अ) डॉक्टर	१
(ब) कम्पाउण्डर ग्रेड प्रथम	१
(ख) दाई	१

२. उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण-कार्य धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस वर्ष में नहीं हो सकता है। जैसे हो सरकार के पास धनराशि उपलब्ध होगी वैसे सरकार वर्तमान भवन को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित एवं परिवर्धित करने का प्रावधान कर दिया जाएगा।

भरतपुर नगरपालिका के अध्यक्ष का निलम्बन

१५४. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि भरतपुर नगरपालिका के अध्यक्ष को निलम्बित कर दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो किस आधार पर ?

(३) क्या सरकार को मोअत्तिली के लिये सम्बन्धित अधिकारियों से कोई रिपोर्ट मिली थी ? यदि हां, तो उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

१. जी हां।

२. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ६३ (४) एवं ६५ (१०) के अन्तर्गत मोअत्तिल किया गया था।

३. जी हां। जबतक निलम्बित अध्यक्ष के आरोपों पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाय रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना सरकार जनहित में उचित नहीं समझती।

जबरदस्ती वसूल किये गये जुर्मानों की रकम

१५५. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि तहसीलदार सांचोर ने पिछले दो वर्षों में पूरी तहसील में हजारों रुपयों का जुर्माना धारा ९१ आर० एल० एक्ट के तहत काश्तकारों पर किया है ? अगर हां, तो क्या सरकार ने ट्रेसपासर्स के ३१-१२-६१ तक के कब्जे के आधार पर खातेदारी हक देने का जो नया सक्यूलर अभी निकाला है उसके अनुसार उन पिछले जुर्मानों को माफ करने का विचार रखती है ?

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(२) क्या सरकार उपरोक्त सर्क्यूलर को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त जुर्मानों की वसूली शीघ्र बन्द करेंगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(३) उपरोक्त सर्क्यूलर प्रभावशील होने के पहिले जो जुर्माने तहसील द्वारा जबरदस्ती वसूल कर लिये गये थे उन जुर्मानों को क्या सरकार वापिस काश्तकारों को रिफन्ड करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो वे कब तक रिफन्ड कर दिये जावेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार तहसील सांचोर में डेजर्ट एरिया होने से इस सर्क्यूलर के तहत भूमि की सीमा ३७॥ बीघा के बजाय ७५ बीघा कातश्कारों के हित में करने का निर्णय लेगी ? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. जी हां । ३१-१२-६१ तक के कब्जे के आधार पर खातेदारी हक देने का जो नया सर्क्यूलर निकाला है उसके प्रचलित होने के पूर्व जो मामले निर्णीत हो गये हैं तथा जुर्माने लगा दिये गये हैं वे अब माफ नहीं किये जा सकते हैं ।

२. प्रश्न नहीं उठता ।

३. जी नहीं । वे जुर्माने धारा ६१ राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू एक्ट, ५६ के अन्तर्गत किये गये हैं तथा ऐसे केसेज न्यायिक मामले (Judicial matters) होने के कारण (reopen) नहीं किये जा सकते है ।

४. ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

तहसील लक्ष्मणगढ़ में बांध

१५६. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में तृतीय पंच वर्षीय योजना में कितने बांध तैयार किये जा रहे हैं ? उनके नाम बताने की कृपा करें ।

(२) किस किस बांध के लिये कितनी कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इनका कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

१. कोई भी बांध तैयार नहीं किये जारहे हैं ।

२. प्रश्न नहीं उठता ।

गलत यात्रा व्यय व जाली चैक बुक से रकम उठाने की कार्यवाही

१५७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगरपालिका बड़ी सादड़ी के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री माधोलाल नागोरी द्वारा गलत यात्रा-व्यय व जाली चैक बुक द्वारा पालिका की रकम उठाने के फलस्वरूप एस. पी. ने पूरी जांच के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही करने की स्वीकृति मांगी थी ? यदि हां, तो कब ? और

(श्री मुरलीधर व्यास)

संबंधित अधिकारियों ने अब तक स्वीकृति क्यों नहीं दी ?

उत्तर

जी हां। दिनांक १२–६–६२ को। मामला विचाराधीन है।

जैसलमेर क्षेत्र में ऊन फार्म

१५८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

१. क्या यह सही है कि कृषि विभाग ने जैसलमेर क्षेत्र में ओन फार्म राजकीय क्षेत्र में खोलने के लिये एक योजना तैयार की थी ?

२. क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस योजना पर विचार किये बगैर ही ऊन फार्म निजी क्षेत्र में खोलने का निर्णय ले लिया और इस कार्य हेतु एक व्यक्ति को ५० हजार एकड़ जमीन अलॉट करने के लिये राजस्व विभाग को आदेश दे दिया है ?

३. यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. प्रश्न उपस्थित नहीं होता। केवल इतना है कि तीन पार्टीज इस क्षेत्र में अच्छी नस्ल की भेड़-पालन व ऊन उत्पादन करने के लिए फार्म के लिए जमीन चाहते हैं। इन दर्ख्वास्तों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

३. प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २३ अगस्त, १९६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	३	म० पू० २.३०	म० प० २.३०
३	३	इर–	इर्रे–
,,	६	म्युन–	म्युनि
,,	१६	श्री ढौलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
४	१२	,, ,, ,,	,, ,, ,,
५	५	रिपेर्ट्स	रिपोर्ट्स
,,	१७	क	के
७	८	मडला	मंडला
६	५	श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
११	१०	श्री दौजतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
१२	अन्तिम से ८	ट्रुरिस्ट	टूरिस्ट
१३	शीर्षक	प्रश्नौत्तर	प्रश्नोत्तर
१५	अन्तिम से ६	मिंचाई	सिंचाई
१६	६	अथूरे	अधूरे
,,	११	नृतीय	तृतीय
१६	अन्तिम से ७	एन्	सन्
४६	६, १५	बैद	वैद
५१	७	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
८१	अन्तिम से ३	कि बना	कि बिना

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
८६	शीर्षक	विवा	विवाद
६६	३	यूर्नयन	यूनियन
१०५	८	ऑपोरचुर्निटी	ऑपोचुर्निटी
११३	शीर्षक	विधेकय	विधेयक
,,	शीर्ष	(श्री मानिकचन्द सुरणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
११७	:	विबाद	विवाद
१३५	६	राटोड़	राठौड़
,,	अन्तिम से ३	,,	,,
१३७	१८	,,	,,
१५८	७	fulfililng	fulfilling
१६१	१८	श्रा विजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला
१७४	अन्तिम से ५	(जोहरी	(जौहरी
१७५	शीर्षक	औद्योगिक विवाद–२३ अगस्त, १६६३–विधेयक १६६३	औद्योगिक विवाद–२३ अगस्त, १६६३–गैर सरकारी विधेयक
२००	१३	अढालत	अदालत
२०६	अन्तिम से ५	इम्पूवमेंट	इम्प्रूवमेन्ट
२११	४	भूल–भूत	मूल–भूत
२१७	अन्तिम से ५	टीनन्टस्	टीनेन्ट्स
२२०	७	ढाबारिया	ढाबरिया
२२१	शीर्षक	वेदखली	बेदखली
२२२	१५	इन्वैक्टमेंट	इन्वेस्टमेंट
२२३	१	प्रोब्रलम	प्रोब्लम

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२३२	१३	छोटी छोटी	छोटी छोटी
२४१	१	The Rajasthan remises	The Rajasthan Premises
२४२	८	सोमबार, दिनांक २३ अगस्त, १९६३	सोमवार,दिनांक २६ अगस्त, १९६३
२४३	स्कम्भ	—	२४३]
२४८	१०,आइटम नं०३	Relm gra	Relmagra
२४९	अन्तिम से ३ आइटम नं०३	Lasaria	Lasadia
२५०	२	सवाज	समाज
२५५ से २६०	शीर्षक	—	परिशिष्ट
२५७	१५	कातश्कारों	काश्तकारों